जुलाई, 2014

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
डा. एम. सी. पांडेय

महत्वपूर्ण निर्णय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – दंड – विरल से विरलतम मामला – जहां हत्या जमीन के बंटवारे के विवाद से उद्भूत हो और दोनों पक्षों के बीच सामान्य आशय के अग्रसरण में हत्या की गई हो वहां मामला विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता ।

राम किशोर बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 1

संसद् के अधिनियम

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (1) – (27)

पृष्ठ संख्या 1 – 150 **(2014) 2 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – जुलाई, 2014 (पृष्ठ संख्या 1 – 150)

संपादक-मंडल

श्री प्रेम कुमार मल्होत्रा,
सचिव, विधायी विभाग

श्रीमती शारदा जैन, संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. विजय नारायण मणि, अधिवक्ता,
(पूर्व संपादक) वि.सा.प्र.

प्रो. डा. वैभव गोयल,
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी (उत्तराखण्ड)

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ
विश्वविद्यालय

डा. ऋषिपाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

श्री जुगल किशोर,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ल और असलम खान

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 12

वार्षिक : ₹ 135

© 2014 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जुलाई, 2014

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अनिल कुमार **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (देखिए – पृष्ठ संख्या 1)	
इन्दर देव **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	114
कुलदीप सिंह **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	129
चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (देखिए – पृष्ठ संख्या 1)	
राम किशोर **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	1
सतीश दूबे **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	62

संसद् के अधिनियम

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	(1) – (27)

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 438 – अग्रिम जमानत – जहां अभियोग की प्रकृति पूर्णतः साक्ष्य पर आधारित हो और संपूर्ण साक्ष्य अभियोजन के पास उपलब्ध है तथा अभियुक्त हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी है और समाज में उसकी गहरी पकड़ है तथा न्याय से भागने की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है वहां सुसंगत परिवर्ती परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित और न्याय संगत है ।

इन्दर देव बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 114

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 – दंड – विरल से विरलतम मामला – जहां हत्या जमीन के बंटवारे के विवाद से उद्भूत हो और दोनों पक्षों के बीच सामान्य आशय के अग्रसरण में हत्या की गई हो वहां मामला विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता ।

राम किशोर बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 1

– धारा 302/34, 201, 506 – सामान्य आशय – जहां मामले के समस्त साक्ष्यों और परिस्थितियों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध होता है कि सभी अपीलार्थियों ने सामान्य आशय से मृतक की गर्दन काटकर हत्या कर दी तथा साक्षियों को भी हत्या करने की धमकी दी तथा मृतक का सिर गायब करने के आशय से घटनास्थल से उठा ले गए वहां अभियुक्तों को उक्त अपराधों से दोषसिद्ध ठहराया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

राम किशोर बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 1

पृष्ठ संख्या

– धारा 302, 376(2)(च) और 201 – बलात्संग और हत्या – जहां मामले में प्रस्तुत साक्ष्य, चिकित्सक की चिकित्सीय रिपोर्ट, शव की शनाख्त, अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य, न्यायिकेतर संस्वीकृति तथा परिस्थितियों की सुस्थापित कड़ी और युक्तियुक्त रूप से यह साबित हो कि सभी मानवीय संभाव्यताओं में बलात्संग और हत्या का अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया वहां अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायसंगत और उचित है ।

सतीश दूबे बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 62

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49)

– धारा 7 और 13(2) – रिश्वत की मांग – जहां अभियुक्त पर दाखिल-खारिज करने के लिए रिश्वत धन की मांग करने तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने का अभियोग हो किंतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रमुख साक्षियों के कथन काफी विरोधात्मक, असंगत और अतिश्योक्तिपूर्ण है तथा अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहता है वहां अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

कुलदीप सिंह बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 129

———

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाा : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

राम किशोर*

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तथा

अनिल कुमार

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तथा

चन्द्र शेखर उर्फ **शेखर और अन्य**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 20 सितंबर, 2013

न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति बच्चू लाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/34, 201, 506 – सामान्य आशय – जहां मामले के समस्त साक्ष्यों और परिस्थितियों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह सिद्ध होता है कि सभी अपीलार्थियों ने सामान्य आशय से मृतक की गर्दन काटकर हत्या कर दी तथा साक्षियों को भी हत्या करने की धमकी दी तथा मृतक का सिर गायब करने के आशय से घटनास्थल से उठा ले गए वहां अभियुक्तों को उक्त अपराधों से दोषसिद्ध ठहराया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – दंड – विरल से विरलतम मामला – जहां हत्या जमीन के बंटवारे के विवाद से उद्भूत हो और दोनों पक्षों के बीच सामान्य आशय के अग्रसरण में हत्या की गई हो

---

* मूल निर्णय हिन्दी में है ।

वहां मामला विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता ।

अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा रामकली ने एक तहरीर मोहम्मद आफाक पुत्र अब्दुल मजीद से लिखवाकर तारीख 3 नवंबर, 2010 को 5.00 बजे अपराह्न थाना अफजलगढ़ जिला बिजनौर में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि वादिनी के तीन बेटे हैं सबसे बड़ा लड़का राम किशोर उससे छोटा सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार व सबसे छोटा चन्द्र शेखर है । वह तथा उसके पति सौनाथ अपने लड़के सुरेन्द्र के साथ रह रहे थे । उसके पति पर 18 बीघा जमीन थी तथा 2-1/2 बीघा जमीन उसके नाम है । उसके नाम की जमीन में गन्ना बोया हुआ था । वह तथा उसके पति सौनाथ खेत में गन्ना काट रहे थे कि आज दिनांक 3 नवंबर, 2010 को उसका लड़का सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार भी खेत पर आ गया था उसका लड़का राम किशोर व चन्द्र शेखर जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद करते थे उसके पति पर बैंक का लोन था उसके पति कहते थे कि लोन अदा करके जमीन बांट देंगे इसी बात को लेकर आज करीब 4.00 बजे दिन की बात है कि राम किशोर, चन्द्र शेखर जो उसके लड़के हैं व राम किशोर का लड़का कपिल तथा चन्द्र शेखर का साला अनिल कुमार अपने हाथों में कुल्हाड़ी व कसला लेकर आए कि उसके पति को गाली देते हुए चन्द्र शेखर व कपिल कुमार तथा चन्द्र शेखर के साले अनिल कुमार ने पकड़ लिया और राम किशोर ने कुल्हाड़ी से वार करके गर्दन काट कर धड़ से अलग कर दी उसने तथा उसके लड़के सुरेन्द्र ने ललकारा तो उन दोनों को जान से मारने की धमकी दी । उन दोनों के शोर मचाने पर अन्य बहुत से लोग आ गए थे । मुलजिमों के इस कार्य से अफरा-तफरी मच गई तथा लोग अपना सामान छोड़कर जगह-जगह छिप गए और उसके पति का सिर लेकर चारों एक राय होकर पश्चिम दिशा को चले गए । राम किशोर इससे पहले भी उसके ससुर छज्जू सिंह की हत्या कर चुका है । इन लोगों का गांव में भय व आतंक है । इसी कारण इनके विरुद्ध गवाही देने को कोई तैयार नहीं होता है । सूचना को आई हूं उसके पति की लाश मौके पर पड़ी है । रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कपिल व अनिल तारीख 7 दिसंबर, 2010 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करके जेल चले गए थे । विवेचनाधिकारी ने उनका बयान तारीख 10 दिसंबर, 2010 को जेल में जाकर अंकित किया तथा विवेचना संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर, चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार एवं अनिल कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 302/201/504/506/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया । अभियोजन साक्षी

संख्या 9 अमर सिंह (थानाध्यक्ष) इस मुकदमे के विवेचक हैं । उन्होंने अपने द्वारा की गई विवेचना तथा विवेचना के दौरान तैयार किए गए कागजात, घटनास्थल का नक्शा नजरी तथा अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के निशानदेही पर बरामद कुल्हाड़ी (कसला) की फर्द महेश चन्द्र शर्मा (उप-निरीक्षक) के लेख में होना बताते हुए साबित किया है तथा बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी में साबित किया है । इस साक्षी द्वारा विवेचना संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था । इस साक्षी ने आरोप को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के निशानदेही पर बरामद कसला (कुल्हाड़ी) को वस्तु प्रदर्श-1 तथा मृतक की चप्पल को वस्तु प्रदर्श-2 व प्रदर्श-3 तथा घटनास्थल से ली गई सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी को साबित किया है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दं. प्र. सं. के अन्तर्गत अंकित किया गया जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए झूठा फंसाया जाना बताया है । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने अपने बयान में यह बताया है कि सुरेन्द्र उसके हिस्से की जमीन हड़पना चाहता है इसलिए उसे व उसके बेटे कपिल (मुलजिम) को इस केस में झूठा फंसा दिया है । अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर ने अपने बयान में यह कहा है कि सुरेन्द्र सारी जमीन हड़पना चाहता है उसी ने झूंठा फंसाया है । सुरेन्द्र ने सारे पेड़ कटवा दिए और पिताजी की सारी जमीन ठेके पर दे दी है और अपने ससुराल चला गया है। मां (रामकली) अब 2-3 महीने से उसके पास रह रही है । मां ने उसे बताया था कि यह सारी कार्यवाही सुरेन्द्र ने ही उससे करवाई है। अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार ने अपने बयान में यह कहा है कि वह प्रधानी का चुनाव लड़ रहा था । वह कथित घटना के दिन व समय पर अपने गांव में मीटिंग कर रहा था । अपीलार्थी राम किशोर ने कैपिटल दाण्डिक अपील संख्या 6967 वर्ष 2011, अपीलार्थी अनिल कुमार ने दाण्डिक अपील संख्या 6631 वर्ष 2011 तथा अपीलार्थीगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर एवं कपिल कुमार ने दाण्डिक अपील संख्या 6965 वर्ष 2011, श्री सुभाष चन्द (बत्रा) सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 173 वर्ष 2011 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 9.11.2011 के विरुद्ध योजित की है । जिसके द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को धारा 302/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड तथा दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 201 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया

गया है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार को धारा 302/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 201 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में सभी अपीलार्थीगण को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा । अपीलार्थियों ने उक्त सेशन न्यायाधीश के निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की । अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली द्वारा घटना के तुरन्त बाद उसी दिन दिनांक 3.11.2010 को समय 5.00 बजे शाम थाने पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली द्वारा मृतक की हत्या अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा कारित करने का उल्लेख किया गया है तथा विवेचनाधिकारी द्वारा मृतक की हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी (कसला) अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के निशानदेही पर बरामद किया गया है । उक्त कुल्हाड़ी (कसला) पर रक्त पाया गया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा कुल्हाड़ी से मृतक की गर्दन धड़ से काट कर अलग करने का उल्लेख किया गया है तथा मौके पर पुलिस को मृतक का शव बिना सिर के मिला था । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपनी मुख्य परीक्षा जो तारीख 4 मई, 2011 को अंकित की गई है उसमें अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया है । उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से उक्त अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली द्वारा जो अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर द्वारा मृतक का दायां हाथ तथा अपीलार्थी/अभियुक्त कपिल कुमार द्वारा बायां हाथ व अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा पैर पकड़ कर मृतक को नीचे गिरा लेने का उल्लेख किया गया है तथा यह भी बताया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने कुल्हाड़ी से वार करके उसके पति की नाड़ (गर्दन) काट दी । अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर ज्ञानचन्द ने भी मृतक की चोट संख्या 1 व 2 धारदार हथियार मसलन कुल्हाड़ी से आना सम्भव कहा है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने

भी कथित घटना के समय अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली को मौके पर मौजूद होने का उल्लेख किया है। उपरोक्त समस्त साक्ष्यों से कथित घटना के समय अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली की घटनास्थल पर उपस्थिति सिद्ध है । ऐसी दशा में विचारण न्यायालय द्वारा जो अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली के साक्ष्य पर विश्वास व्यक्त किया गया है उसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । इस तरह अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने भी घटना के पूर्व अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार का खेत पर (मौके पर) पहुंचने के तथ्य की पुष्टि की है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से बताया है कि करीब शाम के 4.00 बजे राम किशोर, चन्द्र शेखर, कपिल व अनिल उसके खेत पर आए थे राम किशोर के हाथ में कुल्हाड़ी थी । चन्द्र शेखर ने उसके पति का दायां हाथ और कपिल ने बायां हाथ पकड़ लिया तथा अनिल ने पैर पकड़ लिए और उसके पति को नीचे गिरा लिया तथा राम किशोर ने कुल्हाड़ी से मार कर उसके पति की नाड़ (गर्दन) काट दी । अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने भी अपने बयान में अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर व कपिल द्वारा उसके पिता के हाथ पकड़ने तथा अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल द्वारा पैर पकड़ने का उल्लेख किया है । यह भी कहा है कि उसके पिता को नीचे गिरा लिया । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने कुल्हाड़ी से वार कर उसके पिता की गर्दन काट दी तथा उसे भी जान से मारने की धमकी दी । इस तरह उपरोक्त दोनों साक्षियों ने कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल व अनिल के द्वारा मृतक को पकड़ने व पकड़ कर जमीन पर गिरा लेने का उल्लेख किया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा कुल्हाड़ी से वार करके मृतक की गर्दन काट देने का उल्लेख किया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल व अनिल के द्वारा मृतक को पकड़ने का उल्लेख किया गया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के द्वारा कुल्हाड़ी से मृतक की गर्दन धड़ से काट कर अलग कर देने का उल्लेख किया गया है । पंचायतनामा के समय भी मृतक का शव बिना सिर के पाया गया है । पोस्टमार्टम के समय मृतक के गर्दन पर दो कटे हुए घाव पाए गए हैं जिसे डाक्टर ने कुल्हाड़ी से आना सम्भव कहा है तथा मृतक की हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के निशानदेही पर बरामद की गई है जिस पर खून लगा था । उक्त कुल्हाड़ी जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई थी । विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उक्त कुल्हाड़ी (कसला) पर रक्त पाया गया है । ऐसी दशा में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार की घटनास्थल पर उपस्थिति सिद्ध है तथा उक्त साक्षी के साक्ष्य एवं अभियोजन साक्षी संख्या

1 श्रीमती रामकली के साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी सम्पुष्ट हैं । ऐसी दशा में भी अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क रखा गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को मृतक की सम्पूर्ण सम्पत्ति को हड़पने के आशय से झूठा फंसाया गया है । यह भी तर्क रखा गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपने प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार द्वारा की गई है । हमारे विचार से प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी श्रीमती रामकली (अभियोजन साक्षी संख्या 1) द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई है। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्रशेखर तथा राम किशोर मृतक के सगे पुत्र हैं तथा कपिल कुमार अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर का पुत्र है और अनिल अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्रशेखर का साला है। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरन्त बाद वादिनी द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई है तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। हमारे विचार से कोई भी मां अपने पति की हत्या में स्वयं के लड़कों व लड़के के लड़के व लड़के के रिश्तेदार को झूठा नामजद नहीं करेगी । प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार की घटनास्थल पर उपस्थिति सिद्ध है तथा उनकी साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी सम्पुष्ट है । प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को सम्पत्ति की लालच में अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार द्वारा झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । साक्षियों की प्रतिपृच्छा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कि जमीन की लालच के कारण अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाए जाने की बात स्वीकार की जा सके । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह एक दिन दहाड़े की घटना है । घटनास्थल से थाना की दूरी 4.00 कि. मी. दर्शाई गई है तथा इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरन्त बाद थाना पर अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण के विरुद्ध नामजद दर्ज कराई गई है तथा इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक की पत्नी द्वारा स्वयं दर्ज कराई गई है कोई भी मां अपने पति के वास्तविक हत्यारों को छोड़कर स्वयं के लड़कों व लड़के के लड़का तथा रिश्तेदार को झूठा नामजद नहीं करेगी । प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं

पाई जाती है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क रखा गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने घटना के एक दिन पहले दिनांक 2 नवंबर, 2010 को गन्ना काटने को लेकर विवाद होने की बात कही है और स्वयं को तथा अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण राम किशोर और चन्द्र शेखर को पुलिस द्वारा बंद करने का उल्लेख किया है । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार सम्पत्ति की लालच में स्वयं अपने पिता की हत्या कर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसा सकता है । हमारे विचार से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दिए गए उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को सम्पत्ति के लालच में झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । साक्ष्य में यह आया है कि इस घटना के पहले से अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण राम किशोर, चन्द्र शेखर जमीन के बंटवारे के लिए मृतक पर दबाव डाल रहे थे । मृतक ने जमीन पर बैंक से ऋण ले रखा था तथा ऋण अदायगी के पूर्व मृतक जमीन बांटने को तैयार नहीं था इसी कारण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर मृतक की हत्या करना बताया गया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरन्त बाद मृतक की पत्नी श्रीमती रामकली (अभियोजन साक्षी संख्या 1) द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई है । पत्रावली पर जो भी साक्ष्य उपलब्ध है उससे एकमात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने एक राय होकर मृतक की हत्या कारित की है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा दिए गए उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क रखा गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने जो अपने बयान में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा धमकी देने की बात कही है वह स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कथित घटनास्थल के आस-पास कोई आबादी नहीं थी तथा सुनसान जगह थी सामान्यतः कोई भी अपराधी अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ता है । ऐसी दशा में कथित घटना के समय मौके पर अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली व अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार की उपस्थिति स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है बल्कि यह प्रकट होता है कि यह घटना किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं देखी गई है । न्यायालय के विचार से यदि अभियोजन साक्षी संख्या 1 रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई है तो मात्र उक्त आधार पर

घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । वादिनी श्रीमती रामकली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि उसने तथा उसका लड़का सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने ललकारा तो उन लोगों को भी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी तथा उनके शोर मचाने पर अन्य बहुत से लोग आ गए थे । इससे यही जाहिर होता है कि वादिनी तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार के शोर पर आस-पास के लोग आ गए थे । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने जो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा धमकी देने की बात कही है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । न्यायालय के विचार से मात्र उक्त आधार पर अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है । विवेचनाधिकारी ने यदि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के कपड़ों को पुलिस कब्जा में नहीं लिया है तो मात्र उक्त आधार पर उनकी संलिप्तता के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है बल्कि पत्रावली पर जो भी साक्ष्य उपलब्ध है उससे एक मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक की हत्या कर दी । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दिए गए उक्त तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क रखा गया है कि मृतक एक 65 वर्षीय व्यक्ति था तथा उसकी हत्या कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता था । मृतक को पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी । ऐसी दशा में कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार के द्वारा जो मृतक को पकड़ने की बात कही गई है वह स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है तथा इस घटना में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल व अनिल की संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है । साक्ष्य में यह आया है कि कथित घटना के समय अपीलार्थीगण चन्द्र शेखर, कपिल ने मृतक के हाथ पकड़ लिए तथा अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल ने मृतक के पैर पकड़ लिए और मृतक को जमीन पर गिरा लिया । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने कुल्हाड़ी से मार कर मृतक की गर्दन काट दी तथा मृतक का सिर लेकर चले गए । मृतक का सिर अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के हाथ में होने का उल्लेख किया गया है । अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर ज्ञान चन्द ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह बताया है कि खड़े हुए व्यक्ति की गर्दन कुल्हाड़ी से कटना सम्भव नहीं है उसके लिए किसी सख्त चीज की सपोर्ट चाहिए । चुटैल को जमीन पर गिरने पर कुल्हाड़ी का वार होने पर चोट संख्या 1 आना सम्भव है । उपरोक्त परिस्थितियों में भी यही स्पष्ट होता है कि

मृतक को पकड़ कर पहले जमीन पर गिराया गया इसके बाद उसकी गर्दन काट दी गई। ऐसी दशा में जो कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल व अनिल द्वारा मृतक को पकड़ कर जमीन पर गिराने की बात कही गई है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है तथा प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से कथित घटना में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की संलिप्तता सिद्ध है । प्रस्तुत मामले में यदि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार द्वारा मृतक को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई है तो मात्र उक्त आधार पर उनकी संलिप्तता के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । साक्ष्य में यह आया है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर तथा कपिल कुमार ने मृतक के हाथ तथा अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार ने मृतक के पैर पकड़ लिए तथा उसे जमीन पर गिरा लिया तत्पश्चात् अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने कुल्हाड़ी से मृतक की गर्दन काट कर धड़ से अलग कर दी । इससे यही स्पष्ट होता है कि इस घटना में अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार की सक्रिय भूमिका रही है और उन्होंने मृतक को पकड़ कर जमीन पर गिरा लिया तत्पश्चात् अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने मृतक की गर्दन काट दी । साक्ष्य में यह आया है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मृतक के सिर को लेकर पश्चिम दिशा की ओर भाग गए । मृतक का सिर अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के पास था । चूंकि यह घटना एक खेत की बताई गई है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर इस तरह खेत पर पहुंचना व खेत पर मृतक को पकड़ कर जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन काटकर सिर धड़ से अलग कर देना यह सब अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के सामान्य आशय को स्पष्ट करता है और यही साबित होता है कि कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण एक राय होकर मृतक के खेत पर गए तथा अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर, **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार ने मृतक को पकड़ कर जमीन पर गिरा लिया तथा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने अपने हाथ में लिए हुए कुल्हाड़ी से मृतक की गर्दन काट दी जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया । इस तरह कथित घटना में समस्त अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की भूमिका सिद्ध है और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से यही साबित होता है कि कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक की गर्दन काटकर हत्या कर दी । न्यायालय के विचार से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है क्योंकि घटना की प्रथम सूचना

रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मृतक का सिर लेकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण एक राय होकर पश्चिम दिशा को चले गए । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने अपने बयान में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा मृतक का सिर लेकर पश्चिम की ओर जाने का उल्लेख किया है तथा मृतक का सिर अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के हाथ में होने का उल्लेख किया है । चूंकि मृतक की हत्या कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर की गई है तथा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था एवं चारों अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा मृतक का सिर लेकर पश्चिम दिशा की ओर जाने व मृतक का सिर अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के हाथ में होने का उल्लेख किया गया है । इससे यही जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण एक राय होकर मौके से मृतक का सिर गायब करने के आशय से ले गए जो बरामद भी नहीं हो सका । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा उक्त के संबंध में दिए गए तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से एक तर्क यह भी रखा गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से तहरीर लेखक आफाक को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है तो न्यायालय के विचार से मात्र उक्त आधार पर अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपनी मुख्य पृच्छा में तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित किया है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 5 जगपाल सिंह (आरक्षी) ने वादिनी की तहरीर के आधार पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की थी तथा कायमी मुकदमे का इन्द्राज थाना की जी. डी. में किया था उक्त साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4 तथा कायमी मुकदमा से संबंधित जी. डी. की प्रति प्रदर्श क-6 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है । इस साक्षी की प्रतिपृच्छा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कोई संदेह व्यक्त किया जा सके । ऐसी दशा में यदि अभियोजन की ओर से तहरीर के लेखक आफाक को परीक्षित नहीं कराया गया है तो मात्र उक्त आधार पर अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है और न ही घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में संदेह का कोई आधार पाया जाता है । जहां तक घटना के हेतुक का प्रश्न है तो मृतक की हत्या जमीन के विवाद को लेकर करना बताया गया है । अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर तथा चन्द्र शेखर मृतक पर जमीन बांटने का दबाव डाल रहे थे । मृतक ने अपनी जमीन पर बैंक से ऋण ले रखा था । मृतक बैंक का ऋण अदा करने के पूर्व जमीन का बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं था इसी कारण कथित

घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने एक राय होकर मृतक की हत्या कर दी । घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी जमीन के विवाद को लेकर मृतक की हत्या करने का उल्लेख किया गया है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने अपने बयान में जमीन के बंटवारे की बात को लेकर मृतक की हत्या कारित करने का उल्लेख किया है । ऐसी दशा में अभियोजन पक्ष की ओर से जो घटना का हेतुक रखा गया है वह साक्ष्य से भी साबित है । उक्त संबंध में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है । न्यायालय के विचार से यदि बरामदगी के उपरोक्त जनसाक्षी जो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के गांव के रहने वाले हैं उन्होंने बरामदगी के तथ्य की पुष्टि नहीं की है तो मात्र उक्त आधार पर कथित बरामदगी के संबंध में संदेह का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । अभियोजन साक्षी संख्या 9 श्री अमर सिंह, थानाध्यक्ष/ विवेचनाधिकारी भी कथित बरामदगी के साक्षी हैं । इस साक्षी ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि दिनांक 12.11.2010 को अभियुक्त राम किशोर व चन्द्र शेखर ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था । उसने न्यायालय से अनुमति लेकर मुलजिमान के बयान जिला कारागार में लिए थे जिसमें उन्होंने आलाकत्ल व मृतक का सिर बरामद कराने के लिए कहा । दिनांक 18.11.2010 को न्यायालय के आदेश के अनुसार अभियुक्त राम किशोर व चन्द्र शेखर को 24 घण्टे के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया था । दिनांक 19.11.2010 को मुलजिमान से पूछताछ की तथा उनके निशानदेही पर एक अदद कसला (कुल्हाड़ी) खून आलूदा बरामद किया तथा गवाहान की मौजूदगी में फर्द तैयार की गई । उक्त फर्द उसने श्री महेश चन्द्र शर्मा, उपनिरीक्षक से बोलकर लिखवाई थी। इस साक्षी ने फर्द बरामदगी प्रदर्श क-16 को साबित किया है । फर्द प्रदर्श क-16 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के निशानदेही पर मुरारी सिंह के गन्ने के खेत से झाड़ी से एक अदद कुल्हाड़ी (कसला) बरामद किया गया है। उक्त फर्द पर गवाहान अभियोजन साक्षी संख्या 7 सोनू कुमार व अभियोजन साक्षी संख्या 8 राम कुमार के हस्ताक्षर भी हैं । उपरोक्त अभियोजन साक्षी संख्या 7 सोनू कुमार व अभियोजन साक्षी संख्या 8 रामकुमार ने उक्त फर्द पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि भी की है लेकिन यह कहा है कि पुलिस ने गांव में उनके उक्त हस्ताक्षर कोरे कागज पर करा लिया था । हमारे विचार से उपरोक्त दोनों साक्षियों का उक्त कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि फर्द बरामदगी पर इन साक्षियों के हस्ताक्षर हैं और उन्होंने उक्त फर्द बरामदगी पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि भी की है । यहां यह उल्लेखनीय है कि यह

बात स्वाभाविक नहीं लगती है कि पुलिस वालों ने उक्त साक्षियों के दस्तखत कोरे कागज पर करा लिया हो बल्कि यही जाहिर होता है कि उक्त दोनों साक्षी अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के गांव के रहने वाले हैं इसलिए उसे बचाने के आशय से उक्त साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा उक्त संबंध में दिए गए तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । चूंकि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर को पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था और अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर द्वारा मृतक की हत्या में प्रयुक्त एक अदद कुल्हाड़ी (कसला) बरामद कराया गया है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 9 अमर सिंह, थानाध्यक्ष/ विवेचनाधिकारी ने उक्त कुल्हाड़ी (कसला) को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वस्तु प्रदर्श-1 के रूप में साबित भी किया है । विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क-15ए पत्रावली पर उपलब्ध है । उक्त रिपोर्ट में बरामद कुल्हाड़ी (कसला) पर रक्त पाया गया है । यह रक्त उक्त कुल्हाड़ी (कसला) पर कहां से आया है इसका कोई स्पष्टीकरण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से नहीं दिया गया है। ऐसी दशा में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त हम इस मत के हैं कि अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर की निशानदेही पर मृतक की हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी (कसला) की बरामदगी सिद्ध है और अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा उक्त संबंध में दिए गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है । अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर की ओर से एलीबाई की पिली लेते हुए अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. में यह कहा गया है कि वह कथित घटना के समय उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड में था तथा उसने अपने कथन के समर्थन में एस. आर. वर्मा शाखा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, शाखा अफजलगढ़ (बिजनौर) द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र दिनांकित 16.9.2011 भी दाखिल किया है परन्तु उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर की ओर से उक्त प्रमाणपत्र को साबित करने के लिए एस. आर. वर्मा, शाखा प्रबंधक को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही इस तरह की कोई अन्य साक्ष्य ही दिया गया जिससे कि अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर की कथित घटना के समय मौके पर उपस्थिति के संबंध में कोई संदेह व्यक्त किया जा सके बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यही साबित है कि अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र

शेखर **उर्फ** शेखर इस घटना में शामिल रहा है और कथित घटना के समय मौके पर उसकी उपस्थिति सिद्ध है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर की ओर से रखे गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है । अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की ओर से एलीबाई की पिली लेते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार निर्दोष है तथा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है । कथित अपराध में उसकी संलिप्तता सिद्ध नहीं है तथा उसका आवास घटनास्थल से लगभग 70 कि.मी. की दूरी पर है और कथित घटना की तिथि व समय पर वह अपने गांव में चुनाव के संबंध में समीक्षा मीटिंग कर रहा था । इस मीटिंग में उसके आवास पर गांव के 50-60 लोग मौजूद थे । अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा मृतक को कोई चोट पहुंचाना नहीं कहा गया है तथा उसके संबंध में घटना का कोई हेतुक भी नहीं है । मृतक की हत्या जमीन के विवाद को लेकर करना बताया गया है लेकिन मृतक की जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं है और न ही वह उक्त जमीन का लाभार्थी है । अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार को मात्र अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर का रिश्तेदार (साला) होने के नाते झूठा फंसाया गया है । न्यायालय के विचार से उपरोक्त दोनों बचाव साक्षियों का कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । प्रथमतः यह कि बचाव साक्षी संख्या 1 श्रीमती वविता, अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की स्वयं पत्नी है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि जिस दिन उसके पति समीक्षा मीटिंग कर रहे थे चुनाव उससे एक माह पहले हो चुका था । उसके पति चुनाव हार गए थे । हमारे विचार से चुनाव के एक माह बाद समीक्षा मीटिंग करना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जब चुनाव एक माह पहले सम्पन्न हो चुका था और अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार चुनाव हार गए थे तो ऐसी दशा में चुनाव के करीब एक माह बाद उसके द्वारा समीक्षा मीटिंग करना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं लगता है । द्वितीय यह कि बचाव साक्षी संख्या 2 अमर सिंह ने अपने प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि उसने मुलजिम अनिल कुमार को अपना समर्थन देकर चुनाव लड़ाया था । इससे यही जाहिर होता है कि यह बचाव साक्षी, अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की पार्टी का व्यक्ति है और यदि उपरोक्त दोनों साक्षियों द्वारा कोई शपथ पत्र दिया गया है तो वह मात्र अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार को बचाने के आशय से दिया गया है । तृतीय यह कि बचाव साक्षी संख्या 2 अमर सिंह ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपना शपथ पत्र दिनांक 3.11.2010 को नगीना में तैयार कराया था और एक दो दिन बाद एस.पी. साहब को दिए थे । यह शपथ पत्र 3.11.2010 को 12.01 बजे नगीना में तैयार हुआ

था । इस साक्षी के उक्त कथन से भी समीक्षा मीटिंग की कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है क्योंकि इस साक्षी ने शपथ पत्र दिनांक 3.11.2010 को 12.01 बजे नगीना में तैयार कराने की बात कही है जब कि मीटिंग दिनांक 3.11. 2010 को दिन में 3.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक होने का उल्लेख किया गया है । ऐसी दशा में भी दिनांक 3.11.2010 का 12.01 बजे शपथ पत्र तैयार कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है बल्कि उपरोक्त से यही स्पष्ट होता है कि चुनाव समीक्षा की मीटिंग की कहानी अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार को बचाने के आशय से गढ़ी गई है । ऐसी दशा में उपरोक्त दोनों बचाव साक्षी संख्या 1 श्रीमती ववितता व बचाव साक्षी संख्या 2 अमर सिंह की साक्ष्य से अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है । पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की कथित घटना में संलिप्तता पूर्ण-रूपेण सिद्ध है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी अनिल कुमार नामजद अभियुक्त है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा मृतक को पकड़ने का उल्लेख किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली व अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने भी अपने बयान में कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर व कपिल कुमार द्वारा मृतक के हाथ पकड़ने तथा अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा मृतक के पैर पकड़ने का उल्लेख किया गया है और पकड़कर मृतक को जमीन पर नीचे गिराने का भी उल्लेख किया गया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा मृतक की कुल्हाड़ी से गर्दन काट देने का उल्लेख किया गया है । ऐसी दशा में प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की संलिप्तता सिद्ध है । प्रस्तुत मामले में यदि अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा मृतक को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई है तो मात्र उक्त आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की कथित घटना में संलिप्तता के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यही साबित है कि कथित घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार तथा अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर व कपिल कुमार द्वारा मृतक को पकड़ लिया गया तथा उसे नीचे गिरा लिया गया तत्पश्चात् अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट दी । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की संलिप्तता के संबंध में संदेह का कोई आधार नहीं पाया जाता है । अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की ओर से प्रस्तुत की गई विधि व्यवस्था, मुन्ना एवं अईया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में घटना के एक दिन पूर्व मृतक नफीस का विवाद अपीलार्थी/अभियुक्त मुन्ना से हुआ था तत्पश्चात् घटना के दिन मृतक नफीस को अपीलार्थी/अभियुक्त

मुन्ना व उसका भाई अईया अभियोजन साक्षी संख्या-1 इस्लामउल्ला के बैठक से पकड़कर गली में ले गए । अपीलार्थी/अभियुक्त मुन्ना के पास चाकू तथा अपीलार्थी/अभियुक्त अईया के पास रेजर था । अपीलार्थी/अभियुक्त अईया ने मृतक को रेजर से कोई चोट नहीं पहुंचाई लेकिन अपीलार्थी/अभियुक्त मुन्ना ने चाकू से मृतक के पेट में चोट पहुंचाई थी जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई थी। उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त अईया को यह आभास नहीं था कि उसका भाई मुन्ना मृतक को चाकू से घातक चोट पहुंचा देगा । उसका मात्र मारपीट व चोट पहुंचाने का आशय पाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त अईया को धारा 302/34 भा. दं. सं. के स्थान पर धारा 326/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दण्डित किया गया । 1983 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 601, राणा प्रताप एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में अपीलार्थी मनमोहन एवं मृतक के बीच मन मुटाव चल रहा था। मृतक ने घटना के कुछ दिन पहले अपीलार्थी मनमोहन को गाली-गलौज किया था व थप्पड़ भी मारा था । घटना के दिन मृतक तथा उसका भाई यशपाल अपने दुकान की सफाई करने जा रहे थे तभी रास्ते में मनमोहन, राणा प्रताप तथा सतपाल मिले । मनमोहन ने चिल्लाकर कहा कि आज मृतक को सबक सिखाएंगे क्योंकि उसने उसका अपमान किया था । राणा प्रताप तथा सतपाल ने मृतक को पकड़ लिया तथा मनमोहन ने चाकू से मृतक के पेट में दाहिने तरफ सीने के बाईं तरफ तथा बाएं कंधे पर चोट पहुंचा दी । मृतक को अस्पताल ले जाया गया बाद में वहां पर उसकी मृत्यु हो गई । उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण राणा प्रताप तथा सतपाल से कोई मन मुटाव होने के बारे में साक्ष्य नहीं था तथा साक्ष्य से यह भी साबित नहीं था कि राणा प्रताप व सतपाल, मृतक को मनमोहन द्वारा चाकू से चोट पहुंचाने तक पकड़े रहे हों तथा यह भी साबित नहीं था कि राणा प्रताप और सतपाल मृतक की हत्या कारित करना चाहते हों । मनमोहन ने यह नहीं कहा था कि मृतक को समाप्त करने जा रहे हैं उसने केवल यह कहा था कि आज वह उसे सबक सिखाएगा । इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हत्या का सामान्य आशय न पाते हुए तथा गम्भीर चोट पहुंचाने का सामान्य आशय पाते हुए राणा प्रताप तथा सतपाल को भा. दं. सं. की धारा 302/34 के स्थान पर धारा 326/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दण्डित किया गया । उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में यह घटना मृतक के खेत की बताई गई है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर मृतक के खेत पर जाना तथा उसका हाथ व पैर पकड़ कर जमीन पर गिरा लेना और अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा कुल्हाड़ी से मृतक की गर्दन काट देना ये सब परिस्थितियां साबित करती हैं कि इस घटना में सभी

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का हत्या का सामान्य आशय रहा है और मृतक की हत्या करने के आशय से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मृतक के खेत पर गए और वहां पर मृतक को पकड़ कर जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन काट दी तथा उसका सिर गायब करने के आशय से ले गए । ऐसी दशा में स्पष्ट में है कि प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण उक्त विधि व्यवस्थाओं का कोई लाभ अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार को प्राप्त नहीं होता है । उपरोक्त समस्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यह भली-भांति सिद्ध है कि कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर, चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार ने एक राय होकर मृतक की गर्दन काट कर हत्या कर दी तथा गवाहों को जान से मारने की धमकी दी तथा मृतक का सिर गायब करने के आशय से मौके से उठा ले गए । तद्नुसार अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर, चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार के विरुद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 302/34, 201 व 506 भा. दं. सं. संदेह से परे सिद्ध है । ऐसी दशा में विचारण न्यायालय द्वारा जो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 302/34, 201 व 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत दोषी पाया गया है । उसमें हम कोई विधिक त्रुटि व अनियमितता नहीं पाते हैं । तद्नुसार अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर, चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार की धारा 302/34, 201 व 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है । जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो प्रस्तुत मामले में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए तथा यह पाते हुए कि मृतक की गर्दन अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा कुल्हाड़ी (कसला) से काटी गई है एवं अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा पूर्व में भी अपने पिता के पिता (दादा) की हत्या की गई थी । उक्त मामले में वह साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था । तद्नुसार अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर की भूमिका को अधिक गंभीर पाते हुए उसे प्रस्तुत मामले में धारा 302/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड तथा दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है एवं अन्य अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार को धारा 302/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा सभी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 201 भा. दं. सं. के

अन्तर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से तथा पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से भी दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने हेतु आदेश पारित किया गया । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा इस घटना के पूर्व अपने पिता के पिता (दादा) की हत्या कारित करने के तथ्य की पुष्टि हो सके । विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्वयं यह उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर दोषमुक्त हो चुका है । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि इस प्रकरण की परिस्थितियां इस तरह की नहीं हैं कि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाए । जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर मृतक की हत्या कारित करना बताया गया है तथा यह घटना एक खेत की है । इस प्रकरण में इस तरह की परिस्थितियां भी नहीं हैं कि इस अपराध से समाज पर कोई घातक असर पड़ता हो । यह प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी दशा में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को दी गई मृत्यु दण्ड की सजा विधि संगत नहीं है । इसके विपरीत विद्वान् शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने एक राय होकर मृतक की गर्दन काटकर हत्या कारित की है । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर इस घटना के पूर्व अपने पिता के पिता (दादा) की भी हत्या कर चुका है और उसने पुनः अपने पिता की स्वयं अपनी मां एवं भाई के सामने गर्दन काटकर हत्या कारित की है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के विरुद्ध पारित मृत्यु दण्ड का आदेश विधि संगत है । उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में मृतक की हत्या जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर करना बताया जाता है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर तथा चन्द्र शेखर मृतक पर जमीन के बंटवारा हेतु दबाव डाल रहे थे । मृतक बैंक के ऋण के अदायगी के पूर्व जमीन का बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं था । घटना के समय मृतक अपने पुत्र सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार (अभियोजन साक्षी संख्या 2) के साथ रहता था । चूंकि इस घटना के पीछे जमीन का विवाद बताया जाता है और जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर मृतक की हत्या करना

बताया गया है । इस घटना के पूर्व अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा अपने पिता के पिता (दादा) की हत्या करने के संबंध में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं की गई है । अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि उसके ससुर के केस में उसके बेटे मुलजिम थे जो छूट गए थे । गांव वालों ने झूठी रिपोर्ट लिखाई थी । इससे यह जाहिर होता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के विरुद्ध पूर्व में अपने पिता के पिता (दादा) की हत्या के मामले में कोई मुकदमा चला भी है तो वह उसमें दोषमुक्त हो चुका है । चूंकि मृतक तथा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर तथा चन्द्र शेखर के बीच में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था और इसी कारण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक की हत्या कारित करना बताया जाता है । ऐसी दशा में प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से यह प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है । इस केस के तथ्य एवं परिस्थितियां इस तरह की नहीं हैं कि इस प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त माना जा सके । इस केस की गुरुत्तरकारी परिस्थितियां तथा न्यूनकारी परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त हमारे विचार से प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को मृत्य दण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । मोहिन्दर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त जो अपनी पुत्री के बलात्कार के मामले में 12 वर्ष की सजा काट रहा था । पैरोल पर छूटकर आया था और उसने अपनी पत्नी तथा पुत्री जिसके साथ बलात्कार करने की बात कही गई थी कि कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी थी । उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को धारा 302 भा. दं. सं. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड की सजा दी गई । जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील योजित की जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाते हुए कि अपीलार्थी एक गरीब व्यक्ति था और अपनी पत्नी द्वारा घर से निकाले जाने पर एक किराए के मकान में रह रहा था तथा उसके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था । उक्त प्रकरण के समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के मृत्यु दण्ड को कठोर आजीवन कारावास के रूप में परिवर्तित करते हुए यह आदेश पारित किया कि अपीलार्थी अपने शेष बचे हुए जीवन तक जेल में निरुद्ध रहेगा । रमेश भाई चन्दू भाई राथौड़ बनाम गुजरात राज्य के मामले में एक 28 वर्षीय युवक जो वाचमैन था । उसने कक्षा चार में पढ़ने वाली छात्रा का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी । उक्त

प्रकरण में अन्य धाराओं में सजा के साथ-साथ धारा 302 भा. दं. सं. के अन्तर्गत अभियुक्त को मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी । तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करते हुए उसे सम्पूर्ण जीवन तक जेल में रखने का आदेश पारित किया । नील कुमार **उर्फ** अनिल कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपनी चार वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी । उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया था जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा कर दी गई थी । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/अभियुक्त ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील योजित की । तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के मृत्यु दण्ड को अपास्त करके आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त कम से कम 30 वर्ष तक जेल में निरुद्ध रहेगा । लेहना बनाम हरियाणा राज्य के मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त ने जमीन के विवाद को लेकर अपनी मां, भाई तथा भाभी की हत्या कर दी थी । उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया था जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा कर दी गई थी तत्पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह पाते हुए कि अपीलार्थी/अभियुक्त को उसके पिता द्वारा जो जमीन दी गई थी वह वापस ले ली गई थी जिसके लिए अपीलार्थी/अभियुक्त अपने भाई व भाभी को जिम्मेदार मानता था तथा जिसके कारण विवाद होता था । इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त के मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया । (पैरा 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49 और 50)

अबसार आलम **उर्फ** अफसार लम बनाम बिहार राज्य के मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपनी मां की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी और शव को घर पर छोड़कर वह मृतका के सिर को लेकर भाग गया था । इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया था जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी तत्पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में यह पाते हुए कि अपीलार्थी/अभियुक्त की पत्नी घटना के 2-3 दिन पहले अपने मायके भाग गई थी और जिसके लिए अपीलार्थी/अभियुक्त अपनी मां को दोषी मानता था और इसी बात को लेकर क्रोधित होने के कारण उसने अपनी मां की

गर्दन काट डाली थी और उसका (मृतका) का सिर लेकर भाग गया था । अपीलार्थी/अभियुक्त एक अनपढ़ देहाती एवं सीधा-साधा किसान था जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका इसके कारण उसने अपनी मां की गर्दन काटकर हत्या कर दी । उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया । उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में जमीन का विवाद था । मृतक के पास 18 बीघा तथा उसकी पत्नी के नाम 2 बीघा जमीन थी । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर, चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर जमीन के बंटवारा हेतु मृतक से कह रहे थे लेकिन मृतक बैंक ऋण के अदायगी के पूर्व जमीन बांटने के लिए तैयार नहीं था । साक्ष्य में यह भी आया है कि इस घटना के एक दिन पूर्व दिनांक 2.11.2010 को गन्ना काटने की बात को लेकर विवाद हुआ था जिसके कारण पुलिस ने सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार अभियोजन साक्षी संख्या 2 तथा उक्त अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण राम किशोर व चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर को बंद कर दिया था जो उसी दिन एस. डी. एम. धामपुर के यहां से जमानत पर छूटे थे । चूंकि मृतक तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर व चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के बीच जमीन का विवाद था और इसी कारण अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण राम किशोर व चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर कथित घटना के समय अन्य अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक की हत्या कर दी । इस घटना के पूर्व अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा अपने पिता के पिता (दादा) की हत्या करने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है । फिर उसे उक्त प्रकरण में दोषमुक्त होना बताया गया है । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर एक शादी शुदा व्यक्ति है तथा उसके बच्चे भी हैं । पत्रावली पर इस तरह की ऐसी कोई परिस्थिति उपलब्ध नहीं है जिससे कि भविष्य में उसके जीवन में सुधार आना सम्भव न हो । ऐसी दशा में हमारे विचार से प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है और प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को मृत्यु दण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा । तद्नुसार अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के विरुद्ध पारित मृत्यु दण्ड का आदेश अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को धारा 302/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अर्थदण्ड यथावत् रहेगा तथा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के विरुद्ध धारा 201 एवं 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पारित दण्डादेश की पुष्टि की

जाती है । तद्नुसार अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर की अपील आंशिक रूप से मृत्यु दंड के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है । (पैरा 57, 58 और 64)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 3 एस. सी. सी. 294 : **मोहिन्दर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	59
[2012]	(2012) 2 एस. सी. सी. 728 : **अबसार आलम** उर्फ **अफसार आलम** बनाम **बिहार राज्य** ;	63
[2012]	(2012) 5 एस. सी. सी. 766 : **नील कुमार** उर्फ **अनिल कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	61
[2011]	(2011) 2 एस. सी. सी. 36 : **हिमांशु** उर्फ **चिन्टू** बनाम **राज्य** (**एन. सी. टी. दिल्ली**) ;	26,31
[2011]	(2011) 2 एस. सी. सी. 764 : **रमेश भाई चन्दू भाई राथौड़** बनाम **गुजरात राज्य** ;	60
[2006]	(2006) 2 एस. सी. सी. 450 : **राधा मोहन सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	31
[2002]	(2002) 3 एस. सी. सी. 76 : **लेहना** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	62
[1999]	(1999) 8 एस. सी. सी. 624 : **कोली लक्ष्मण भाई चना भाई** बनाम **गुजरात राज्य** ;	26,31
[1993]	(1993) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 798 : **मुन्ना एवं अईया** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	25,51
[1991]	(1991) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 916 : **खुज्जी** उर्फ **सुरेन्द्र तिवारी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	26,30

[1983]	(1983) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 601 : **राणा प्रताप एवं अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य ;**	25,52
[1976]	(1976) 1 एस. सी. सी. 727 : **सतपाल** बनाम **दिल्ली एडमिनिट्रेशन ;**	26
[1922]	ए. आई. आर. 1922 प्रिवी कौंसिल 409 : **बैकुंठ नाथ** बनाम **प्रसन्नामोई** ।	26

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 6631 और 6965.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री मुख्तार आलम और पी. एस. पुंडीर

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सुखेन्दु पाल सिंह अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बच्चू लाल ने दिया ।

न्या. बच्चू लाल – अपीलार्थी राम किशोर ने कैपिटल दाण्डिक अपील संख्या 6967 वर्ष 2011, अपीलार्थी अनिल कुमार ने दाण्डिक अपील संख्या 6631 वर्ष 2011 तथा अपीलार्थीगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर एवं कपिल कुमार ने दाण्डिक अपील संख्या 6965 वर्ष 2011, श्री सुभाष चन्द (बत्रा) सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 173 वर्ष 2011 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 9.11.2011 के विरुद्ध योजित की है । जिसके द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को धारा 302/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड तथा दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 201 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार को धारा 302/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 201 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में सभी अपीलार्थीगण को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा ।

2. सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर के मृत्यु दण्ड की पुष्टि हेतु संदर्भ संख्या 16 वर्ष 2011 प्रेषित किया गया है ।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा रामकली ने एक तहरीर मोहम्मद आफाक पुत्र अब्दुल मजीद से लिखवाकर दिनांक 3.11.2010 को समय 17.00 बजे थाना अफजलगढ़ जिला बिजनौर में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि वादिनी के तीन बेटा हैं सबसे बड़ा लड़का राम किशोर उससे छोटा सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार व सबसे छोटा चन्द्र शेखर है । वह तथा उसके पति सौनाथ अपने लड़के सुरेन्द्र के साथ रह रहे थे । उसके पति पर 18 बीघा जमीन थी तथा 2-1/2 बीघा जमीन उसके नाम है । उसके नाम की जमीन में गन्ना बोया हुआ था । वह तथा उसके पति सौनाथ खेत में गन्ना काट रहे थे कि आज दिनांक 3.11.2010 को उसका लड़का सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार भी खेत पर आ गया था उसका लड़का राम किशोर व चन्द्र शेखर जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद करते थे उसके पति पर बैंक का लोन था उसके पति कहते थे कि लोन अदा करके जमीन बांट देगें इसी बात को लेकर आज करीब 4.00 बजे दिन की बात है कि राम किशोर, चन्द्र शेखर जो उसके लड़के हैं व राम किशोर का लड़का कपिल तथा चन्द्र शेखर का साला अनिल कुमार अपने हाथों में कुल्हाड़ी व कसला लेकर आए कि उसके पति को गाली देते हुए चन्द्र शेखर व कपिल कुमार तथा चन्द्र शेखर के साले अनिल कुमार ने पकड़ लिया और राम किशोर ने कुल्हाड़ी से वार करके गर्दन काट कर धड़ से अलग कर दी उसने तथा उसके लड़के सुरेन्द्र ने ललकारा तो उन दोनों को जान से मारने की धमकी दी । उन दोनों के शोर मचाने पर अन्य बहुत से लोग आ गए थे । मुलजिमों के इस कार्य से अफरा-तफरी मच गई तथा लोग अपना सामान छोड़कर जगह-जगह छिप गए और उसके पति का सिर लेकर चारों एक राय होकर पश्चिम दिशा को चले गए । राम किशोर इससे पहले भी उसके ससुर छज्जू सिंह की हत्या कर चुका है । इन लोगों का गांव में भय व आतंक है । इसी कारण इनके विरुद्ध गवाही देने को कोई तैयार नहीं होता है । सूचना को आई हूं उसके पति की लाश मौके पर पड़ी है । रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें ।

4. वादिनी रामकली की तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 408 वर्ष 2010, धारा 302/504/506/34/201 भा. दं. सं. के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया । चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4 है तथा कायमी मुकदमा

से सम्बन्धित जी. डी. की प्रति प्रदर्श क-6 है ।

5. मामले की विवेचना अभियोजन साक्षी संख्या 9 अमर सिंह (थाना अध्यक्ष) द्वारा स्वयं ग्रहण की गई । उन्होंने विवेचना के दौरान नकल चिक व नकल रपट तथा वादिनी श्रीमती रामकली का बयान केस डायरी में अंकित किया तथा घटनास्थल पर जाकर अपने हमराही अभियोजन साक्षी संख्या 6 चन्द्र मुकुट शर्मा (उपनिरीक्षक) से मृतक का पंचायतनामा तैयार कराया । मृतक का पंचायतनामा प्रदर्श क-7 है तथा उससे सम्बन्धित संलग्न प्रपत्र, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक, चालान लाश, चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी, फोटो नाश, नमूना मोहर क्रमशः प्रदर्श क-8 लगायत प्रदर्श क-12 है । मृतक के शव को सर्व मोहर हालत में आरक्षी नरेश कुमार व आरक्षी शहादत अली के सुपुर्द कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया । अभियोजन साक्षी संख्या 6 चन्द्र मुकुट शर्मा (उपनिरीक्षक) द्वारा घटनास्थल से मृतक की एक जोड़ी चप्पल कब्जा पुलिस में लेकर सर्व मोहर कर उसकी फर्द प्रदर्श क-13 तैयार की गई तथा घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी पुलिस कब्जा में लेकर उसकी फर्द प्रदर्श क-14 तैयार की गई ।

6. विवेचनाधिकारी ने वादिनी श्रीमती रामकली के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-5 तैयार किया तथा दिनांक 4.11.2010 को तहरीर लेखक मोहम्मद आफाक एवं पंचायतनामे के गवाह हरपाल सिंह, रामशरण सिंह, बलवंत सिंह, जगदीश सिंह व धर्मवीर सिंह के बयान अंकित किए तथा उसी दिन आरक्षी जगपाल सिंह का भी बयान अंकित किया । दिनांक 5.11.2010 को गवाह सुरेन्द्र कुमार **उर्फ** सुनील कुमार का बयान अंकित किया । दिनांक 6.11.2010 को फर्द बरामदगी के गवाह अब्दुल मजीद व महेन्द्र सिंह के बयान अंकित किया तथा दिनांक 8.11.2010 को चन्द्र मुकुट शर्मा (उपनिरीक्षक) जिन्होंने मृतक का पंचायतनामा तैयार किया था का भी बयान अंकित किया तथा उसी दिन आरक्षी नरेश कुमार व आरक्षी शहादत हुसैन के बयान अंकित किया । दिनांक 12.11.2010 को अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर व चन्द्र शेखर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल चले गए थे । न्यायालय से अनुमति लेकर उपरोक्त अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का बयान जिला कारागार में अंकित किया । जिसमें उन्होंने आला कत्ल व मृतक का सिर बरामद कराने के लिए कहा । दिनांक 18.11.2010 को न्यायालय के आदेशानुसार अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर व चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । दिनांक 19.11.2010 को अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के निशानदेही पर एक अदद कुल्हाड़ी (कसला)

खून आलूदा बरामद किया गया तथा मौके पर कुल्हाड़ी (कसला) को सर्व मोहर कर उसकी फर्द प्रदर्श क-16 महेश चन्द्र शर्मा (उपनिरीक्षक) से तैयार कराया तथा विवेचनाधिकारी ने फर्द के गवाहान राम कुमार व सोनू कुमार व आरक्षी समरपाल सिंह, महेश चन्द्र शर्मा (उपनिरीक्षक) के बयान अंकित किया तथा विवेचनाधिकारी ने बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-17 अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के बताने पर कि उसने मृतक के सिर को नदी में डाल दिया है । मृतक के सिर की तलाश हेतु जाल डाल कर व तैराक द्वारा राम गंगा नहर भूतपुरी में की गई लेकिन मृतक का सिर बरामद नहीं हो सका ।

7. अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर ज्ञान चन्द, वरिष्ठ परामर्शदाता जिला चिकित्सालय बिजनौर द्वारा मृतक सौनाथ के शव का शव विच्छेदन दिनांक 4.11.2010 को समय 12.35 बजे दोपहर किया गया । मृतक सौनाथ की आयु 65 वर्ष थी । डाक्टर के अनुसार, मृतक औसत कद काठी का था । शव का सिर मौजूद नहीं था । चारों Limbs में मृत्यु पश्चात् की अकड़न मौजूद थी । मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्न चोटें पाई गईं :–

1. पांचवीं सरवाईकल वर्टीबेरा के लेविल पर कटे घाव Through and through मौजूद थे । शव का सिर गायब था ।

2. दाईं हसली की हड्डी के स्थान पर एक कटा घाव 4 सेमी. x 1 सेमी. हड्डी तक गहरा मौजूद था ।

3. नीलगू निशान 3 सेमी. x 1.5 सेमी. के आकार का चोट संख्या 1 के ठीक नीचे पीछे की ओर मौजूद था ।

8. आन्तरिक परीक्षण-पांचवीं वर्टीबेरा के स्थान से (लेविल से) सिर गायब था । लेरिंग्स व ट्रेकया सी. 5 लेविल से कटी हुई थी । अमाशय में 150 एम. एल. अधपचा भोजन मौजूद था विसरा पीले थे । डाक्टर के अनुसार, मृतक की मृत्यु लगभग एक दिन पूर्व मृत्यु पूर्व आई चोटों के कारण रक्तस्राव व सदमें के कारण सम्भव थी । डाक्टर ने बरवक्त मुआइना पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 को अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया ।

9. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कपिल व अनिल दिनांक 7.12.2010 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करके जेल चले गए थे । विवेचनाधिकारी ने उनका बयान दिनांक 10.12.2010 को जेल में जाकर अंकित किया तथा विवेचना संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर, चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार एवं अनिल कुमार के विरुद्ध

आरोप प्रदर्श क-18 धारा 302/201/504/506/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया ।

10. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का मुकदमा दिनांक 7.2.2011 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बिजनौर के द्वारा सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया ।

11. सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 सपठित धारा 34, 201 एवं 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गए । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इनकार किया गया तथा परीक्षण की मांग की गई ।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली (वादिनी मुकदमा), अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द **उर्फ** सुनील कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 3 नरेश कुमार (आरक्षी), अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर ज्ञान चन्द, वरिष्ठ परामर्शदाता, अभियोजन साक्षी संख्या 5 जगपाल सिंह (आरक्षी), अभियोजन साक्षी संख्या 6 चन्द्र मुकुट शर्मा (उपनिरीक्षक), अभियोजन साक्षी संख्या 7 सोनू कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 8 राम कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 9 अमर सिंह, थानाध्यक्ष/विवेचनाधिकारी को परीक्षित कराया गया है ।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द **उर्फ** सुनील कुमार तथ्य के साक्षी हैं ।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 3 नरेश कुमार (आरक्षी) मृतक के शव को सर्व मोहर हालत में शव विच्छेदन हेतु ले गए थे । इस साक्षी ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 3.11.2010 को वह थाना अफजलगढ़ पर आरक्षी के पद पर तैनात था तथा उसी दिन वह पुलिस बल के साथ ग्राम हीरापुर गोकुल **उर्फ** गढ़वावाला पर गया । खेत सौनाथ सिंह (मृतक) में मृतक की लाश पड़ी हुई थी । लाश पर सिर नहीं था । दरोगा चन्द्र मुकुट शर्मा ने शव का पंचायतनामा पंचाग नियुक्त कर तैयार किया था व अन्य कागजात भी तैयार किए थे । लाश को सर्व मोहर करके मय संबंधित कागजात के उसे व आरक्षी शहादत अली के सुपुर्द वास्ते कराने पोस्टमार्टम बाद हिदायत सुपुर्द किया गया था । वह शव को लेकर बिजनौर आया था । शव को अपनी कस्टडी में लेने के बाद से शव को पोस्टमार्टम हेतु देने तक शव उसकी कस्टडी में रहा किसी को छूने व छेड़ने नहीं दिया । बाद में पोस्टमार्टम उसे सील बन्द बंडल व लाश मिली थी । उसने लाश को परिजन को दे दिया था व बंडल थाने पर लाकर दिया था । इस साक्षी ने पंचायतनामा के अंतिम पृष्ठ पर बने अपने

हस्ताक्षर की पुष्टि की है ।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर ज्ञान चन्द, वरिष्ठ परामर्शदाता, द्वारा दिनांक 4.11.2010 को समय 12.35 बजे दोपहर मृतक सौनाथ आयु 65 वर्ष के शव का शव विच्छेदन किया गया था । इस साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है तथा यह भी कहा है कि मृतक की मृत्यु दिनांक 3.11. 2010 को शाम के लगभग 4.00 बजे होना संभव थी । यह भी बताया कि चोट नम्बर 1 व 2 धारदार हथियार मसलन कुल्हाड़ी से आना संभव है । चोट नम्बर 3 गिरने से आना संभव है ।

16. अभियोजन साक्षी संख्या 5 जगपाल सिंह (आरक्षी) ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 3.11.2010 को वह थाना अफजलगढ़ पर बतौर आरक्षी लिपिक के पद पर तैनात था । उस दिन समय 17.00 बजे श्रीमती रामकली मय हमराहियान के मय एक किता तहरीर के उपस्थित थाना आई थी । उसके द्वारा तहरीर के आधार पर चिक संख्या 197/10 शब्द व शब्द किता की थी । इस साक्षी द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया गया है तथा यह भी बताया है कि इसका खुलासा उसी दिन रोजनामचा आम में जी. डी. नम्बर 35 समय 17.00 बजे उसके द्वारा किया गया था । इस साक्षी के द्वारा मुकदमा कायमी से सम्बन्धित जी. डी. की प्रति प्रदर्श क-6 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया गया है ।

17. अभियोजन साक्षी संख्या 6 चन्द्र मुकुट शर्मा (उपनिरीक्षक) ने मृतक का पंचायतनामा तैयार किया था तथा घटनास्थल से मृतक की एक जोड़ी चप्पल (प्लास्टिक रंग काली) पुलिस कब्जा में लेकर उसकी फर्द तैयार की थी एवं घटनास्थल से सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी कब्जा पुलिस में लेकर सर्व मोहर करके उनकी फर्द तैयार की थी । इस साक्षी ने पंचायतनामा व उससे सम्बन्धित संलग्न प्रपत्र, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक, चालान लाश, चिट्टी मुख्य चिकित्साधिकारी, फोटो लाश व नमूना मोहर को क्रमशः प्रदर्श क-7 लगायत प्रदर्श क-12 के रूप में साबित किया है तथा मृतक की चप्पल कब्जा पुलिस में लेने से सम्बन्धित फर्द प्रदर्श क-13 तथा घटनास्थल से सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी कब्जा पुलिस में लेने से सम्बन्धित फर्द प्रदर्श क-14 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है ।

18. अभियोजन साक्षी संख्या 7 सोनू कुमार तथा अभियोजन साक्षी संख्या 8 राम कुमार को अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर के निशानदेही पर

बरामद कुल्हाड़ी (कसला) का साक्षी बताया जाता है । इन दोनों साक्षियों द्वारा अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा यह दोनों ही साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं ।

19. अभियोजन साक्षी संख्या 9 अमर सिंह (थाना अध्यक्ष) इस मुकदमे के विवेचक हैं । उन्होंने अपने द्वारा की गई विवेचना तथा विवेचना के दौरान तैयार किए गए कागजात, घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-15 तथा अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के निशानदेही पर बरामद कुल्हाड़ी (कसला) की फर्द महेश चन्द्र शर्मा (उपनिरीक्षक) के लेख में होना बताते हुए प्रदर्श क-16 के रूप में साबित किया है तथा बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-17 के रूप में साबित किया है । इस साक्षी द्वारा विवेचना संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था । इस साक्षी ने आरोप प्रदर्श क-18 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर उर्फ शेखर के निशानदेही पर बरामद कसला (कुल्हाड़ी) को वस्तु प्रदर्श-1 तथा मृतक की चप्पल को वस्तु प्रदर्श-2 व प्रदर्श-3 तथा घटनास्थल से ली गई सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी को वस्तु प्रदर्श-4 व वस्तु प्रदर्श-5 के रूप में साबित किया है ।

20. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दं. प्र. सं. के अन्तर्गत अंकित किया गया जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए झूठा फंसाया जाना बताया है । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने अपने बयान में यह बताया है कि सुरेन्द्र (अभियोजन साक्षी संख्या 2) उसके हिस्से की जमीन हड़पना चाहता है इसलिए उसे व उसके बेटे कपिल (मुलजिम) को इस केस में झूठा फंसा दिया है । अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर ने अपने बयान में यह कहा है कि सुरेन्द्र सारी जमीन हड़पना चाहता है उसी ने झूठा फंसाया है । सुरेन्द्र ने सारे पेड़ कटवा दिए और पिताजी की सारी जमीन ठेके पर दे दी है और अपने ससुराल चला गया है । मां (रामकली) अब 2-3 महीने से उसके पास रह रही है । मां ने उसे बताया था कि यह सारी कार्यवाही सुरेन्द्र ने ही उससे करवाई है । अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार ने अपने बयान में यह कहा है कि वह प्रधानी का चुनाव लड़ रहा था । वह कथित घटना के दिन व समय पर अपने गांव में मीटिंग कर रहा था ।

21. अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की ओर से अपनी सफाई में बचाव साक्षी संख्या 1 श्रीमती ववित्ता (अपनी पत्नी) तथा बचाव साक्षी संख्या 2 अमर सिंह को परीक्षित कराया गया है ।

22. विद्वान् सत्र न्यायाधीश, बिजनौर ने उभय पक्ष को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 302/34, 201, 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को धारा 302/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड तथा दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 201 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार को धारा 302/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 201 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया है । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा । जिससे क्षुब्ध होकर उपरोक्त अपीलें अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से इस न्यायालय में योजित की गई हैं ।

23. हमने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता श्री पी. एन. मिश्र एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री पी. एस. पुंडीर तथा वादिनी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री सुखेन्दु पाल सिंह एवं राज्य की ओर से विद्वान् शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश सिंह को सुना । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रश्नगत निर्णय व आदेश का भली-भांति अवलोकन किया । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण तथा राज्य की ओर से दाखिल की गई लिखित बहस का भी सम्यक् अवलोकन किया ।

24. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है । घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से किसी निष्पक्ष साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली मृतक की विधवा है तथा वादिनी मुकदमा है । इस साक्षी ने अपने बयान में अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है और यह साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुई है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार की कथित घटना के समय मौके पर उपस्थिति सिद्ध नहीं है तथा उसकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । कथित घटना के दिन अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार द्वारा विद्यालय में पढ़ाने जाने की बात कही गई है लेकिन पत्रावली पर इस तरह का कोई साक्ष्य उपलब्ध

नहीं है जिससे कि उसके द्वारा विद्यालय से छुट्टी लेकर 4.00 बजे शाम के पूर्व उसका घटनास्थल पर पहुंचना सिद्ध हो सके । यह भी तर्क रखा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि सारी कार्यवाही अभियोजन साक्षी सख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार के द्वारा कराई गई है इसके बावजूद भी विद्वान् विचारण न्यायालय ने उपरोक्त अभियोजन साक्षी संख्या 2 की साक्ष्य पर विश्वास व्यक्त करके महान भूल की है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को अभियोजन साक्षी संख्या 2 ने मृतक की सम्पूर्ण सम्पत्ति को हड़पने के आशय से झूठा फंसाया है । यह भी तर्क रखा गया कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी सख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार की साक्ष्य से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं है । ऐसी दशा में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश विधि संगत नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से घटना का जो हेतुक रखा गया है वह भी साक्ष्य से साबित नहीं है । अभियोजन साक्षी सख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने अपने प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर, चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, नौकरी करते थे तथा अपीलार्थी/अभियुक्त कपिल कुमार जॉब करता था । ऐसी दशा में जमीन के बंटवारे की कोई आवश्यकता नहीं थी । अभियोजन की ओर से घटना के पीछे जो कारण बताया गया है वह स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है । ऐसी दशा में अभियोजन पक्ष की ओर से जो घटना का हेतुक रखा गया है वह सिद्ध नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से जिस तरह से घटना घटित होने का उल्लेख किया गया है वह स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है क्योंकि मृतक एक 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति था तथा उसकी हत्या कोई भी एक व्यक्ति आसानी से कर सकता था तथा घटना के समय उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी । ऐसी दशा में इस घटना में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार द्वारा जो मृतक को पकड़ने की बात कही गई है वह संदेह से परे विश्वसनीय नहीं है । यह भी तर्क रखा गया है कि विवेचनाधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार एवं अनिल कुमार के कपड़े पुलिस कब्जा में नहीं लिए गए । कथित घटना के समय उनके कपड़ों पर खून पाए जाने की सम्भावना थी लेकिन विवेचनाधिकारी द्वारा उक्त अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के कपड़ों को पुलिस कब्जा में नहीं लिया गया । यह भी तर्क रखा गया है कि

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार द्वारा मृतक को कोई चोट पहुंचाना नहीं बताया गया है यदि इस घटना में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार की संलिप्तता रही होती तो निश्चित रूप से वे मृतक को चोट पहुंचा सकते थे । ऐसी दशा में कथित घटना में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार की संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है । यह भी तर्क रखा गया कि गवाहान द्वारा जो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा धमकी देने की बात कही गई है वह भी स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है क्योंकि जब गवाह निहत्थे थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण गवाहान को भी क्षति पहुंचा सकते थे तथा उन्हें भी चोट पहुंचा सकते थे लेकिन कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा गवाहान को न तो कोई क्षति कारित की गई और न ही उन्हें चोट पहुंचाई गई । ऐसी दशा में कथित घटना के समय अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार की उपस्थिति संदेह से परे सिद्ध नहीं होती है बल्कि यही प्रकट होता है कि यह घटना किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं देखी गई है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के निशानदेही पर मृतक की हत्या में प्रयुक्त एक अदद कुल्हाड़ी की बरामदगी बताई जाती है लेकिन वह भी सिद्ध नहीं है । अभियोजन साक्षी संख्या 7 सोनू कुमार तथा अभियोजन साक्षी संख्या 8 राम कुमार को कथित बरामदगी का साक्षी होना बताया गया है लेकिन उपरोक्त दोनों साक्षियों ने अपने बयान में कथित बरामदगी के तथ्य की पुष्टि नहीं की है और उक्त दोनों साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा बरामद कुल्हाड़ी पर मानव रक्त भी नहीं पाया गया है । ऐसी दशा में कथित बरामदगी की संदेह से परे पुष्टि नहीं होती है । यह भी तर्क रखा गया है कि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की संलिप्तता सिद्ध नहीं है तथा धारा 201 भा. दं. सं. का अपराध उनके विरुद्ध नहीं बनता है तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक की हत्या कारित की हो । ऐसी दशा में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश विधि संगत नहीं है तथा निरस्त होने योग्य है और अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं ।

25. अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार निर्दोष है

उसे झूठा फंसाया गया है तथा उसकी कथित अपराध में संलिप्तता सिद्ध नहीं है । अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार का आवास घटनास्थल से करीब 70 कि. मी. की दूरी पर है तथा कथित घटना के समय वह अपने आवास पर चुनाव के समीक्षा के संबंध में मीटिंग कर रहा था तथा उस मीटिंग में उसके आवास पर करीब 50-60 लोग मौजूद थे । अपीलार्थी/अभियुक्त को मात्र अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर का रिश्तेदार (साला) होने के आधार पर झूठा फंसाया गया है । अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतक को कोई चोट पहुंचाया जाना भी नहीं बताया गया है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त की कथित घटना में संलिप्तता सिद्ध नहीं है । यह भी तर्क रखा गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार के संबंध में कोई हेतुक नहीं है । मृतक की हत्या जमीन के विवाद को लेकर बताई गई है लेकिन अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार का कथित जमीन से कोई लेना देना नहीं है और न ही वह उक्त जमीन का लाभार्थी है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त की कथित घटना में संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है । अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में **मुन्ना एवं अईया** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] तथा **राणा प्रताप एवं अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] के दृष्टांत भी प्रस्तुत किए गए हैं ।

26. इसके विपरीत राज्य की ओर से विद्वान् शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश सिंह द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश साक्ष्य पर आधारित है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं अभिलेखों पर विचार करने के उपरान्त अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को कथित अपराध के लिए दोषी पाया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि एवं अनियमितता नहीं है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं तथा इस घटना के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक की पत्नी श्रीमती रामकली द्वारा घटना के तुरन्त बाद उसी दिन दिनांक 3.11.2010 को समय 5.00 बजे शाम थाना पर दर्ज कराई गई है । यह दिन दहाड़े की घटना है तथा कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने एक राय होकर जमीन के बंटवारे को लेकर एक वृद्ध व्यक्ति की निर्ममतापूर्वक हत्या कारित की है तथा उसका सिर धड़ से काटकर अलग कर दिया था और अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मृतक के सिर को लेकर मौके से चले गए । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द **उर्फ** सुनील कुमार इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जो कथित घटना के समय मौके पर उपस्थित थे ।

---

[1] (1993) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 798.

[2] (1983) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 601.

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर तथा चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर मृतक के पुत्र हैं तथा अपीलार्थी/अभियुक्त कपिल कुमार अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर का पुत्र है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार, अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर का सगा साला है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने यह घटना एक राय होकर सुनियोजित ढंग से कारित की है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली व अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार की घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थिति सिद्ध है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया है तथा उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में मृतक की हत्या अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित करने का उल्लेख किया है । उक्त अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली की मुख्य परीक्षा दिनांक 4.5.2011 को अंकित की गई थी लेकिन उक्त तिथि पर दिनांक 4.5.2011 को इस साक्षी से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपृच्छा नहीं की गई तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के स्थगन आवेदन पर प्रतिपृच्छा हेतु 13.5.2011 नियत की गई । तत्पश्चात् दिनांक 13.5.2011 को प्रतिपृच्छा हेतु दिनांक 18.5.2011 नियत की गई । दिनांक 18.5.2011 को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से इस साक्षी से प्रतिपृच्छा की गई जिसमें इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया । इस साक्षी से एक लम्बे अंतराल के बाद प्रतिपृच्छा की गई है तथा उपलब्ध परिस्थितियों से यही प्रकट होता है कि उक्त अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपनी प्रतिपृच्छा में अभियोजन कथानक का समर्थन अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के दबाव के कारण नहीं किया है । उक्त संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में समुचित रूप से विचार किया गया है । ऐसी दशा में उक्त साक्षी का मात्र प्रतिपृच्छा के दौरान पक्षद्रोही घोषित होने के कारण उसके साक्ष्य को पूर्णतः अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । विद्वान् शासकीय अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में **बैकुंठ नाथ** बनाम **प्रसन्नामोई**[1], **सतपाल** बनाम **दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन**[2], **खुज्जी** उर्फ **सुरेन्द्र तिवारी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[3], **कोली लक्ष्मण भाई चना भाई** बनाम **गुजरात राज्य**[4], **हिमांशु** उर्फ **चिन्टू** बनाम **राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)**[5] के दृष्टांत प्रस्तुत

---

[1] ए. आई. आर. 1922 प्रिवी कौंसिल 409.

[2] (1976) 1 एस. सी. सी. 727.

[3] (1991) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 916.

[4] (1999) 8 एस. सी. सी. 624.

[5] (2011) 2 एस. सी. सी. 36.

किए हैं ।

27. विद्वान् शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मामले में जो घटना का हेतुक रखा गया है वह साक्ष्य से साबित है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मृतक पर जमीन के बंटवारे के लिए दबाव डाल रहे थे । मृतक बैंक के ऋण की अदायगी के पूर्व जमीन का बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं था इसी कारण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक की हत्या कारित कर दी । यह भी तर्क रखा गया है कि मृतक की हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी (कसला) अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर की निशानदेही पर बरामद की गई थी । विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उक्त कुल्हाड़ी (कसला) पर रक्त पाया गया है । प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक की पत्नी श्रीमती रामकली द्वारा घटना के तुरन्त बाद थाना पर अंकित कराई गई है । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश समुचित विवेचना पर आधारित है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

28. उल्लेखनीय है कि घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने (दिनांक 4.5.2011 को अंकित) अपने बयान में कहा है कि उसके तीन लड़के राम किशोर उससे छोटा सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार व सबसे छोटा चन्द्र शेखर है । तीन लड़कियां हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं । जिस समय की घटना है उस समय उसके पति के पास 18 बीघा व उसके नाम पर 2 बीघा जमीन थी । घटना के दिनों में वह व उसके पति अपने लड़के सुरेन्द्र के साथ रह रहे थे । उसके पति ने अपनी जमीन पर बैंक से कर्ज ले रखा था । जमीन के बंटवारे के लिए उसके पति पर राम किशोर व चन्द्र शेखर दबाव डाल रहे थे । उसके पति कहते थे कि जब तक बैंक का कर्ज अदा नहीं हो जाता तब तक बंटवारा नहीं करूंगा । राम किशोर व चन्द्र शेखर किसी भी तरह से फैसले को तैयार नहीं थे और कहते थे कि उन्हें जमीन ही चाहिए और इसी वजह से रंजिश मानते थे । राम किशोर के लड़के का नाम कपिल है व अभियुक्त अनिल, चन्द्र शेखर का साला है । अब से करीब छह महीने पहले की बात है जाड़े का मौसम था उसके पति 11.00 बजे सुबह खेत पर गन्ना छीलने गए थे तब राम किशोर

व चन्द्र शेखर ने गन्ना छीलने नहीं दिया था तो उसके पति घर वापस आ गए थे । फिर करीब 2 घण्टे बाद प्रदीप व उसके पति गन्ना छीलने गए थे । कुछ देर बाद प्रदीप, जो उसका धेवता है वापस आ गया था । करीब 4.00 बजे से कुछ पहले उसका लड़का सुनील **उर्फ** सुरेन्द्र स्कूल से पढ़ाकर खेत पर आ गया था । करीब शाम के 4.00 बजे राम किशोर, चन्द्र शेखर, कपिल व अनिल उसके खेत पर आए । राम किशोर के हाथ में कुल्हाड़ी थी । चन्द्र शेखर ने उसके पति का दायां हाथ और कपिल ने बायां हाथ पकड़ लिया तथा अनिल ने पैर पकड़ लिए और उसके पति को नीचे गिरा लिया तथा राम किशोर ने कुल्हाड़ी से मार कर उसके पति की नाड़ (गर्दन) काट दी । उन लोगों को भी धमकियां दीं । उसके पति के सिर को लेकर चारों लोग पश्चिम की तरफ भाग गए । सिर राम किशोर के हाथ में था । जिस खेत की घटना है उसमें गन्ने की फसल थी और यह नहर से पूर्व नहर की पटरी से मिला हुआ है । यह घटना नहर की पटरी से मिली हुई अंदर को हुई थी । उसने इस घटना की तहरीर बोल-बोल कर जैसी घटना हुई थी मोहम्मद आफाक से लिखाई थी और तहरीर पर सुनकर अपना अंगूठा लगाया था और तहरीर सुनकर थाने पर दी थी । इस साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित किया है । यह भी कहा है कि चारों मुलजिमान हाजिर अदालत हैं । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा (अंकित दिनांक 18.5.2011) में यह कहा है कि उसके पति से बंटवारे को लेकर झगड़ा कौन-कौन करते थे उसे नहीं पता है । जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन वह घर पर थी उसे घर पर अपने पति के कत्ल होने की जानकारी मिली थी । इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने हरपाल को भेजकर सुरेन्द्र को स्कूल से बुलवाया था । सुरेन्द्र के आने के बाद वह खेत पर गई थी । खेत पर पहुंचकर अपने पति की लाश देखी थी । अनिल कुमार उसके गांव का रहने वाला नहीं है दूसरे गांव का है । वह आज थाने से आई है । पुलिस वाले उसे उसकी मां के घर बढापुर से लेकर आए थे । रात को वह थाने पर ही रुकी थी । पुलिस वालों ने उसे नहीं बताया कि क्या बयान अदालत में देना है । उसे पहले बयान के समय पुलिस वालों ने डराया था और बताया था कि ऐसा बयान देना है और पुलिस वालों ने कहा था कि उनके अनुसार बयान नहीं दिया तो बंद कर देंगे । पुलिस के डर के कारण उसने पहले अदालत में बयान दिया था । वह आफाक नाम के किसी आदमी को नहीं जानती है । उसने आफाक नाम के किसी व्यक्ति को नहीं बताया था कि उसके पति का कत्ल कैसे-कैसे हुआ था । पुलिस वाले गांव में आए थे उसका किसी कागज पर अंगूठा लगवाया था । उसे नहीं पता कि उसमें क्या लिखा था और न ही उसे पढ़कर सुनाया गया था । इस स्तर पर यह साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुई है । अभियोजन पक्ष की ओर से की गई प्रतिपृच्छा में इस साक्षी ने कहा है कि यह सही है कि उसके पति का कत्ल हुआ था ।

उसके पति के कत्ल के केस में उसके दो लड़के एक पोता तथा एक लड़के का साला करीब छह माह पहले जेल गए थे । अनिल करीब एक माह पहले जमानत पर छूटा कि नहीं उसे यह नहीं पता है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह भी कहा है कि उसने आज पहली बार अदालत में यह बयान दिया है कि उसने घटना नहीं देखी है और पुलिस वालों ने उसका कागजों पर बिना सुनाए व बताए अंगूठा लगवाया था । उसने इस बाबत कहीं कोई दरखास्त नहीं दी थी । वह चाहती है कि मुलजिमान जो उसके परिवार के हैं छूट जावें और राजी-खुशी रहें । इस साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि वह आज अदालत में गलत बयान दे रही है और उसका पहला बयान सही था । इस साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि जो मुलजिमान जमानत पर छूट गए हैं उनके दबाव के कारण वह आज गलत बयानी कर रही है । यह भी बताया कि अदालत में पहले उसके बयान के दिन उसके साथ पुलिस वाले नहीं आए थे । आज पुलिस वाले उसके साथ आए हैं। उसने पहले बयान देते समय यह नहीं बताया था कि वह डर व दबाव के कारण बयान दे रही है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से की गई प्रतिपृच्छा में इस साक्षी ने यह बताया है कि पहले बयान के दिन उसे पुलिस ने थाने पर धमकाया था आज नहीं धमकाया है । उसके ससुर के केस में उसके बेटे मुलजिम थे जो छूट गए थे । गांव वालों ने झूठी रिपोर्ट लिखवा दी थी ।

29. उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है लेकिन प्रतिपृच्छा में इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अपनी प्रतिपृच्छा के दौरान यह साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुई है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपनी प्रतिपृच्छा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है । ऐसी दशा में इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाता है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली की साक्ष्य से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की संदेह से परे पुष्टि नहीं होती है । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली की साक्ष्य को पूर्णतः अविश्वसनीय मान लेना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली की मुख्य परीक्षा दिनांक 4.5.2011 को अंकित की गई थी जिसमें उसने अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया है लेकिन दिनांक 4.5.2011 को इस साक्षी से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपृच्छा नहीं की गई तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के स्थगन आवेदन पर इस साक्षी से प्रतिपृच्छा हेतु 13.5.2011 की तिथि नियत की गई । तत्पश्चात् दिनांक 18.5.2011 इस साक्षी की प्रतिपृच्छा हेतु नियत की गई । अन्ततः दिनांक 18.5.2011

को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से इस साक्षी से प्रतिपृच्छा की गई जिसमें इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया जिसके कारण प्रतिपृच्छा के दौरान यह साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुई है । चूंकि इस साक्षी से एक लम्बे अंतराल के बाद अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण की ओर से प्रतिपृच्छा की गई है जिससे यह जाहिर होता है कि इस साक्षी द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के दबाव व प्रभाव में आकर अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया गया है । फिर इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि वह चाहती है कि मुलजिमान जो उसके परिवार के हैं छूट जावें और राजी-खुशी रहें। इससे भी यह जाहिर होता है कि इस साक्षी द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को बचाने के आशय से प्रतिपृच्छा के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है ।

30. यद्यपि इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए बयानों के संबंध में अपनी प्रतिपृच्छा में यह बताया है कि उसे पहले बयान के दिन पुलिस वालों ने डराया था और बताया था कि ऐसा बयान देना है और पुलिस वालों ने कहा था कि उनके अनुसार बयान नहीं दिया तो बंद कर देंगे । पुलिस के डर के कारण उसने पहला बयान अदालत में दिया था । हमारे विचार से इस साक्षी का उक्त कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यदि इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में दिए गए बयान को पुलिस वालों के दबाव में आकर दिया होता तो यह साक्षी उक्त संबंध में न्यायालय को अवगत करा सकती थी तथा इस संबंध में न्यायालय में प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत कर सकती थी लेकिन दिनांक 4.5.2011 के बाद इस साक्षी द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई । मात्र प्रतिपृच्छा में यह कह देना कि उसने अपना पहला बयान पुलिस वालों के डर के कारण दिया था विश्वसनीय नहीं रह जाता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं दर्ज कराई है तथा अपनी मुख्य परीक्षा जो दिनांक 4.5.2011 को अंकित की गई है उसमें इसने तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित भी किया है और अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया है । चूंकि इस मामले में इस साक्षी के लड़के तथा लड़का का लड़का व लड़के का रिश्तेदार (साला) अभियुक्त हैं इसलिए उन्हें बचाने के आशय से उसके द्वारा प्रतिपृच्छा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करना स्वाभाविक लगता है । ऐसी दशा में यदि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तो मात्र उक्त आधार पर इस साक्षी की साक्ष्य को पूर्णतः अविश्वसनीय मान लेने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह बताया है कि वह आज थाने से आई है पुलिस वाले उसे मां के घर बढापुर से लेकर आए थे । रात को वह थाने पर ही रुकी थी । पुलिस वालों ने उसे नहीं बताया था कि क्या बयान न्यायालय

में देना है । इससे भी यही जाहिर होता है कि जब दिनांक 18.5.2011 को इस साक्षी की प्रतिपृच्छा अंकित की गई तब उस दिन यह साक्षी पुलिस के साथ थाने से आई थी । यदि इस साक्षी पर पुलिस का कोई दबाव होता या पुलिस दबाव डालकर इस साक्षी से कोई गलत बयान दिलाना चाहती तो प्रतिपृच्छा में भी गलत बयान दिलाने के लिए पुलिस इस साक्षी को डरा धमका सकती थी लेकिन पुलिस द्वारा इस साक्षी को किसी भी प्रकार से डराया व धमकाया नहीं गया है । ऐसी दशा में इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में जो अपना पहले का बयान पुलिस के डर के कारण देने की बात कही है वह स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं रह जाती है । फिर इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं इस साक्षी द्वारा अपने दो पुत्रों व एक पुत्र के पुत्र तथा अपने एक पुत्र के साले के विरुद्ध थाने पर दर्ज कराई है जिसमें उसने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा मृतक की हत्या करने का उल्लेख किया है यदि इस घटना में इस साक्षी के लड़के व लड़के के लड़के तथा लड़के के साले को गलत फंसाया गया होता तो वह इस संबंध में कार्यवाही कर सकती थी लेकिन इस तरह की कोई कार्यवाही इस साक्षी द्वारा नहीं की गई है । ऐसी दशा में यही प्रकट होता है कि इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपृच्छा के दौरान मात्र अपने पुत्रों व पुत्र के पुत्र तथा पुत्र के रिश्तेदार (साला) को बचाने के आशय से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है । **खुज्जी** उर्फ **सुरेन्द्र तिवारी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1], वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा यह अवधारित किया गया है कि :–

> *"6. .....the evidence of a prosecution witness can not be rejected in toto merely because the prosecution chose to treat him as hostile and cross examined him. The evidence of such witnesses cannot be treated as effaced or washed off the record altogether but the same can be accepted to the extent their version is found to be dependable on careful scrutiny thereof."

---

[1] (1991) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 916.

* हिन्दी में यह इस प्रकार है :–

> "6. ..... अभियोजन साक्षी के साक्ष्य को मात्र इस कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही मानने का विचार बनाया और उसकी प्रतिपरीक्षा की । ऐसे साक्षियों के साक्ष्य को पूर्णतया अभिलेख से मिटा दिया या निकाल दिया गया नहीं माना जा सकता है किन्तु उसकी सावधानीपूर्वक संवीक्षा पर विश्वसनीय पाए गए उसके बयान को स्वीकार किया जा सकता है ।"

31. इसी आशय का मत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कोली लक्ष्मण भाई चना भाई** बनाम **गुजरात राज्य**[1], **राधा मोहन सिं**ह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2], **हिमांशु** उर्फ **चिन्टू** बनाम **राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)**[3] के मामले में भी व्यक्त किया गया है ।

32. यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली द्वारा घटना के तुरन्त बाद उसी दिन दिनांक 3.11.2010 को समय 5.00 बजे शाम थाने पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली द्वारा मृतक की हत्या अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित करने का उल्लेख किया गया है तथा विवेचनाधिकारी द्वारा मृतक की हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी (कसला) अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के निशानदेही पर बरामद किया गया है । उक्त कुल्हाड़ी (कसला) पर रक्त पाया गया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा कुल्हाड़ी से मृतक की गर्दन धड़ से काट कर अलग करने का उल्लेख किया गया है तथा मौके पर पुलिस को मृतक का शव बिना सिर के मिला था ।

33. अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपनी मुख्य परीक्षा जो दिनांक 4.5.2011 को अंकित की गई है उसमें अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया है । उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से उक्त अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली द्वारा जो अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर द्वारा मृतक का दायां हाथ तथा अपीलार्थी/अभियुक्त कपिल कुमार द्वारा बायां हाथ व अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा पैर पकड़ कर मृतक को नीचे गिरा लेने का उल्लेख किया गया है तथा यह भी बताया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने कुल्हाड़ी से वार करके उसके पति की नाड़ (गर्दन) काट दी । अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर ज्ञानचन्द ने भी मृतक की चोट संख्या 1 व 2 धारदार हथियार मसलन कुल्हाड़ी से आना सम्भव कहा है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने भी कथित घटना के समय अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली को मौके पर मौजूद

---

[1] (1999) 8 एस. सी. सी. 624.

[2] (2006) 2 एस. सी. सी. 450.

[3] (2011) 2 एस. सी. सी. 36.

होने का उल्लेख किया है। उपरोक्त समस्त साक्ष्यों से कथित घटना के समय अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली की घटनास्थल पर उपस्थिति सिद्ध है । ऐसी दशा में विचारण न्यायालय द्वारा जो अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली की साक्ष्य पर विश्वास व्यक्त किया गया है उसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

34. अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार मृतक का पुत्र है तथा घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । इस साक्षी ने अपने बयान में यह कहा है कि राम किशोर व चन्द्र शेखर हाजिर अदालत उसके सगे भाई हैं । कपिल उसका भतीजा व अनिल चन्द्र शेखर का साला है । घटना वाले दिनों में उसके माता पिता उसके साथ रहते थे । जमीन बांटने के लिए चन्द्र शेखर व राम किशोर उसके पिता से कहते थे । पिताजी कहते थे कि बैंक का लोन अदा करने पर बांट दूंगा लेकिन इस पर वे लोग तैयार नहीं थे । यह विवाद घटना से काफी दिन पहले से चल रहा था । घटना से एक दिन पहले दिनांक 2.11.2010 को गन्ना काटने पर विवाद हुआ था जिस पर उसे व राम किशोर तथा चन्द्र शेखर को पुलिस ने बंद कर दिया था तथा उनकी जमानत उसी दिन एस. डी. एम. धामपुर के यहां से हुई थी । घटना के दिनों में वह सरस्वती शिशु मंदिर अफजलगढ़ में अध्यापक के रूप में सेवारत था । यह स्कूल उसके घर से 2½ कि. मी. दूर है । घटना वाले दिन भी वह स्कूल पढ़ाने गया था । वह काम की वजह से जल्दी छुट्टी लेकर 3-3¼ बजे मोटरसाइकिल से खेत पर पहुंच गया था उसके माता-पिता खेत पर पहले से मौजूद थे वे गन्ना छील रहे थे । करीब 4.00 बजे शाम की घटना है हाजिर अदालत चारों मुलजिमान खेत पर आए । राम किशोर के हाथ में कुल्हाड़ी थी । चन्द्र शेखर व कपिल ने उसके पिता के हाथ पकड़ लिए व अनिल ने पैर पकड़ लिए और उसके पिता को नीचे गिरा लिया । राम किशोर ने कुल्हाड़ी से वार कर उसके पिता की गर्दन काट दी । उसे भी जान से मारने की धमकी दी थी । फिर चारों लोग उसके पिता का सिर लेकर पश्चिम दिशा को भाग गए । सिर राम किशोर के पास था ।

35. इस साक्षी के संबंध में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क रखा गया है कि घटना के समय इस साक्षी की घटनास्थल पर उपस्थिति सिद्ध नहीं है क्योंकि इस साक्षी ने कथित घटना के दिन विद्यालय में पढ़ाए जाने की बात कही है लेकिन पत्रावली पर इस तरह का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि वह विद्यालय से जल्दी छुट्टी लेकर घटनास्थल पर घटना के पहले पहुंच गया हो । यह भी तर्क रखा गया है कि इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट इस साक्षी द्वारा थाने पर अंकित नहीं कराई गई है जब कि यह पढ़ा-लिखा व्यक्ति है । ऐसी दशा में इस

साक्षी की घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है । यह भी तर्क रखा गया है कि यह साक्षी हितबद्ध साक्षी है । इस साक्षी ने मृतक की सम्पूर्ण सम्पत्ति को हड़पने की नियत से मुलजिमान को इस मामले में झूठा फंसा दिया है । हमारे विचार से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द **उर्फ** सुनील कुमार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। इस साक्षी ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि घटना के दिन वह काम की वजह से जल्दी छुट्टी लेकर 3-3¼ बजे मोटरसाइकिल से खेत पर पहुंच गया था जहां (खेत पर) उसके माता-पिता पहले से मौजूद थे और गन्ना छील रहे थे । इस साक्षी के साक्ष्य में यह भी आया है कि घटना के दिनों में मृतक तथा मृतक की पत्नी रामकली (अभियोजन साक्षी संख्या 1) इस साक्षी (सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार) के साथ रह रहे थे । साक्ष्य में यह भी आया है कि जमीन बांटने की बात को लेकर घटना के काफी दिन पहले से विवाद चल रहा था। घटना से एक दिन पहले दिनांक 2.11.2010 को गन्ना काटने पर विवाद हुआ था जिस पर सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार (अभियोजन साक्षी संख्या 2) व राम किशोर तथा चन्द्र शेखर को पुलिस ने बंद कर दिया था तथा उनकी जमानत उसी दिन एस. डी. एम. धामपुर के यहां से हुई थी । चूंकि गन्ना काटने की बात को लेकर विवाद था तथा मृतक व उसकी पत्नी श्रीमती रामकली (अभियोजन साक्षी संख्या 1) अपने बेटे सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार (अभियोजन साक्षी संख्या 2) के साथ रह रहे थे। ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार को घटना के दिन विद्यालय से जल्दी छुट्टी लेकर अपने माता-पिता की मदद हेतु खेत पर जाना स्वाभाविक था । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने जो घटना के पहले विद्यालय से जल्दी छुट्टी लेकर समय 3-3¼ बजे मोटरसाइकिल से खेत पर पहुंचने की बात कही है उस पर अविश्वास करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । इस साक्षी ने काम की वजह से विद्यालय से जल्दी छुट्टी लेकर 3-3¼ बजे मोटर-साइकिल से खेत पर पहुंचने की बात कही है। चूंकि कथित घटना के दिन इस साक्षी के माता-पिता खेत पर गन्ना छील रहे थे और इस साक्षी के साथ उसके माता-पिता रह रहे थे इसलिए इस साक्षी का विद्यालय से जल्दी छुट्टी लेकर अपने माता-पिता के काम में सहयोग हेतु मौके पर पहुंचना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में इस साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । यदि इस साक्षी ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं दर्ज नहीं कराई है तो मात्र उक्त आधार पर इस साक्षी की घटनास्थल पर उपस्थिति के संबंध में संदेह का कोई आधार

नहीं पाया जाता है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि कथित घटना के समय मौके पर अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली व अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार मौजूद थे । इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली द्वारा थाना पर दर्ज कराई गई है तथा मुकदमा कायमी से सम्बन्धित जी. डी. की प्रति प्रदर्श क-6 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अवलोकन से यह विदित है कि उक्त अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने अपनी मां (श्रीमती रामकली) के साथ गया था । अभियोजन साक्षी संख्या 5 जगपाल सिंह (आरक्षी) दिनांक 3.11.2010 को थाना अफजलगढ़ में बतौर आरक्षी लिपिक तैनात था । इस साक्षी ने वादिनी श्रीमती रामकली की तहरीर के आधार पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की थी तथा कायमी मुकदमा का इन्दराज भी जी. डी. में किया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह बताया है कि सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार (अभियोजन साक्षी संख्या 2) वादिनी श्रीमती रामकली (अभियोजन साक्षी संख्या 1) के साथ थाने पर आया था । चूंकि इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक की पत्नी श्रीमती रामकली द्वारा थाना पर दर्ज कराई गई है । ऐसी दशा में यदि अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पर दर्ज नहीं कराई गई है तो मात्र उक्त आधार पर घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

36. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने भी अपने मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि करीब 4.00 बजे से कुछ पहले उसका लड़का सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार स्कूल पढ़ा कर खेत पर आ गया था । इस तरह अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने भी घटना के पूर्व अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार का खेत पर (मौके पर) पहुंचने के तथ्य की पुष्टि की है । अभियोज साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से बताया है कि करीब शाम के 4.00 बजे राम किशोर, चन्द्र शेखर, कपिल व अनिल उसके खेत पर आए थे राम किशोर के हाथ में कुल्हाड़ी थी । चन्द्र शेखर ने उसके पति का दायां हाथ और कपिल ने बायां हाथ पकड़ लिया तथा अनिल ने पैर पकड़ लिए और उसके पति को नीचे गिरा लिया तथा राम किशोर ने कुल्हाड़ी से मार कर उसके पति की नाड़ (गर्दन) काट दी । अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने भी अपने बयान में अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर व कपिल द्वारा उसके पिता के हाथ पकड़ने तथा अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल द्वारा पैर पकड़ने का उल्लेख किया है । यह भी कहा है कि उसके पिता को नीचे गिरा लिया । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने कुल्हाड़ी से वार कर

उसके पिता की गर्दन काट दी तथा उसे भी जान से मारने की धमकी दी । इस तरह उपरोक्त दोनों साक्षियों ने कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल व अनिल के द्वारा मृतक को पकड़ने व पकड़ कर जमीन पर गिरा लेने का उल्लेख किया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा कुल्हाड़ी से वार करके मृतक की गर्दन काट देने का उल्लेख किया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल व अनिल के द्वारा मृतक को पकड़ने का उल्लेख किया गया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के द्वारा कुल्हाड़ी से मृतक की गर्दन धड़ से काट कर अलग कर देने का उल्लेख किया गया है । पंचायतनामा के समय भी मृतक का शव बिना सिर के पाया गया है । पोस्टमार्टम के समय मृतक के गर्दन पर दो कटे हुए घाव पाए गए हैं जिसे डाक्टर ने कुल्हाड़ी से आना सम्भव कहा है तथा मृतक की हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के निशानदेही पर बरामद की गई है जिस पर खून लगा था । उक्त कुल्हाड़ी जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई थी । विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उक्त कुल्हाड़ी (कसला) पर रक्त पाया गया है । ऐसी दशा में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार की घटनास्थल पर उपस्थिति सिद्ध है तथा उक्त साक्षी के साक्ष्य एवं अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली के साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी सम्पुष्ट है । ऐसी दशा में भी अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

37. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क रखा गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को मृतक की सम्पूर्ण सम्पत्ति को हड़पने के आशय से झूठा फंसाया गया है । यह भी तर्क रखा गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपने प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार द्वारा की गई है । हमारे विचार से प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी श्रीमती रामकली (अभियोजन साक्षी संख्या 1) द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर तथा राम किशोर मृतक के सगे पुत्र हैं तथा कपिल कुमार अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर का पुत्र है और अनिल अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर का साला है । इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरन्त बाद वादिनी द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई है तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है । हमारे विचार से कोई भी मां अपने पति की हत्या में स्वयं के लड़कों व

लड़के के लड़के व लड़के के रिश्तेदार को झूठा नामजद नहीं करेगी । प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार की घटनास्थल पर उपस्थिति सिद्ध है तथा उनकी साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी सम्पुष्ट है । प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को सम्पत्ति की लालच में अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार द्वारा झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । साक्षियों की प्रतिपृच्छा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कि जमीन की लालच के कारण अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाए जाने की बात स्वीकार की जा सके ।

38. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह एक दिन-दहाड़े की घटना है । घटनास्थल से थाना की दूरी 4.00 किमी. दर्शाई गई है तथा इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरन्त बाद थाना पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध नामजद दर्ज कराई गई है तथा इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक की पत्नी द्वारा स्वयं दर्ज कराई गई है कोई भी मां अपने पति के वास्तविक हत्यारों को छोड़कर स्वयं के लड़कों व लड़के के लड़का तथा रिश्तेदार को झूठा नामजद नहीं करेगी । प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क रखा गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने घटना के एक दिन पहले दिनांक 2.11.2010 को गन्ना काटने को लेकर विवाद होने की बात कही है और स्वयं को तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर और चन्द्र शेखर को पुलिस द्वारा बंद करने का उल्लेख किया है । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार सम्पत्ति की लालच में स्वयं अपने पिता की हत्या कर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसा सकता है । हमारे विचार से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दिए गए उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को सम्पत्ति के लालच में झूठा फंसाए जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । साक्ष्य में यह आया है कि इस घटना के पहले से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर, चन्द्र शेखर जमीन के बंटवारे के लिए मृतक पर दबाव डाल रहे थे । मृतक ने जमीन पर बैंक से ऋण ले रखा था तथा ऋण अदायगी के पूर्व मृतक जमीन बांटने को तैयार नहीं था इसी कारण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर मृतक की हत्या करना बताया गया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरन्त बाद मृतक की पत्नी

श्रीमती रामकली (अभियोजन साक्षी संख्या 1) द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई है । पत्रावली पर जो भी साक्ष्य उपलब्ध है उससे एक मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने एक राय होकर मृतक की हत्या कारित की है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा दिए गए उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क रखा गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने जो अपने बयान में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा धमकी देने की बात कही है वह स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कथित घटनास्थल के आस-पास कोई आबादी नहीं थी तथा सुनसान जगह थी सामान्यतः कोई भी अपराधी अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोडता है । ऐसी दशा में कथित घटना के समय मौके पर अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली व अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार की उपस्थिति स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है बल्कि यह प्रकट होता है कि यह घटना किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं देखी गई है । हमारे विचार से यदि अभियोजन साक्षी संख्या 1 रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई है तो मात्र उक्त आधार पर घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । वादिनी श्रीमती रामकली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि उसने तथा उसका लड़का सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने ललकारा तो उन लोगों को भी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी तथा उनके शोर मचाने पर अन्य बहुत से लोग आ गए थे । इससे यही जाहिर होता है कि वादिनी तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार के शोर पर आस-पास के लोग आ गए थे । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने जो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा धमकी देने की बात कही है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से उपरोक्त दोनों साक्षियों की उपस्थिति मौके पर सिद्ध है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिए गए उक्त तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है ।

39. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क रखा गया है कि विवेचनाधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के कपड़ों को पुलिस कब्जा में नहीं लिया गया है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार द्वारा मृतक को पकड़ने की भूमिका बताई

गई है । ऐसी दशा में उनके कपड़ों पर खून पाए जाने की सम्भावना थी लेकिन उपरोक्त अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के कपड़ों को पुलिस द्वारा कब्जे में नहीं लिया गया है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार की कथित अपराध में संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है । विवेचनाधिकारी ने यदि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के कपड़ों को पुलिस कब्जा में नहीं लिया है तो मात्र उक्त आधार पर उनकी संलिप्तता के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है बल्कि पत्रावली पर जो भी साक्ष्य उपलब्ध है उससे एकमात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक की हत्या कर दी । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दिए गए उक्त तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क रखा गया है कि मृतक एक 65 वर्षीय व्यक्ति था तथा उसकी हत्या कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता था । मृतक को पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी । ऐसी दशा में कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार के द्वारा जो मृतक को पकड़ने की बात कही गई है वह स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है तथा इस घटना में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल व अनिल की संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है । साक्ष्य में यह आया है कि कथित घटना के समय अपीलार्थीगण चन्द्र शेखर, कपिल ने मृतक के हाथ पकड़ लिए तथा अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल ने मृतक के पैर पकड़ लिए और मृतक को जमीन पर गिरा लिया । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने कुल्हाड़ी से मार कर मृतक की गर्दन काट दी तथा मृतक का सिर लेकर चले गए । मृतक का सिर अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के हाथ में होने का उल्लेख किया गया है । अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर ज्ञान चन्द ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह बताया है कि खड़े हुए व्यक्ति की गर्दन कुल्हाड़ी से कटना सम्भव नहीं है उसके लिए किसी सख्त चीज की सपोर्ट चाहिए । चुटैल को जमीन पर गिरने पर कुल्हाड़ी का वार होने पर चोट संख्या 1 आना सम्भव है । उपरोक्त परिस्थितियों में भी यही स्पष्ट होता है कि मृतक को पकड़ कर पहले जमीन पर गिराया गया इसके बाद उसकी गर्दन काट दी गई । ऐसी दशा में जो कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल व अनिल द्वारा मृतक को पकड़ कर जमीन पर गिराने की बात कही गई है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है तथा प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से कथित घटना में

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की संलिप्तता सिद्ध है ।

40. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार के द्वारा मृतक को कोई चोट पहुंचाना नहीं बताया गया है और यदि उनकी इस अपराध में संलिप्तता होती तो निश्चित रूप से वे कथित घटना के समय मृतक को चोट पहुंचा सकते थे । ऐसी दशा में उपरोक्त अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता साबित नहीं होती है । हमारे विचार से यदि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार द्वारा मृतक को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई है तो मात्र उक्त आधार पर उनकी संलिप्तता के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । साक्ष्य में यह आया है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर तथा कपिल कुमार ने मृतक के हाथ तथा अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार ने मृतक के पैर पकड़ लिए तथा उसे जमीन पर गिरा लिया तत्पश्चात् अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने कुल्हाड़ी से मृतक की गर्दन काट कर धड़ से अलग कर दी । इससे यही स्पष्ट होता है कि इस घटना में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार की सक्रिय भूमिका रही है और उन्होंने मृतक को पकड़ कर जमीन पर गिरा लिया तत्पश्चात् अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने मृतक की गर्दन काट दी । साक्ष्य में यह आया है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मृतक के सिर को लेकर पश्चिम दिशा की ओर भाग गए । मृतक का सिर अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के पास था । चूंकि यह घटना एक खेत की बताई गई है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर इस तरह खेत पर पहुंचना व खेत पर मृतक को पकड़ कर जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन काटकर सिर धड़ से अलग कर देना यह सब अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के सामान्य आशय को स्पष्ट करता है और यही साबित होता है कि कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण एक राय होकर मृतक के खेत पर गए तथा अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार ने मृतक को पकड़ कर जमीन पर गिरा लिया तथा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने अपने हाथ में लिए हुए कुल्हाड़ी से मृतक की गर्दन काट दी जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया । इस तरह कथित घटना में समस्त अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की भूमिका सिद्ध है और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से यही साबित होता है कि कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक की गर्दन काटकर हत्या कर दी ।

41. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क रखा गया है कि प्रस्तुत मामले में धारा 201 भा. दं. सं. का अपराध नहीं बनता है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने अपनी प्रतिपृच्छा में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि मृतक का सिर अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने पॉलीथीन में रखकर थैले में रख लिया था । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 201 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पारित दण्डादेश विधि संगत नहीं है । हमारे विचार से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है क्योंकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मृतक का सिर लेकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण एक राय होकर पश्चिम दिशा को चले गए । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने अपने बयान में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा मृतक का सिर लेकर पश्चिम की ओर जाने का उल्लेख किया है तथा मृतक का सिर अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के हाथ में होने का उल्लेख किया है । चूंकि मृतक की हत्या कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर की गई है तथा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था एवं चारों अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा मृतक का सिर लेकर पश्चिम दिशा की ओर जाने व मृतक का सिर अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के हाथ में होने का उल्लेख किया गया है । इससे यही जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण एक राय होकर मौके से मृतक का सिर गायब करने के आशय से ले गए जो बरामद भी नहीं हो सका । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा उक्त के संबंध में दिए गए तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से एक तर्क यह भी रखा गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से तहरीर लेखक आफाक को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है तो हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपनी मुख्य प्रतिपृच्छा में तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित किया है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 5 जगपाल सिंह (आरक्षी) ने वादिनी की तहरीर के आधार पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की थी तथा कायमी मुकदमे का इन्द्राज थाना की जी. डी. में किया था उक्त साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4 तथा कायमी मुकदमा से संबंधित जी. डी. की प्रति प्रदर्श क-6 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है । इस साक्षी की प्रतिपृच्छा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कोई संदेह व्यक्त किया जा सके । ऐसी दशा में यदि अभियोजन की ओर से तहरीर के लेखक आफाक को परीक्षित नहीं कराया

गया है तो मात्र उक्त आधार पर अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है और न ही घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में संदेह का कोई आधार पाया जाता है ।

42. जहां तक घटना के हेतुक का प्रश्न है तो मृतक की हत्या जमीन के विवाद को लेकर करना बताया गया है । अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर तथा चन्द्र शेखर मृतक पर जमीन बांटने का दबाव डाल रहे थे । मृतक ने अपनी जमीन पर बैंक से ऋण ले रखा था । मृतक बैंक का ऋण अदा करने के पूर्व जमीन का बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं था इसी कारण कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने एक राय होकर मृतक की हत्या कर दी । घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी जमीन के विवाद को लेकर मृतक की हत्या करने का उल्लेख किया गया है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने अपने बयान में जमीन के बंटवारे की बात को लेकर मृतक की हत्या कारित करने का उल्लेख किया है । ऐसी दशा में अभियोजन पक्ष की ओर से जो घटना का हेतुक रखा गया है वह साक्ष्य से भी साबित है। उक्त संबंध में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है ।

43. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी तर्क रखा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर द्वारा मृतक की हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी (कसला) बरामद नहीं कराया गया है तथा उसके पास से दिखाई गई बरामदगी फर्जी है । अभियोजन साक्षी संख्या 7 सोनू कुमार तथा अभियोजन साक्षी संख्या 8 राम कुमार को उक्त बरामदगी का साक्षी बताया गया है लेकिन उपरोक्त दोनों साक्षियों ने अपने बयान में कथित बरामदगी के तथ्य की पुष्टि नहीं की है और उक्त दोनों ही साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा कथित बरामद कुल्हाड़ी (कसला) पर मानव रक्त भी नहीं पाया गया है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर की निशानदेही पर मृतक की हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल कुल्हाड़ी (कसला) की बरामदगी सिद्ध नहीं है । हमारे विचार से यदि बरामदगी के उपरोक्त जनसाक्षी जो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के गांव के रहने वाले हैं उन्होंने बरामदगी के तथ्य की पुष्टि नहीं की है तो मात्र उक्त आधार पर कथित बरामदगी के संबंध में संदेह का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । अभियोजन साक्षी संख्या 9 श्री अमर सिंह, थानाध्यक्ष/ विवेचनाधिकारी भी कथित बरामदगी के साक्षी है । इस साक्षी ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि दिनांक 12.11.2010 को अभियुक्त राम किशोर व चन्द्र शेखर ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था । उसने

न्यायालय से अनुमति लेकर मुलजिमान के बयान जिला कारागार में लिए थे जिसमें उन्होंने आलाकत्ल व मृतक का सिर बरामद कराने के लिए कहा । दिनांक 18.11.2010 को न्यायालय के आदेश के अनुसार अभियुक्त राम किशोर व चन्द्र शेखर को 24 घण्टे के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया था । दिनांक 19.11.2010 को मुलजिमान से पूछताछ की तथा उनके निशानदेही पर एक अदद कसला (कुल्हाड़ी) खून आलूदा बरामद किया तथा गवाहान की मौजूदगी में फर्द तैयार की गई । उक्त फर्द उसने श्री महेश चन्द्र शर्मा, उपनिरीक्षक से बोलकर लिखवाई थी । इस साक्षी ने फर्द बरामदगी प्रदर्श क-16 को साबित किया है । फर्द प्रदर्श क-16 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के निशानदेही पर मुरारी सिंह के गन्ने के खेत से झाड़ी से एक अदद कुल्हाड़ी (कसला) बरामद किया गया है । उक्त फर्द पर गवाहान अभियोजन साक्षी संख्या 7 सोनू कुमार व अभियोजन साक्षी संख्या 8 राम कुमार के हस्ताक्षर भी हैं । उपरोक्त अभियोजन साक्षी संख्या 7 सोनू कुमार व अभियोजन साक्षी संख्या 8 राम कुमार ने उक्त फर्द पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि भी की है लेकिन यह कहा है कि पुलिस ने गांव में उनके उक्त हस्ताक्षर कोरे कागज पर करा लिया था । हमारे विचार से उपरोक्त दोनों साक्षियों का उक्त कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि फर्द बरामदगी पर इन साक्षियों के हस्ताक्षर हैं और उन्होंने उक्त फर्द बरामदगी पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि भी की है । यहां यह उल्लेखनीय है कि यह बात स्वाभाविक नहीं लगती है कि पुलिस वालों ने उक्त साक्षियों के दस्तखत कोरे कागज पर करा लिया हो बल्कि यही जाहिर होता है कि उक्त दोनों साक्षी अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के गांव के रहने वाले हैं इसलिए उसे बचाने के आशय से उक्त साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा उक्त संबंध में दिए गए तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । चूंकि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर को पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था और अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर द्वारा मृतक की हत्या में प्रयुक्त एक अदद कुल्हाड़ी (कसला) बरामद कराया गया है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 9 अमर सिंह, थानाध्यक्ष/ विवेचनाधिकारी ने उक्त कुल्हाड़ी (कसला) को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वस्तु प्रदर्श-1 के रूप में साबित भी किया है । विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क-15ए पत्रावली पर उपलब्ध है । उक्त रिपोर्ट में बरामद कुल्हाड़ी (कसला) पर रक्त पाया गया है । यह

रक्त उक्त कुल्हाड़ी (कसला) पर कहां से आया है इसका कोई स्पष्टीकरण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से नहीं दिया गया है । ऐसी दशा में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त हम इस मत के हैं कि अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर की निशानदेही पर मृतक की हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी (कसला) की बरामदगी सिद्ध है और अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा उक्त संबंध में दिए गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है ।

44. अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर की ओर से एलीबाई की पिली लेते हुए अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. में यह कहा गया है कि वह कथित घटना के समय उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड में था तथा उसने अपने कथन के समर्थन में एस. आर. वर्मा शाखा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, शाखा अफजलगढ़ (बिजनौर) द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र दिनांकित 16.9.2011 भी दाखिल किया है परन्तु उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर की ओर से उक्त प्रमाणपत्र को साबित करने के लिए एस. आर. वर्मा, शाखा प्रबंधक को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही इस तरह की कोई अन्य साक्ष्य ही दाखिल की गई है जिससे कि अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर की कथित घटना के समय मौके पर उपस्थिति के संबंध में कोई संदेह व्यक्त किया जा सके बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यही साबित है कि अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर इस घटना में शामिल रहा है और कथित घटना के समय मौके पर उसकी उपस्थिति सिद्ध है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर की ओर से रखे गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है ।

45. अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की ओर से एलीबाई की पिली लेते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार निर्दोष है तथा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है । कथित अपराध में उसकी संलिप्तता सिद्ध नहीं है तथा उसका आवास घटनास्थल से लगभग 70 कि. मी. की दूरी पर है और कथित घटना की तिथि व समय पर वह अपने गांव में चुनाव के संबंध में समीक्षा मीटिंग कर रहा था । इस मीटिंग में उसके आवास पर गांव के 50-60 लोग मौजूद थे । अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा मृतक को कोई चोट पहुंचाना नहीं कहा गया है तथा उसके संबंध में घटना का कोई हेतुक भी नहीं है । मृतक की हत्या जमीन के विवाद को लेकर करना बताया गया है लेकिन

मृतक की जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं है और न ही वह उक्त जमीन का लाभार्थी है । अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार को मात्र अपीलार्थी/अभियुक्त चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर का रिश्तेदार (साला) होने के नाते झूठा फंसाया गया है ।

46. अपने बचाव में अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की ओर से बचाव साक्षी संख्या 1 के रूप में अपनी पत्नी श्रीमती ववितता तथा बचाव साक्षी संख्या 2 अमर सिंह को परीक्षित कराया गया है ।

47. बचाव साक्षी संख्या 1 श्रीमती ववितता ने अपने बयान में कहा है कि उसके पति वर्ष 2010 में प्रधानी का चुनाव लड़े थे । चुनाव की समीक्षा के बारे में एक मीटिंग 3.11.2010 को उसके घर पर हो रही थी । मीटिंग दिन में 3.00 बजे से 6.00 बजे तक हुई थी । मीटिंग में उसके घर पर 50-60 आदमी इकट्ठे थे । इस बारे में 15-16 आदमियों ने अपने हलफनामे एस.पी. बिजनौर को दिए थे । उसके पति घर पर थे वह बेगुनाह थे इसलिए हलफनामे दिए थे । एस. पी. साहब के यहां हलफनामे देने के लिए उसके साथ घसीटा, हरनाम, इनाम अली, इस्लाम अली आदि आए थे । हलफनामों व प्रार्थनापत्र की फोटो स्टेट कराई थी जो न्यायालय में दाखिल कर रही हूं । उसके पति ने इस संबंध में मुख्य मंत्री वगैरह को भी प्रार्थनापत्र दिए थे ।

48. बचाव साक्षी संख्या 2 अमर सिंह ने अपने बयान में यह कहा है कि वह अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार को जानता है वह उसके गांव का है । पिछले साल वह प्रधानी का चुनाव लड़े थे । दिनांक 3.11.2010 को दिन में 3-00 बजे से 6-00 बजे तक चुनाव की समीक्षा की मीटिंग मुलजिम के घर पर हुई थी जिसमें वह भी शामिल था । मीटिंग में कुल 40-50 आदमी जमा थे । अनिल भी उस मीटिंग में मौजूद था । इस मीटिंग में इस तारीख व समय पर मुलजिम अनिल की अपने गांव में घर पर मौजूद होने के बाबत उसने व 14-15 आदमियों ने एस. पी. साहब के यहां शपथपत्र दिए थे । अपने शपथपत्र की छाया प्रति मुलजिम अनिल की पत्नी को दे दी थी । इस प्रकार उपरोक्त दोनों बचाव साक्षियों ने अपने बयान में दिनांक 3.11.2010 को दिन में 300 बजे से 6-00 बजे तक चुनाव की समीक्षा के संबंध में अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार के घर पर मीटिंग होने की बात कही है । हमारे विचार से उपरोक्त दोनों बचाव साक्षियों का कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । प्रथमतः यह कि बचाव साक्षी संख्या 1 श्रीमती ववितता, अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की स्वयं पत्नी है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि जिस दिन उसके पति समीक्षा मीटिंग कर रहे थे चुनाव उससे एक माह पहले हो चुका था । उसके पति

चुनाव हार गए थे । हमारे विचार से चुनाव के एक माह बाद समीक्षा मीटिंग करना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जब चुनाव एक माह पहले सम्पन्न हो चुका था और अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार चुनाव हार गए थे तो ऐसी दशा में चुनाव के करीब एक माह बाद उसके द्वारा समीक्षा मीटिंग करना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं लगता है । द्वितीय यह कि बचाव साक्षी संख्या 2 अमर सिंह ने अपने प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि उसने मुलजिम अनिल कुमार को अपना समर्थन देकर चुनाव लड़ाया था । इससे यही जाहिर होता है कि यह बचाव साक्षी, अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की पार्टी का व्यक्ति है और यदि उपरोक्त दोनों साक्षियों द्वारा कोई शपथपत्र दिया गया है तो वह मात्र अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार को बचाने के आशय से दिया गया है । तृतीय यह कि बचाव साक्षी संख्या 2 अमर सिंह ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपना शपथपत्र दिनांक 3.11.2010 को नगीना में तैयार कराया था और एक दो दिन बाद एस. पी. साहब को दिए थे । यह शपथपत्र 3.11.2010 को 12.01 बजे नगीना में तैयार हुआ था । इस साक्षी के उक्त कथन से भी समीक्षा मीटिंग की कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है क्योंकि इस साक्षी ने शपथपत्र दिनांक 3.11.2010 को 12.01 बजे नगीना में तैयार कराने की बात कही है जब कि मीटिंग दिनांक 3.11.2010 को दिन में 3.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक होने का उल्लेख किया गया है । ऐसी दशा में भी दिनांक 3.11.2010 का 12.01 बजे शपथपत्र तैयार कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है बल्कि उपरोक्त से यही स्पष्ट होता है कि चुनाव समीक्षा की मीटिंग की कहानी अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार को बचाने के आशय से गढ़ी गई है । ऐसी दशा में उपरोक्त दोनों बचाव साक्षी संख्या 1 श्रीमती ववितता व बचाव साक्षी संख्या 2 अमर सिंह की साक्ष्य से अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है ।

49. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की कथित घटना में संलिप्तता पूर्णरूपेण सिद्ध है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी अनिल कुमार नामजद अभियुक्त है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा मृतक को पकड़ने का उल्लेख किया गया है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली व अभियोजन साक्षी संख्या 2 सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार ने भी अपने बयान में कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर व कपिल कुमार द्वारा मृतक के हाथ पकड़ने तथा अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा मृतक के पैर पकड़ने का उल्लेख किया गया है और पकड़कर मृतक को जमीन पर नीचे गिराने का भी उल्लेख किया गया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा मृतक की कुल्हाड़ी से गर्दन

काट देने का उल्लेख किया गया है । ऐसी दशा में प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की संलिप्तता सिद्ध है ।

50. प्रस्तुत मामले में यदि अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा मृतक को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई है तो मात्र उक्त आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की कथित घटना में संलिप्तता के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यही साबित है कि कथित घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर व कपिल कुमार द्वारा मृतक को पकड़ लिया गया तथा उसे नीचे गिरा लिया गया तत्पश्चात् अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर ने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट दी । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की संलिप्तता के संबंध में संदेह का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

51. अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार की ओर से प्रस्तुत की गई विधि व्यवस्था, **मुन्ना एवं अईया** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] के मामले में घटना के एक दिन पूर्व मृतक नफीस का विवाद अपीलार्थी/अभियुक्त मुन्ना से हुआ था तत्पश्चात् घटना के दिन मृतक नफीस को अपीलार्थी/अभियुक्त मुन्ना व उसका भाई अईया अभियोजन साक्षी संख्या 1 इस्लामउल्ला के बैठक से पकड़कर गली में ले गए । अपीलार्थी/अभियुक्त मुन्ना के पास चाकू तथा अपीलार्थी/अभियुक्त अईया के पास रेजर था । अपीलार्थी/अभियुक्त अईया ने मृतक को रेजर से कोई चोट नहीं पहुंचाई लेकिन अपीलार्थी/अभियुक्त मुन्ना ने चाकू से मृतक के पेट में चोट पहुंचाई थी जिसके परिणाम स्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई थी । उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त अईया को यह आभास नहीं था कि उसका भाई मुन्ना मृतक को चाकू से घातक चोट पहुंचा देगा । उसका मात्र मारपीट व चोट पहुंचाने का आशय पाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त अईया को धारा 302/34 भा. दं. सं. के स्थान पर धारा 326/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दण्डित किया गया ।

52. **राणा प्रताप एवं अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] के मामले में अपीलार्थी मनमोहन एवं मृतक के बीच मन मुटाव चल रहा था । मृतक ने घटना के कुछ दिन पहले अपीलार्थी मनमोहन को गाली-गलौज किया था व थप्पड़ भी मारा था । घटना के दिन मृतक तथा उसका भाई यशपाल

---

[1] (1993) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 798.

[2] (1983) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 601.

अपने दुकान की सफाई करने जा रहे थे तभी रास्ते में मनमोहन, राणा प्रताप तथा सतपाल मिले । मनमोहन ने चिल्लाकर कहा कि आज मृतक को सबक सिखाएंगे क्योंकि उसने उसका अपमान किया था । राणा प्रताप तथा सतपाल ने मृतक को पकड़ लिया तथा मनमोहन ने चाकू से मृतक के पेट में दाहिने तरफ सीने के बाईं तरफ तथा बाएं कंधे पर चोट पहुंचा दी । मृतक को अस्पताल ले जाया गया बाद में वहां पर उसकी मृत्यु हो गई । उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण राणा प्रताप तथा सतपाल से कोई मन मुटाव होने के बारे में साक्ष्य नहीं था तथा साक्ष्य से यह भी साबित नहीं था कि राणा प्रताप व सतपाल, मृतक को मनमोहन द्वारा चाकू से चोट पहुंचाने तक पकड़े रहे हों तथा यह भी साबित नहीं था कि राणा प्रताप और सतपाल मृतक की हत्या कारित करना चाहते हों । मनमोहन ने यह नहीं कहा था कि मृतक को समाप्त करने जा रहे हैं उसने केवल यह कहा था कि आज वह उसे सबक सिखाएगा । इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हत्या का सामान्य आशय न पाते हुए तथा गम्भीर चोट पहुंचाने का सामान्य आशय पाते हुए राणा प्रताप तथा सतपाल को भा. दं. सं. की धारा 302/34 के स्थान पर धारा 326/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दण्डित किया गया । उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में यह घटना मृतक के खेत की बताई गई है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर मृतक के खेत पर जाना तथा उसका हाथ व पैर पकड़ कर जमीन पर गिरा लेना और अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा कुल्हाड़ी से मृतक की गर्दन काट देना ये सब परिस्थितियां साबित करती हैं कि इस घटना में सभी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का हत्या का सामान्य आशय रहा है और मृतक की हत्या करने के आशय से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मृतक के खेत पर गए और वहां पर मृतक को पकड़ कर जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन काट दी तथा उसका सिर गायब करने के आशय से ले गए । ऐसी दशा में स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण उक्त विधि व्यवस्थाओं का कोई लाभ अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार को प्राप्त नहीं होता है ।

53. उपरोक्त समस्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से यह भली भांति सिद्ध है कि कथित घटना के समय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर, चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार ने एक राय होकर मृतक की गर्दन काट कर हत्या कर दी तथा गवाहों को जान से मारने की धमकी दी तथा मृतक का सिर गायब करने के आशय से मौके से उठा ले गए । तद्नुसार

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर, चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार के विरुद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 302/34, 201 व 506 भा. दं. सं. संदेह से परे सिद्ध है । ऐसी दशा में विचारण न्यायालय द्वारा जो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 302/34, 201 व 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत दोषी पाया गया है । उसमें हम कोई विधिक त्रुटि व अनियमितता नहीं पाते हैं । तद्नुसार अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर, चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार की धारा 302/34, 201 व 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है ।

54. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो प्रस्तुत मामले में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए तथा यह पाते हुए कि मृतक की गर्दन अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा कुल्हाड़ी (कसला) से काटी गई है एवं अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा पूर्व में भी अपने पिता के पिता (दादा) की हत्या की गई थी । उक्त मामले में वह साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था । तद्नुसार अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर की भूमिका को अधिक गंभीर पाते हुए उसे प्रस्तुत मामले में धारा 302/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड तथा दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है एवं अन्य अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर, कपिल कुमार व अनिल कुमार को धारा 302/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा सभी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 201 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से तथा पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से भी दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने हेतु आदेश पारित किया गया ।

55. अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा इस घटना के पूर्व अपने पिता के पिता (दादा) की हत्या कारित करने के तथ्य की पुष्टि हो सके । विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्वयं यह उल्लेख किया गया है कि उक्त

प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर दोषमुक्त हो चुका है । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि इस प्रकरण की परिस्थितियां इस तरह की नहीं हैं कि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाए । जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर मृतक की हत्या कारित करना बताया गया है तथा यह घटना एक खेत की है । इस प्रकरण में इस तरह की परिस्थितियां भी नहीं हैं कि इस अपराध से समाज पर कोई घातक असर पड़ता हो । यह प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है । ऐसी दशा में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को दी गई मृत्यु दण्ड की सजा विधि संगत नहीं है ।

56. इसके विपरीत विद्वान् शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने एक राय होकर मृतक की गर्दन काटकर हत्या कारित की है । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर इस घटना के पूर्व अपने पिता के पिता (दादा) की भी हत्या कर चुका है और उसने पुनः अपने पिता की स्वयं अपनी मां एवं भाई के सामने गर्दन काटकर हत्या कारित की है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के विरुद्ध पारित मृत्यु दण्ड का आदेश विधि संगत है ।

57. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में मृतक की हत्या जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर करना बताया जाता है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर तथा चन्द्र शेखर मृतक पर जमीन के बंटवारा हेतु दबाव डाल रहे थे । मृतक बैंक के ऋण के अदायगी के पूर्व जमीन का बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं था । घटना के समय मृतक अपने पुत्र सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार (अभियोजन साक्षी संख्या 2) के साथ रहता था । चूंकि इस घटना के पीछे जमीन का विवाद बताया जाता है और जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर मृतक की हत्या करना बताया गया है । इस घटना के पूर्व अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा अपने पिता के पिता (दादा) की हत्या करने के संबंध में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं की गई है । अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या 1 श्रीमती रामकली ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि उसके ससुर के केस में उसके बेटे मुलजिम थे जो छूट गए थे । गांव वालों ने झूठी रिपोर्ट लिखाई थी । इससे यह जाहिर होता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के विरुद्ध पूर्व में अपने पिता के पिता

(दादा) के हत्या के मामले में कोई मुकदमा चला भी है तो वह उसमें दोषमुक्त हो चुका है । चूंकि मृतक तथा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर तथा चन्द्र शेखर के बीच में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था और इसी कारण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक की हत्या कारित करना बताया जाता है । ऐसी दशा में प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से यह प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है ।

58. इस केस के तथ्य एवं परिस्थितियां इस तरह की नहीं है कि इस प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त माना जा सके । इस केस की गुरुतरकारी परिस्थितियां तथा न्यूनकारी परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त हमारे विचार से प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

59. **मोहिन्दर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त जो अपनी पुत्री के बलात्कार के मामले में 12 वर्ष की सजा काट रहा था । पैरोल पर छूटकर आया था और उसने अपनी पत्नी तथा पुत्री जिसके साथ बलात्कार करने की बात कही गई थी की कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी थी । उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को धारा 302 भा. दं. सं. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड की सजा दी गई । जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील योजित की जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाते हुए कि अपीलार्थी एक गरीब व्यक्ति था और अपनी पत्नी द्वारा घर से निकाले जाने पर एक किराए के मकान में रह रहा था तथा उसके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था । उक्त प्रकरण के समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के मृत्यु दण्ड को कठोर आजीवन कारावास के रूप में परिवर्तित करते हुए यह आदेश पारित किया कि अपीलार्थी अपने शेष बचे हुए जीवन तक जेल में निरुद्ध रहेगा ।

60. **रमेश भाई चन्दू भाई राथौड़** बनाम **गुजरात राज्य**[2] के मामले में एक 28 वर्षीय युवक जो वाचमैन था । उसने कक्षा चार में पढ़ने वाली छात्रा का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर

---

[1] (2013) 3 एस. सी. सी. 294.

[2] (2011) 2 एस. सी. सी. 764.

दी थी । उक्त प्रकरण में अन्य धाराओं में सजा के साथ-साथ धारा 302 भा. दं. सं. के अन्तर्गत अभियुक्त को मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी । तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करते हुए उसे सम्पूर्ण जीवन तक जेल में रखने का आदेश पारित किया ।

61. **नील कुमार** उर्फ **अनिल कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] के मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपनी चार वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी । उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया था जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा कर दी गई थी । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/अभियुक्त ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील योजित की तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के मृत्यु दण्ड को अपास्त करके आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी/अभियुक्त कम से कम 30 वर्ष तक जेल में निरुद्ध रहेगा ।

62. **लेहना** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] के मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त ने जमीन के विवाद को लेकर अपनी मां, भाई तथा भाभी की हत्या कर दी थी । उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया था जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा कर दी गई थी तत्पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह पाते हुए कि अपीलार्थी/अभियुक्त को उसके पिता द्वारा जो जमीन दी गई थी वह वापस ले ली गई थी जिसके लिए अपीलार्थी/अभियुक्त अपने भाई व भाभी को जिम्मेदार मानता था तथा जिसके कारण विवाद होता था । इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त के मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया ।

63. **अबसार आलम** उर्फ **अफसार आलम** बनाम **बिहार राज्य**[3] के मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपनी मां की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी और शव को घर पर छोड़कर वह मृतका के सिर को लेकर भाग गया था । इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया था जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई

---

[1] (2012) 5 एस. सी. सी. 766.

[2] (2002) 3 एस. सी. सी. 76.

[3] (2012) 2 एस. सी. सी. 728.

थी तत्पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में यह पाते हुए कि अपीलार्थी/अभियुक्त की पत्नी घटना के 2-3 दिन पहले अपने मायके भाग गई थी और जिसके लिए अपीलार्थी/अभियुक्त अपनी मां को दोषी मानता था और इसी बात को लेकर क्रोधित होने के कारण उसने अपनी मां की गर्दन काट डाली थी और उसका (मृतका) का सिर लेकर भाग गया था । अपीलार्थी/अभियुक्त एक अनपढ़ देहाती एवं सीधा-साधा किसान था जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका । इसके कारण उसने अपनी मां की गर्दन काटकर हत्या कर दी । उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया ।

64. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में जमीन का विवाद था । मृतक के पास 18 बीघा तथा उसकी पत्नी के नाम 2 बीघा जमीन थी । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर, चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर जमीन के बंटवारा हेतु मृतक से कह रहे थे लेकिन मृतक बैंक ऋण के अदायगी के पूर्व जमीन बांटने के लिए तैयार नहीं था । साक्ष्य में यह भी आया है कि इस घटना के एक दिन पूर्व दिनांक 2.11.2010 को गन्ना काटने की बात को लेकर विवाद हुआ था जिसके कारण पुलिस ने सुरेन्द्र **उर्फ** सुनील कुमार अभियोजन साक्षी संख्या 2 तथा उक्त अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर व चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर को बंद कर दिया था जो उसी दिन एस. डी. एम. धामपुर के यहां से जमानत पर छूटे थे । चूंकि मृतक तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर व चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर के बीच जमीन का विवाद था और इसी कारण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राम किशोर व चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर कथित घटना के समय अन्य अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक की हत्या कर दी । इस घटना के पूर्व अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर द्वारा अपने पिता के पिता (दादा) की हत्या करने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है । फिर उसे उक्त प्रकरण में दोषमुक्त होना बताया गया है । अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर एक शादी-शुदा व्यक्ति है तथा उसके बच्चे भी हैं । पत्रावली पर इस तरह की ऐसी कोई परिस्थिति उपलब्ध नहीं है जिससे कि भविष्य में उसके जीवन में सुधार आना सम्भव न हो । ऐसी दशा में हमारे विचार से प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है और प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर को मृत्यु दण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा ।

65. तद्नुसार अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के विरुद्ध पारित मृत्यु दण्ड का आदेश अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी अभियुक्त राम किशोर को धारा 302/34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अर्थदण्ड यथावत् रहेगा तथा अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर के विरुद्ध धारा 201 एवं 506 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पारित दण्डादेश की पुष्टि की जाती है । तद्नुसार अपीलार्थी/अभियुक्त राम किशोर की अपील आंशिक रूप से मृत्यु दण्ड के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है ।

66. संदर्भ संख्या 16 वर्ष 2011 निरस्त किया जाता है ।

67. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्रशेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार तथा अनिल कुमार के विरुद्ध धारा 302/34, 201, 506 भा. दं. सं. के अर्न्तगत पारित दण्डादेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं पाई जाती है । तद्नुसार अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर, कपिल कुमार एवं अनिल कुमार के विरुद्ध धारा 302/34, 201, 506 भा. दं. सं. के अर्न्तगत पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश की पुष्टि की जाती है । अपीलार्थी/अभियुक्त अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 6631 वर्ष 2011 तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण चन्द्र शेखर **उर्फ** शेखर एवं कपिल कुमार द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 6965 वर्ष 2011 निरस्त की जाती हैं ।

68. निर्णय की प्रति एवं परीक्षण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाए ।

अपीलें खारिज की गईं ।

दिनांक 20.9.2013

आर्य

सतीश दूबे

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 10 फरवरी, 2014

न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता अग्रवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 376(2)(च) और 201 – बलात्संग और हत्या – जहां मामले में प्रस्तुत साक्ष्य, चिकित्सक की चिकित्सीय रिपोर्ट, शव की शनाख्त, अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य, न्यायिकेतर संस्वीकृति तथा परिस्थितियों की सुस्थापित कड़ी और युक्तियुक्त रूप से यह साबित हो कि सभी मानवीय संभाव्यताओं में बलात्संग और हत्या का अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया वहां अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायसंगत और उचित है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि शिव नाथ सिंह **उर्फ** गब्बर सिंह पुत्र लाला राम निवास ग्राम भनाउ, पुलिस थाना बिचाव, जिला मैनपुरी द्वारा लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना बिचाव पर प्रस्तुत की गई । उसमें यह उल्लेख किया गया था कि तारीख 11 जनवरी, 2011 को उसकी भतीजी (मृतका) जिसकी आयु लगभग 9 वर्ष है अमर सिंह की पुत्री है, नन्द राम की पुत्री प्रेम लता उसके पिता लाला राम जिनकी आयु लगभग 66 वर्ष है, के साथ भांजी मनोहर सिंह की पुत्री रीना ग्राम लालपुर-सिगोनी, पुलिस थाना दन्नाहर जिला मैनपुरी में बाग को देख रहे थे । उसी दिन लगभग 4.45 बजे अपराह्न अभियुक्त सतीश उस बाग पर पहुंचा और उसकी भतीजी, पीड़िता से यह कहा कि उसके लिए कुछ अमरूद तोड़े तथा वह इस काम के लिए उसे पैसा देगा । पीड़िता बाग में उसके साथ चली गई । जब वह लगभग 5.30 बजे अपराह्न बाजार से अपने घर वापस पहुंचा उसने पीड़िता को नहीं पाया जिस पर उसने प्रेम लता और रीना से उसके बारे में पूछताछ की जिन्होंने उसे बताया कि शाम को सतीश दूबे बाग पर पहुंचा था और वह पीड़िता को कुछ अमरूद देने के बहाने उसे अपने साथ ले गया । जब वह वापस नहीं लौटी तब उन्होंने अपने नाना लाला राम के साथ पीड़िता को ढूंढा परंतु वह वहां नहीं पाई गई । उन्होंने यह सोचा कि मृतका सतीश के साथ अपने मकान पर वापस लौट गई

होगी जो उसी ग्राम का ही निवासी है । यह भी कथन किया गया है कि इत्तिला देने वाले ने पीड़िता की अपने कुटुंब के सदस्यों और गांववासियों के साथ बाग और उसके नजदीक खेतों पर उसको ढूंढा गया परंतु उसका कहीं भी पता नहीं लग सका । कुछ गांववासियों ने उसे यह बताया था कि सतीश सड़क के त्रिकोणीय मोड़ पर बैठा हुआ है जिस पर वह वहां पहुंचा क्योंकि अभियुक्त सतीश ने उसे कुछ गांववासियों के साथ देखा परंतु वह भाग गया परंतु उन्होंने उसे पकड़ लिया । उन्होंने उससे पीड़िता के बारे में पूछा जिस पर सतीश ने अपनी दोषिता की संस्वीकृति दी और यह बताया कि उसने उसके साथ बलात्संग करने की कोशिश की, जब वह चीखी-चिल्लाई तब उसने डर के मारे उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी । उसके पश्चात् उसने काली नदी में उसके शव को फेंक दिया । इत्तिला देने वाला और अन्य गांववासी अभियुक्त के साथ काली नदी पर गए जहां सतीश ने पीड़िता के शव को फेंका था । ढूंढने पर उसके शव का पता नहीं चल सका । उसके बाद वे अपीलार्थी को पुलिस थाने पर ले गए । लाला राम ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 11 जनवरी, 2011 को वह अपनी पौत्रियों, पीड़िता, प्रेम लता और रीना के साथ छायेदार छोटा जंगल देखने के लिए जा रहा था । सतीश दूबे अपीलार्थी वहां पहुंचा और उसकी पौत्री को कुछ पैसा दिया और पीड़िता ने उसे कुछ अमरूद मुहैया कराए । पीड़िता सतीश के साथ बाग के अंदर गई थी और तब वह "बारसीन" काटने के लिए दूसरे खेत पर गया । जब लगभग 5.30 बजे अपराह्न उसका पुत्र शिव नाथ बाजार से घर वापस पहुंचा तब उसने पीड़िता को घर पर नहीं पाया, तब उसने प्रेम लता और रीना से पूछताछ की । उन्होंने उसे यह बताया कि सतीश दूबे अपीलार्थी बाग में पीड़िता को ले गया था और इसके पश्चात् वह वापस नहीं लौटी । इसके बाद वह उसको ढूंढने के लिए अपने पुत्र के साथ बाग पर गया परंतु कोई परिणाम नहीं निकला और वे घर वापस लौट आए । गांववासियों ने उसे बताया कि अभियुक्त सतीश सड़क के नजदीक त्रिकोणीय मोड़ पर बैठा हुआ पाया गया था और उनके द्वारा उसे पकड़ लिया गया । अभियुक्त सतीश ने अपने दोषी होने की संस्वीकृति दी उसके पश्चात् अभि. सा. 2 सतीश अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर गया जहां सतीश ने बताया कि उसने काली नदी में शव को फेंक दिया था । वे शव को नहीं पा सके परंतु कुछ दूरी पर मृतका की नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल बरामद की गई । बाद में शव काली नदी के पुल से 1 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया ।

उसके पश्चात् पुलिस को सूचना दी गई । पुलिस बरामदगी के लिए घटनास्थल पर पहुंची, शव की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की और उस पर अपने हस्ताक्षर किए । इस साक्षी ने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट, कागजात सं. 8-क, प्रदर्श क-2 की पहचान भी की । उसने यह भी कथन किया कि घटना के समय पर पीड़िता की आयु लगभग 9 वर्ष थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी के समक्ष सभी अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों को रखा गया । उसने प्रत्येक परिस्थिति के बारे में मिथ्या होना कहा है और उसने यह कथन किया कि उसे गांव पार्टीबंदी की वजह से मिथ्या रूप से फंसाया गया है क्योंकि उसने गांव के प्रधान को वोट नहीं दिया । इत्तिला देने वाला और प्रधान एक ही जाति के हैं । उसने यह भी कथन किया है कि पुलिस ने उसे उसके मकान से गिरफ्तार किया था और अपराध में उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है । अपर सेशन न्यायाधीश के निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील (मृत्यु दंड) की गई तथा राज्य सरकार ने मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए निर्देश भी किया । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन करने से यह उपदर्शित है कि उन तथ्यों को सम्यक् रूप से उसमें निगमित किया गया है । न्यायालय ने उन तथ्यों का परिशीलन करने से यह निष्कर्ष निकाला है कि इत्तिला देने वाले का आचरण नैसर्गिक है जिसमें उसने अन्य गांववासियों के साथ अपनी भतीजी को ढूंढा था जब उसने अपनी भतीजी को घर में नहीं पाया । इसके अतिरिक्त जब उन्होंने अपीलार्थी को पकड़ा तो उसने अपने अपराध किए जाने की संस्वीकृति दी और उसे उस स्थान पर ले जाया गया था जहां उसके द्वारा शव को फेंका गया, इस पर सबसे पहले यह प्रतिक्रिया होना अपेक्षित थी कि शव को ढूंढा जाए और जब वे ढूंढने में विफल हुए तब वे लोग अपीलार्थी को पुलिस थाने पर ले गए । अन्वेषक अधिकारी पुलिस कार्मिक, अभियुक्त और इत्तिला देने वाले के साथ घटनास्थल पर गए जहां अपीलार्थी द्वारा उसी दिन शव को पेंका जाना कहा गया था । शव को ढूंढते समय मृतका के नीले रंग का प्लास्टिक चप्पल काली नदी के नजदीक पड़े हुए पाया गया था । उसका बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया था । इस प्रकार ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पूर्व दिनांकित है या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में असम्यक् विलंब हुआ है । यह भी विचार किया जा सकता है कि भिन्न-भिन्न लोगों

ने वर्णित तथ्य और स्थिति के बारे में अलग-अलग रीति में प्रतिक्रिया की । यह तथ्य कि इत्तिला देने वाला अपनी भतीजी (मृतका) को ढूंढने की वजह से यथाशीघ्र पुलिस थाने पर नहीं पहुंच पाया । इससे यह दर्शित होता है कि प्रथमतः उसने सच्चाई को जानने की कोशिश की और वह इस बात की कल्पना नहीं कर सका कि पीड़िता के साथ अपीलार्थी सतीश द्वारा बलात्संग करके उसकी हत्या की जा सकती है । इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 12 जनवरी, 2012 अर्थात् अगले दिन उनके द्वारा अभियुक्त सतीश को पकड़े जाने के पश्चात् ही दर्ज की गई थी और अपीलार्थी ने अपने दोषी होने की संस्वीकृति दी । इत्तिला देने वाला और उसके कुटुंब के सदस्य उसे पुलिस थाने पर ले गए । यद्यपि यह तथ्य कि सतीश मृतका को अपने साथ बाग पर ले गया था, यह बात प्रेम लता, रीना जो लड़कियां घटना की तारीख को मृतका के साथ थीं, उनको बताई थी । इस तथ्य से यह भी दर्शित होता है कि कुटुंब का स्वाभाविक व्यवहार और साधारण गांववासियों के विश्वास पर वे यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि बालिका साक्षियों द्वारा बताए जाने के बावजूद भी अपीलार्थी ऐसा अपराध कर सकता है । उन्होंने रात भर मृतका को ढूंढा और सही तथ्य जाने बिना सतीश को आलिप्त करने के लिए तत्काल पुलिस थाने पर नहीं पहुंचे । अगले दिन जब अपीलार्थी को पकड़ा गया था तब उन्हें सम्पूर्ण कहानी की जानकारी हुई और तब वे कुछ समय तक शव को ढूंढने में लगे रहे । शव को ढूंढने में विफल होने पर वे सतीश को पुलिस थाने पर ले गए और इसके पश्चात् उसके विरुद्ध अपराध किए जाने के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । ऐसे दृष्टिकोण को दृष्टिगत करते हुए हमारी विचारित राय यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में कोई विलंब नहीं हुआ था और प्रतिरक्षा के सुझाव की अपीलार्थी को शत्रुतावश मिथ्या रूप से फंसाया गया है । यह तर्क खरा नहीं उतरता । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि इत्तिला देने वाले और गांववासियों द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी को साबित नहीं किया गया था क्योंकि गिरफ्तारी के समय को उनके कथन में उल्लिखित नहीं किया गया है । उक्त प्रतिरक्षा अभि. सा. 5 जयवीर सिंह के स्पष्ट कथन को ध्यान में रखते हुए तनिक भी स्वीकार योग्य नहीं है जिसने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट साबित की । अभि. सा. 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में जो तारीख 12 जनवरी, 2011 को पुलिस थाना, बिचाव पर कांस्टेबल लिपिक के पद पर तैनात था, ने स्पष्ट रूप से यह

कथन किया है कि इत्तिला देने वाला तारीख 12 जनवरी, 2011 को 3.30 बजे अपराह्न पुलिस थाने पर पहुंचा । उसने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और "तहरीर" कागजात सं. 4-क/1 और 4-क/2 साबित की हैं जो उसके द्वारा लिखी गई थीं । उसने कागजात सं. 4-क/1 तथा 4-क/2 को देखने के पश्चात् अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि ये कागजात उसकी स्वयं के हस्तलेख में तैयार किए गए थे और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि इत्तिला देने वाले द्वारा सतीश को पुलिस थाने पर लाया गया था । अभि. सा. 5 जो पुलिस अधिकारी है उसके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । इसके अतिरिक्त किसी अन्य परिस्थिति के अभाव में उसके निवेदन को अस्वीकार किया जाए । जहां तक घटना के 9 दिन पश्चात् काली नदी के नजदीक शव की बरामदगी की एक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । प्रथम परिस्थिति यह है कि शव घटना के स्थान से लगभग 1-1/2 किलोमीटर की दूरी पर भनाउ पुल नदी के नजदीक बरामद किया गया था । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि शव उस स्थान से बरामद किया गया था जो स्थान भनाउ पुल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील का कोई आधार नहीं है । इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि शव नदी में बह रहा था और उस समय जाड़े का महीना था । इस बारे में कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकती कि कितने समय तक शव नदी में जलमग्न रहा और कब यह सतह पर पहुंचा । यह बात अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होती है कि पीड़िता का शव सतह पर आया था और गोताखोर नदी में जलमग्न होने से उसे नहीं पा सके । यह एक सामान्य सी बात है कि कोई भी व्यक्ति इस बारे में निश्चित राय नहीं बना सकता कि नदी कौन सी दिशा में बह रही है । तथापि, इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि शव ऐसे स्थान पर पाया गया था जो नदी के वर्तमान दिशा में बहने की ओर था । अभियुक्त द्वारा उस स्थान से कुछ दूरी दिखाई गई थी जहां से उसने शव को फेंका था । इस प्रकार, भनाउ नदी के पुल के नजदीक उस स्थान से शव की बरामदगी के बारे में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है । अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने दलील देते हुए शव की बरामदगी के तथ्य को आक्षेपित किया है । अतः, यह बात स्वीकार्य नहीं है । उप-निरीक्षक जगदीश प्रसाद वर्मा जिन्होंने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की थी और उन्होंने यह कथन करते हुए इसे

स्पष्ट रूप से साबित किया है कि शव की पहचान मृतका के चाचा अभि. सा. 1 द्वारा की गई थी उसने अपनी मुख्य परीक्षा तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि शव पर सूजन थी और नासाछिद्रों से रक्त टपक रहा था । उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि शव का चेहरा पहचान योग्य था और यह कहना मिथ्या है कि शव की पहचान नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें सूजन थी । उसने यह भी कथन किया है कि यह सही है कि शव की त्वचा भिन्न-भिन्न भागों पर उतरी पड़ी हुई थी । एकमात्र साक्षी अर्थात् मृतका के नाना ने यह कथन किया है कि शव पर सूजन थी इसलिए वे उसकी पहचान नहीं कर पाए थे । इसके अतिरिक्त, इस साक्षी की आयु 66 वर्ष थी और जो मृतका के नाना थे । यह संभव है कि वह शव की पहचान नहीं कर सके । सभी अन्य साक्षी खासतौर पर डाक्टर जिन्होंने शवपरीक्षण के लिए शव को प्राप्त किया था, स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि शव का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था यद्यपि सूजन थी । इसके अतिरिक्त शव की आयु और कपड़ों का वर्णन जिन्हें घटना की तारीख को मृतका द्वारा पहना गया था, मृतका के आयु के यथावत् समरूप था और साक्षियों द्वारा किए गए वर्णन के अनुसार था । उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट रूप से सिद्ध किया गया है कि काली नदी के नजदीक पाया गया शव मृतका का था । इन तीन साक्षियों के साक्ष्य का बारीकी से परिशीलन करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि उन्होंने लगभग 4.00 बजे अपराह्न बाग में अभियुक्त सतीश की मौजूदगी को साबित किया है और यह तथ्य कि मृतका बाग के अंदर उसके साथ गई थी । इसके पीछे कारण रहा है कम से कम दो साक्षी अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ने अभियुक्त सतीश की बाग में लगभग 4.00 बजे अपराह्न मौजूदगी को साबित किया है । जहां तक लाला राम का परिसाक्ष्य है उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि सतीश बाग पर पहुंचा और मृतका को सतीश के पास छोड़ने के पश्चात् वह एक दूसरे खेत में "बरसीन" काटने के लिए चला गया । दो अप्राप्तवय लड़कियां अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ने भी यह कथन किया है कि उनके नाना घटना के समय पर "बरसीन" काट रहे थे । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा में वे विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं कर सके हैं कि क्या अभि. सा. 2 ने अंतिम बार सतीश को बाग में देखा था । जब तीन साक्षियों के अभिसाक्ष्यों का आलोचनात्मक रूप से परीक्षा करते हैं तो उल्लेख करना सुसंगत है कि अंतिम बार देखे जाने के ये तीन साक्षी जिनमें

एक वृद्ध व्यक्ति है और दो अप्राप्तवय लड़कियां वे सभी असभ्य गांववासी हैं । अभि. सा. 3 से लगभग एक माह के अंतराल पर दो तारीखों पर लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसकी मुख्य और प्रथम प्रतिपरीक्षा तारीख 19 जनवरी, 2013 को अभिलिखित की गई थी और तारीख 15 फरवरी, 2013 को शपथ पर दूसरी प्रतिपरीक्षा अभिलिखित की गई थी । उसकी प्रतिपरीक्षा से यह प्रकट हुआ है कि उसे कोई विनिर्दिष्ट सुझाव नहीं दिया गया था कि क्या वह जब सतीश लगभग 4.00 बजे अपराह्न वहां पहुंचा तब वह बाग में मौजूद था । यह प्रकट हुआ है कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि वह कथित दिन को बाग पर नहीं गया और वह अधिकांश तौर पर अपने घर पर ही रहा जिस पर उसने स्पष्ट रूप से इनकार किया है । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने अपने चार पशुओं के लिए "बरसीन" काटी थी और प्रातः होने से पूर्व अपने पशुओं को चारा देने के लिए वह अपने घर पहुंचा । विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित किया गया है न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि दो बालक साक्षियों और एक वृद्ध व्यक्ति (मृतका का नाना) के कथनों में विभेद ऐसी प्रकृति के हैं जिससे कि उनके स्पष्ट वृत्तांत त्यक्त किए जाएं कि सतीश घटना की तारीख को बाग पर पहुंचा था और मृतका कुछ अमरूद देने के लिए बाग में उसके साथ गई थी । न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत है कि ये दोनों साक्षी कोमल आयु की लड़कियां हैं और वे बाग में थे और घटना को देख सकते थे । परंतु उनके कथन मुख्य परीक्षा में उनके परिसाक्ष्य को प्रभावित नहीं करता है । दोनों लड़कियों ने अपनी मुख्य और प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट आधार लिया है कि केवल घटना की तारीख को बाग में सतीश पहुंचा था जब वे मृतका के साथ थे और बाग की पहरेदारी कर रहे थे । वहां पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था । वास्तव में, उनके कथनों में ऐसी छोटी-मोटी विभेदताएं प्रकट हुई हैं । ऐसी बातें असामान्य नहीं हैं तब भी इन साक्षियों का परिसाक्ष्य अत्यधिक सच्चाई से भरा हुआ है, यह साबित हुआ है कि वे सिखाए-पढ़ाए गए साक्षी, नहीं हैं बल्कि उनके कथन नैसर्गिक थे । इसके अतिरिक्त, अभिलेख से यह प्रकट है कि विचारण न्यायाधीश ने अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 की परीक्षा करने से पूर्व अपने को संतुष्ट करने के लिए सावधानी बरती थी और प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुछ प्रश्न उनसे पूछे थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि वे उनके समक्ष रखे गए प्रश्न के आधार पर उत्तर

देने में समर्थ थे तब उन्होंने अपना यह समाधान किया कि वे समझने में समर्थ हैं तथा वे अभिसाक्ष्य देने की स्थिति में हैं और उनके कथनों को अभिलिखित करने की कार्यवाही की । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दो साक्षी अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 द्वारा कपड़ों के वर्णन के बारे में बताई गई विसंगतता के संबंध में यह कहना पर्याप्त है कि मृतका द्वारा घटना की तारीख को पहने गए जैकेट के रंग के बारे में केवल भिन्नता थी । उक्त भिन्नता डाक्टर द्वारा शव पर वर्णित कपड़ों के वृत्तांत को ध्यान में रखते हुए नगण्य है । यह सुस्पष्ट है कि मृतका के शव पर जैकेट पाया गया था जब इसे बरामद किया गया और इसे फारेंसिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । जहां तक अभियुक्त द्वारा अपनी गिरफ्तारी से पूर्व या उसे पुलिस को सौंपे जाने के पूर्व किए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति का संबंध है विधि की यह सुस्थिर स्थिति है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति यदि सही और स्वैच्छिक है तो इसका न्यायालय द्वारा अभिकथित अपराध किए जाने के संबंध में अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अवलंब लिया जा सकता है । साक्ष्य के रूप में न्यायिकेतर संस्वीकृति की अंतर्निहित दुर्बलता के बावजूद तब इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती जब इससे यह दर्शित होता है कि ऐसी संस्वीकृति ऐसे किसी व्यक्ति के समक्ष की गई थी जिसके पास मिथ्या कथन करने का कोई कारण नहीं है । वर्तमान मामले में अपीलार्थी द्वारा की गई न्यायिक संस्वीकृति अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहा गया है जैसाकि पूर्व में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसी संस्वीकृति को अपीलार्थी ने सड़क के त्रिकोणीय मोड़ पर गांववासियों के साथ 2 साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार होने के उपरांत तत्काल की गई है । उसने उन्हें वह स्थान भी दिखाया जहां मृतका की हत्या करने के पश्चात् शव को फेंक दिया गया था । ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया जिससे यह दर्शित हो सकता है कि उनका साक्ष्य दूषित है और न्यायिकेतर संस्वीकृति अपीलार्थी द्वारा स्वेच्छा से नहीं की गई है । इस प्रकार उपरोक्त चर्चा से न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी का न्यायिकेतर संस्वीकृति जब उसे साक्षियों और गांववासियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा पुलिस को सौंपे जाने से पूर्व उसके द्वारा की गई थी, दूषित नहीं है । अब न्यायालय का इससे विश्वास उत्प्रेरित होता है क्योंकि यह स्वैच्छिक बिना किसी धमकी के की गई थी । यह स्वभाविक था तथा इसकी आगे नीले रंग की चप्पल की बरामदगी से और मृतका के शव से भी संपुष्टि हुई है । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त द्वारा की गई

न्यायिकेतर संस्वीकृति वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में साक्ष्य के टुकड़े के रूप में ग्राह्य है और अभियोजन पक्षकथन को साबित करने के लिए परिस्थितियों के रूप में एक अतिरिक्त शृंखला है । वर्तमान मामले में यह पाया गया है कि अभियुक्त द्वारा बताए गए तथ्यों पर नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल बरामद की गई है कि उसने मृतका की हत्या की थी और शव को काली नदी में फेंक दिया था । जैसाकि चर्चा की गई और अपीलार्थी द्वारा उस स्थान को दिखाया गया जहां उसने घटना घटने के स्थान से अर्थात् बाग से 20 कदम की दूरी पर काली नदी में शव को फेंक दिया था । इस प्रकार अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन पर बरामदगी की सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल की बारमदगी का 9 दिन पश्चात् लगभग 1-1/2 किलोमीटर की दूरी पर काली नदी से शव की बरामदगी से संबंधित है । जैसाकि ऊपर चर्चा की गई शव उस स्थान से 1-1/2 किलोमीटर की दूरी पर नदी के पुल भनाउ के नजदीक पाया गया था जहां अभियुक्त द्वारा उसको फेंका गया था । इस प्रकार सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त से प्राप्त की गई सूचना के परिणामस्वरूप मृतका की नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल की बरामदगी हुई थी इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन बरामदगी माना जाता है क्योंकि यह उन तथ्यों से संबंधित है । तदुपरि जिसकी बरामदगी हुई थी और इसे साबित किया गया है । सभी तथ्यों और परिस्थितियों के संयुक्त उक्त तथ्य जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है उन्हें साबित किया गया है कि अपीलार्थी-अभियुक्त अपराध को करने वाला है । वर्तमान मामले में शव घटना की तारीख के 9 दिन पश्चात् पाया गया था । शव लगभग 8 दिन तक पानी में रहा था । डाक्टर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि शव पर पाए गए बदलाव के आधार पर और वातावरण के तापमान के आधार पर मृत्यु घटना के 8 दिन पूर्व घटित हो सकती है । उन्होंने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि मृत्यु के पश्चात् शव से टपकने वाले रक्त का वर्णन किया गया है जो बदला हुआ रक्त है । क्षति सं. 4 के वर्णन में यह उल्लेख किया गया है कि बदला हुआ रक्त योनि से टपक रहा था । मृत्यु पूर्व गला घोंटने और श्वासावरोध के कारण हुई थी । इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ साक्षी डाक्टर ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शव पर किसी जानवर के काटे हुए निशान नहीं थे । इस प्रकार क्षति सं. 4, योनि धब्बे पर पैथोलोजी रिपोर्ट तथा न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट, आगरा

जिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि मृतका की फ्राक और पायजामी के ऊपर मानवरक्त मौजूद था । इसके अतिरिक्त यह तथ्य प्रकट हुआ है कि बदला हुआ रक्त योनि से टपक रहा था और योनि धब्बे में अत्यधिक लाल रंग के रक्त के सैल मौजूद थे जिनसे स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि अभियुक्त सतीश द्वारा बलात्संग किए जाने के बारे में अभियोजन वृत्तांत युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हुआ है । इस प्रकम पर उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम दो बालिका साक्षी अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के वृत्तांत पर विश्वास करना चाहते हैं कि उन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा बलात्संग किए जाने की घटना को देखा था । तथापि, न्यायालय अभियुक्त सतीश द्वारा मृतका के साथ बलात्संग किए जाने के बारे में उनके कथनों के आधार पर राय विरचित करने से स्वयं पर अंकुश लगाते हैं । अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी ठहराने वाली परिस्थितियां न्यायालय द्वारा विस्तार से उनका विश्लेषण किया गया है और अभियुक्त पर अचूक रूप से यह इंगित होता है कि अपराध का कर्ता वही है । जहां तक अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 का अंतिम बार देखे जाने के पहलू का संबंध हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतका अभियुक्त के संग देखी गई थी उनके उस स्थान से चले जाने के पूर्व और इसके पश्चात् मृतका कभी-भी जीवित नहीं दिखाई दी थी । इसके अतिरिक्त साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रथम संस्वीकृति (न्यायिकेतर संस्वीकृति) अभियुक्त द्वारा पुलिस की मौजूदगी में नहीं की गई थी । उसे पुलिस को सौंपे जाने से पूर्व उसने संस्वीकृति की थी और उस स्थान को दिखाया था जहां से उसने शव को फेंका था और उसके कहने पर मृतका के नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल पाई गई थी और उसे पुलिस को सौंपे जाने के पश्चात् पुलिस उसकी गिरफ्तारी के पश्चात् इत्तिला देने वाले और गांववासियों के साथ तत्काल शव को ढूंढने के लिए गई थी । उसके पश्चात् अभियुक्त द्वारा काली नदी के नजदीक दिखाए गए स्थान से लगभग 1-1/2 किलोमीटर की दूरी पर 9 दिन पश्चात् शव बरामद किया गया था । यद्यपि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 बालिका साक्षी हैं फिर भी विचारण न्यायालय ने उनके साक्ष्य का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया था और यह समाधान किया कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा करके उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए जिनका उन्होंने सही उत्तर दिया । विचारण न्यायाधीश ने इन साक्षियों से उत्तर और प्रश्न प्राप्त करने के पश्चात् उनके कथनों को अभिलेख पर दर्ज करने की कार्यवाही की । इन बालिका साक्षियों के कथन

स्पष्ट और समझने योग्य हैं । उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में भी स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि सतीश के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति बाग में पहुंचा था और मृतका सतीश के साथ गई थी और वापस नहीं लौटी । चिकित्सा साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि मृत्यु का कारण गला घोंटने की वजह से श्वासावरोध था और मृतका की हत्या से पूर्व अभियुक्त द्वारा उससे बलात्संग किए जाने का साक्ष्य स्पष्ट है । इस मामले में पेश किए गए साक्ष्य का गहराई, आलोचनात्मक और बारीकी से परिशीलन करने के पश्चात् हमारे विवेक में ऐसा कोई संदेह नहीं है कि वह अभियुक्त ही था जिसने अपराध किया था । परिस्थिति पर किसी व्यक्ति को सिद्धदोष करने के लिए अपेक्षित सबूत मानक को उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की शृंखला द्वारा अच्छी तरह सिद्ध किया गया है । दोषसिद्धि के समर्थन में अवलंबित परिस्थितियों को पूर्णतया सिद्ध किया जाना चाहिए और इन परिस्थितियों द्वारा दिए गए साक्ष्य की शृंखला को पूरा होना चाहिए जिसमें अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत निष्कर्ष निकालने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं होना चाहिए और इससे यह दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यता में अभियुक्त द्वारा ऐसा कार्य किया गया होगा । न्यायालय सेशन न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह सहमत है जिनके द्वारा इस मामले में पेश किए गए साक्ष्य और दस्तावेजों का सही रूप से मूल्यांकन किया गया है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अभियुक्त की दोषिता संदेह के परे साबित की गई है । तथापि, न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकालता है कि किसी युवा बालिका के साथ विभत्स बलात्संग और हत्या को देखते हुए तथा अभियुक्त का यह प्रयास कि नदी में शव को फेंक कर अपराध को छुपा दिया जाए "विरल से विरलतम" मामलों के प्रवर्ग में आता है जिस पर अभियुक्त-अपीलार्थी को मृत्यु दंड अधिनिर्णीत किया जाए । ऊपर की चर्चा से न्यायालय का यह मत है कि मृत्यु दंड का अनुकल्प होना चाहिए । अभियुक्त-अपीलार्थी को उसके पूरे जीवन काल के लिए आजीवन कारावास अधिनिर्णीत किया जाता है और यह बात सरकार के आग्रह पर अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए लघुकरण के अध्यधीन होगा । पूर्वोक्त तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376(2)(च) और 201 के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता नहीं है और इसे कायम रखा जाता है । तथापि, न्यायालय अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंडादेश को उपांतरित करता

है और दंड को आजीवन कारावास के दंडादेश में लघुकृत किया जाता है । (पैरा 36, 37, 39, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 58, 65, 74, 76, 80, 82, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 102 और 103)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 5 एस. सी. सी. 546 : **शंकर किसन राव खाडे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य ;**	97
[2012]	(2012) 8 एस. सी. सी. 73 : **के. वेंकटेशवरलु** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	62
[2012]	(2012) 10 एस. सी. सी. 451 : **अलगुपांडी** उर्फ **अलगुपांडियन** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ;	59
[2012]	(2012) 11 एस. सी. सी. 205 : **सुनील क्लिफोर्ड डैनियल** बनाम **पंजाब राज्य** ;	72
[2011]	(2011) 8 एस. सी. सी. 300 : **रफीक अहमद** उर्फ **रफी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	71
[2011]	(2011) 14 एस. सी. सी. 268 : **दिनेश प्रजापति** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	61
[2010]	(2010) 2 एस. सी. सी. 748 : **मुशीर खान** उर्फ **बादशाह खान और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	84
[2010]	(2010) 12 एस. सी. सी. 310 : **मनु साहू** बनाम **बिहार राज्य** ;	70
[2009]	(2009) 5 एस. सी. सी. 740: **रमेश भाई चंदू भाई राठौर** बनाम **गुजरात राज्य** ;	60
[2006]	(2006) 12 एस. सी. सी. 79 : **अमित सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	100
[2005]	(2005) 3 एस. सी. सी. 127 : **सुरेन्द्रपाल शिव बालकपाल** बनाम **गुजरात राज्य** ;	100

[2005]	(2005) 9 एस. सी. सी. 788 : **जयश्री यादव** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**	56
[2005]	(2005) 10 एस. सी. सी. 322 : **राहुल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	100
[2005]	(2005) 13 एस. सी. सी. 116: **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **कांडा गोपालुडु** ;	77
[2003]	(2003) 8 एस. सी. सी. 93 : **अमित** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	100
[2001]	(2001) 2 एस. सी. सी. 205 : **गुरू सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	77
[2001]	(2001) 9 एस. सी. सी. 615 : **बंटू** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	100
[1991]	(1991) 1 एस. सी. सी. 286 : **किशोर चंद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	78
[1988]	(1988) (सप्ली.) एस. सी. सी. 241 : **अप्पा भाई और एक अन्य** बनाम **गुजरात राज्य** ;	57
[1980]	(1980) 2 एस. सी. सी. 684 : **बच्चन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	99
[1975]	(1975) 4 एस. सी. सी. 234 : **मघर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	77
[1954]	ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 322 : **राव शीर बहादुर सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ।	77

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील (मृत्यु दंड) सं. :

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अजय विक्रम यादव और अजय कुमार

प्रत्यर्थी की ओर से सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता अग्रवाल ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) अग्रवाल – अपर सेशन न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (डी. ए. ए.) मैनपुरी द्वारा तारीख 9 जुलाई, 2013 को निर्णय पारित किया गया जिसमें अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मृत्यु दंड दिया गया साथ ही साथ दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) के अधीन कठोर आजीवन कारावास का दंड दिया गया और 15,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर उसे 6 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने का दंड दिया गया इसके अतिरिक्त दंड संहिता की धारा 201 के अधीन 7 वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया गया तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर उसे 3 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने का भी दंड दिया गया, अपीलार्थी द्वारा इस मृत्यु दंड को चुनौती दी गई है । विचारण न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अधीन 2013 का निर्देश सं. 9 भी भेजा गया । सभी दंडादेश साथ-साथ चलने थे ।

2. हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री अजय कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान् सरकारी अधिवक्ता श्री अखिलेश सिंह को सुना और विचारण न्यायालय के निर्णय और अभिलेख का परिशीलन किया ।

3. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि शिव नाथ सिंह **उर्फ** गब्बर सिंह पुत्र लाला राम निवास ग्राम भनाउ, पुलिस थाना बिचाव, जिला मैनपुरी द्वारा लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना बिचाव पर प्रस्तुत की गई । उसमें यह उल्लेख किया गया था कि तारीख 11 जनवरी, 2011 को उसकी भतीजी (मृतका) जिसकी आयु लगभग 9 वर्ष है अमर सिंह की पुत्री है, नन्द राम की पुत्री प्रेम लता उसके पिता लाला राम जिनकी आयु लगभग 66 वर्ष है, के साथ भांजी मनोहर सिंह की पुत्री रीना ग्राम लालपुर-सिगोनी, पुलिस थाना दन्नाहर जिला मैनपुरी में बाग को देख रहे थे । उसी दिन लगभग 4.45 बजे अपराह्न अभियुक्त सतीश उस बाग पर पहुंचा और उसकी भतीजी, पीड़िता से यह कहा कि उसके लिए कुछ अमरूद तोड़े तथा वह इस काम के लिए उसे पैसा देगा । पीड़िता बाग में उसके साथ चली गई । जब वह लगभग 5.30 बजे अपराह्न बाजार से अपने घर वापस पहुंचा उसने पीड़िता को नहीं पाया जिस पर उसने प्रेम लता और रीना से उसके बारे में पूछताछ की जिन्होंने उसे बताया कि शाम को सतीश दूबे बाग पर पहुंचा था और वह पीड़िता को कुछ अमरूद देने के बहाने उसे अपने साथ ले गया । जब वह वापस नहीं लौटी तब उन्होंने अपने नाना

लाला राम के साथ पीड़िता को ढूंढा परंतु वह वहां नहीं पाई गई । उन्होंने यह सोचा कि मृतका सतीश के साथ अपने मकान पर वापस लौट गई होगी जो उसी ग्राम का ही निवासी है । यह भी कथन किया गया है कि इत्तिला देने वाले ने पीड़िता की अपने कुटुंब के सदस्यों और गांववासियों के साथ बाग और उसके नजदीक खेतों पर उसको ढूंढा गया परंतु उसका कहीं भी पता नहीं लग सका । कुछ गांववासियों ने उसे यह बताया था कि सतीश सड़क के त्रिकोणीय मोड़ पर बैठा हुआ है जिस पर वह वहां पहुंचा क्योंकि अभियुक्त सतीश ने उसे कुछ गांववासियों के साथ देखा परंतु वह भाग गया परंतु उन्होंने उसे पकड़ लिया । उन्होंने उससे पीड़िता के बारे में पूछा जिस पर सतीश ने अपनी दोषिता की संस्वीकृति दी और यह बताया कि उसने उसके साथ बलात्संग करने की कोशिश की, जब वह चीखी-चिल्लाई तब उसने डर के मारे उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी । उसके पश्चात् उसने काली नदी में उसके शव को फेंक दिया । इत्तिला देने वाला और अन्य गांववासी अभियुक्त के साथ काली नदी पर गए जहां सतीश ने पीड़िता के शव को फेंका था । ढूंढने पर उसके शव का पता नहीं चल सका । उसके बाद वे अपीलार्थी को पुलिस थाने पर ले गए ।

4. लिखित रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 376, 302 और 201 के अधीन 2011 का अपराध सं. 16 अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज किया गया । अभियोजन पक्ष ने 9 साक्षियों की परीक्षा की जिसमें शिव नाथ सिंह (अभि. सा. 1) इत्तिला देने वाला है और मृतका का चाचा है, लाला राम (अभि. सा. 2), कुमारी प्रेम लता (अभि. सा. 3) और कुमारी रीना (अभि. सा. 4) अंतिम बार देखे जाने के साक्षी हैं जो अभियुक्त सतीश के साथ पीड़िता के जाने से पूर्व मृतका के साथ बाग में थे । जयवीर सिंह (अभि. सा. 5), सी/630 चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का साक्षी है । डा. आर. डी. यादव (अभि. सा. 6) मामले का डाक्टर है जिसने मृतका के शव का शवपरीक्षण किया । उप-निरीक्षक जगदीश प्रसाद वर्मा (अभि. सा. 7) मृत्यु-समीक्षा का साक्षी है । उप-निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह (अभि. सा. 8) दूसरा अन्वेषक अधिकारी है जिसको प्रथम अन्वेषक अधिकारी सत्य प्रकाश गुप्ता की मृत्यु के पश्चात् अन्वेषण सौंपा गया । अमीर सिंह (अभि. सा. 9) पीड़िता का पिता है ।

5. शिव नाथ सिंह (अभि. सा. 1) इत्तिला देने वाले ने अपने कथन में यह कहा है कि मृतका का शव काली नदी के नजदीक तथा ग्राम बालीपुरा के नजदीक घटना के घटने के 9 दिन पश्चात् मिला था और शव की

बरामदगी के बारे में सूचना प्राप्त होने के पश्चात् वह घटनास्थल पर पहुंचा और उसने शव की पहचान की । उसने पुलिस थाने पर इस बात को बताया और तब पुलिस वहीं पर पहुंची । शव की मृत्युसमीक्षा उसकी मौजूदगी में तैयार की गई थी और उसने उस पर हस्ताक्षर किए । मृत्यु-समीक्षा पर श्याम सुन्दर, मदन सिंह, लाला राम और अमीर सिंह ने भी हस्ताक्षर किए थे । शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया था । काली नदी के नजदीक से मृतका की एक नीली चप्पल भी बरामद की गई थी ।

6. लाला राम (अभि. सा. 2) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 11 जनवरी, 2011 को वह अपनी पौत्रियों, पीड़िता, प्रेम लता और रीना के साथ बाग देखने के लिए जा रहा था । सतीश दूबे अपीलार्थी वहां पहुंचा और उसकी पौत्री को कुछ पैसा दिया और पीड़िता ने उसे कुछ अमरूद मुहैया कराए । पीड़िता सतीश के साथ बाग के अंदर गई थी और तब वह "बरसीन" काटने के लिए दूसरे खेत पर गया । जब लगभग 5.30 बजे अपराह्न उसका पुत्र शिव नाथ बाजार से घर वापस पहुंचा तब उसने पीड़िता को घर पर नहीं पाया, तब उसने प्रेम लता और रीना से पूछताछ की । उन्होंने उसे यह बताया कि सतीश दूबे अपीलार्थी बाग में पीड़िता को ले गया था और इसके पश्चात् वह वापस नहीं लौटी । इसके बाद वह उसको ढूंढने के लिए अपने पुत्र के साथ बाग पर गया परंतु कोई परिणाम नहीं निकला और वे घर वापस लौट आए । गांववासियों ने उसे बताया कि अभियुक्त सतीश सड़क के नजदीक त्रिकोणीय मोड़ पर बैठा हुआ पाया गया था और उनके द्वारा उसे पकड़ लिया गया । अभियुक्त सतीश ने अपने दोषी होने की संस्वीकृति दी उसके पश्चात् अभि. सा. 2 सतीश अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर गया जहां सतीश ने बताया कि उसने काली नदी में शव को फेंक दिया था । वे शव को नहीं पा सके परंतु कुछ दूरी पर मृतका की नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल बरामद की गई । बाद में शव काली नदी के पुल से 1 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया । उसके पश्चात् पुलिस को सूचना दी गई । पुलिस बरामदगी के लिए घटनास्थल पर पहुंची, शव की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की और उस पर अपने हस्ताक्षर किए । इस साक्षी ने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट, कागजात सं. 8-क, प्रदर्श क-2 की पहचान भी की । उसने यह भी कथन किया कि घटना के समय पर पीड़िता की आयु लगभग 9 वर्ष थी ।

7. कुमारी प्रेम लता (अभि. सा. 3) जिसकी उस तारीख को लगभग 9 वर्ष आयु थी जब उसका कथन तारीख 19 जनवरी, 2013 को

अभिलिखित किया गया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के दिन वह पीड़िता और रीना के साथ बाग को देखने के लिए गई थी । उसके नाना लाला राम भी उनके साथ थे । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके नाना दूसरे खेत में "बरसीन" काटने के लिए गए थे । लगभ 4.00 बजे अपराह्न अभियुक्त सतीश दूबे वहां पर पहुंचा । उसने पीड़िता को अमरूद के लिए 10/- रुपए दिए तथा बाग में उसे ले गया परंतु वह वापस नहीं लौटी । प्रेम लता (अभि. सा. 3) ने अपनी बहन की चीख-पुकार सुनी जिस पर वह रीना के साथ बाग के अंदर गई । उसने देखा कि पीड़िता नग्न अवस्था में थी और सतीश उसके ऊपर लेटा था । उसको देखकर सतीश ने उनको धमकाया और चले जाने के लिए कहा । वे तुरंत उस स्थान से चली गईं और घर पर पहुंचीं । उसने घटना का सम्पूर्ण वृत्तांत अपने नाना को सुनाया । घटना के 8-9 दिन पश्चात् पीड़िता मृत पाई गई थी । उसने यह भी कथन किया कि घटना की तारीख को वह और पीड़िता विद्यालय नहीं गईं क्योंकि उसकी नानी ने उन्हें यह अनुदेश दिया था कि वे उस दिन विद्यालय नहीं जाएं । पीड़िता ने नीले रंग का फ्राक, काली जाकेट, काले रंग का पायजामा और काले रंग की टाई तथा नीले रंग की चप्पलें पहनी हुई थीं । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि सतीश के अलावा कोई व्यक्ति उस दिन बाग पर नहीं पहुंचा था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि घर पहुंचने के पश्चात् उसने घटना के बारे में लगभग 5-6 बजे अपराह्न अपनी माता और अन्य व्यक्तियों को बताया । उसी बीच में इत्तिला देने वाला उसका चाचा घर पर पहुंचा ।

8. कुमारी रीना (अभि. सा. 4) जिसकी उस तारीख को लगभग 10 वर्ष आयु थी, तारीख 12 मार्च, 2013 को उसका कथन अभिलिखित किया गया था । उसने भी उन्हीं तथ्यों के बारे में वृत्तांत सुनाया जैसाकि प्रेम लता (अभि. सा. 3) द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने उस समय यह बताया कि वह प्रेम लता और पीड़िता के साथ बाग में एक झोपड़ी के नजदीक खेल रहे थे । उसके नाना घटना के समय पर वहां पर मौजूद नहीं थे । जब उन्होंने घटना देखी तब सतीश द्वारा उन्हें धमकाया गया था । वह प्रेम लता के साथ घर पर पहुंची । तब उन्होंने अपने नाना लाला राम और चाचा (गब्बर), इत्तिला देने वाले को घटना के बारे में बताया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसके नाना और चाचा पीड़िता को ढूंढने के लिए कई गांववासियों के साथ बाग पर गए थे ।

9. कांस्टेबल जयवीर सिंह (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि

वह पुलिस थाना बीछावा पर तैनात था । इत्तिला देने वाला शिव नाथ सिंह ने तारीख 12 जनवरी, 2011 को लगभग 3.30 बजे अपराह्न लिखित पेश की थी जिसके आधार पर चिक रिपोर्ट तैयार की गई और साधारण डायरी में उस प्रभाव की प्रविष्टियां की गई थीं । इस साक्षी ने चिक रिपोर्ट प्रदर्श क-3 और सुसंगत साधारण डायरी प्रविष्टि प्रदर्श क-4 साबित की । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि इत्तिला देने वाले द्वारा अभियुक्त सतीश को पुलिस थाने पर लाया गया था, तथापि, इस तथ्य के बारे में कोई फर्द नहीं बनाई गई थी ।

10. डा. आर. डी. यादव (अभि. सा. 6) जिन्होंने मृतका के शव का शवपरीक्षण किया, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका औसत कद-काठी की थी और उसका शव मिट्टी और पानी में भीगा हुआ था । चिकित्सा परीक्षा में उसने निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व क्षतियों का वर्णन किया है जो पीड़िता के शरीर पर थीं :–

> "1. अधोहनु के निचली दाहिनी अंग पर 3 से. मी. x 2 से. मी. माप का गुमटा, आकार में 3 बजे की घड़ी की शक्ल जो दाहिने कान के जड़ के निचले छोर के 5 से. मी. सामने है ।
>
> 2. गर्दन के दाहिने पार्श्व सतह पर 8 से. मी. x 3 से. मी. नाप का गुमटा जो अधोहनु के दाहिने अंग के नीचे 1.5 से. मी. तक फैला हुआ है । सक्सूप्लरिशन हेमोटोमा 7 से. मी. x 3 से. मी. माप है, जो कंठिका के करन्यू और ऊपरी 5 स्वासप्रणाल के बीच मौजूद है, अस्थिभंग है ।
>
> 3. परवर्ती ऊपरी भाग (सिर से शीर्ष भाग) पर 4 से. मी. x 3 से. मी. माप का गुमटा जो बाएं कान के जड़ से 11 से. मी. ऊपर मौजूद है ।
>
> 4. योनिक छिद्र के चारों ओर 2 से. मी. माप का गुमटा मौजूद । मूलाधार विदीर्ण, योनिच्छद विदीर्ण और बदला हुआ रक्त बाहर आता हुआ । अभिघातज सूचना मौजूद ।"

11. ऊपरी और निचले देह पर शव काठिन्य तथा शव का सड़ना प्रारंभ हो चुका था उन्होंने यह राय दी कि मृत्यु-पूर्व गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध के कारण हुई थी उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने योनिक धब्बे की परीक्षा की जिसमें उन्होंने लाल रक्त सेल की

प्रचुरता पाई । शुक्राणु नहीं देखे गए । उन्होंने पेथोलोनिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-6 तैयार की । उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि शव पर सूजन पाई गई थी परंतु जानवर के काटे का कोई निशान नहीं था । उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि बलात्संग या मैथुन होने के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती ।

12. उप-निरीक्षक जगदीश प्रसाद वर्मा (अभि. सा. 7) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श क-2 उसके द्वारा अपनी हस्तलिखित में लिखी गई थी और जिसे सत्य प्रकाश गुप्ता द्वारा लिखाया गया था । अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे और उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए गए । इस प्रकार उसने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट साबित की । उसने अन्य दस्तावेज, फोटोलाश, आर आई को पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र, चालान लाश प्रदर्श क-7, 8, 9 और 10 भी साबित किए हैं ।

13. उप-निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह (अभि. सा. 8) जो बाद में अन्वेषक अधिकारी था, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मामले पर प्रारंभ में उप-निरीक्षक सत्य प्रकाश गुप्ता द्वारा अन्वेषण किया गया था और उप-निरीक्षक गुप्ता की मृत्यु के पश्चात् उसे अन्वेषण सौंपा गया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि नीली प्लास्टिक चप्पल की बरामदगी ज्ञापन तारीख 12 जनवरी, 2011 को तत्कालीन अन्वेषक अधिकारी उप-निरीक्षक सत्य प्रकाश गुप्ता द्वारा तारीख 12 जनवरी, 2011 को तैयार किया गया था जिसकी कागजात सं. 10-आ है । उसने उसे प्रदर्श क-12 के रूप में अभिप्रमाणित किया है । तारीख 24 जनवरी, 2011 को उसे अन्वेषण सौंपा गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के स्थान का घटनास्थल नक्शा उप-निरीक्षक सत्य प्रकाश गुप्ता द्वारा जो कागजात सं. 6-क/2 है । उसने उसे प्रदर्श क-11 के रूप में अभिप्रमाणित किया है । उस स्थान का घटनास्थल नक्शा जहां शव पाया गया था, काली नदी के नजदीक था, उस घटनास्थल के नक्शे को सत्य प्रकाश गुप्ता द्वारा तैयार किया गया था जिसका कागजात सं. 6-क/1 है । उसने उसे प्रदर्श क-13 के रूप में अभिप्रमाणित किया है । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका के पिता अमीर सिंह के कथन उसके द्वारा भी अभिलिखित किया गया था और वह अपने कथन देने में मानसिक रूप से ठीक था । केस डायरी में उस व्यक्ति का नाम जिसने शव को देखा था और पुलिस को सूचना दी थी उसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है । उसने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि शव की मृत्युसमीक्षा घटनास्थल

पर तैयार नहीं की गई थी बल्कि शवपरीक्षण गृह, मैनपुरी पर तैयार की गई थी ।

14. मृतका का पिता अमीर सिंह (अभि. सा. 9) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 11 जनवरी, 2011 अर्थात् घटना की तारीख को वह "रियू मेला" पर अपने द्वारा बेची गई भैंस के पैसे लेने गया था । जब वह लगभग 5.00 बजे अपराह्न अपने मकान पर वापस लौटा तब उसे उसकी भतीजी प्रेम लता और रीना द्वारा घटना के बारे में सूचना दी गई थी । इसके पश्चात् वह अपने भाई शिव नाथ और पिता लाला राम के साथ पीड़िता रागनी को ढूंढने के लिए गया । वास्तव में, उन्होंने पूरी रात्रि उसको ढूंढा । अगले दिन अर्थात् 12 जनवरी, 2011 को उन्होंने अभियुक्त को सड़क के त्रिकोण पर बैठा हुआ देखा था । उसने भागने की कोशिश की परंतु गांववासियों की मदद से उसे पकड़ लिया गया था । उसने अपनी दोषिता के बारे में संस्वीकृति दी और यह बताया कि मृतका से बलात्संग करने के पश्चात् उसने उसका गला घोंट दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके शव को काली नदी में फेंक दिया । उनके द्वारा अभियुक्त सतीश को पुलिस को सौंप दिया गया था । अमीर सिंह (अभि. सा. 9) का कथन तारीख 5 अप्रैल, 2011 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन भी अभिलिखित किया गया था और उस पर प्रदर्श क-12 डाला गया था ।

15. मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के बावजूद दो दस्तावेज अर्थात् न्यायालयिक प्रयोगशाला, आगरा की तारीख 7 जनवरी, 2012 की रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट और तारीख 22 फरवरी, 2011 की सीरम परीक्षा रिपोर्ट अभिलेख पर हैं जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला, आगरा की तारीख 7 जनवरी, 2012 की रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि मृतका के कपड़ों का बंडल जिसमें सामग्री को प्रदर्शित किया गया है (1) जाकेट, (2) फ्राक, (3) पायजामी और (4) एक जोड़ा कड़ा (चूड़ियां) हैं । रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि सामग्री प्रदर्श 1, 2 और 3 अर्थात् जाकेट, फ्राक और पायजामी के अधिकतर भाग पर रक्त पाया गया था । तारीख 22 दिसंबर, 2011 सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि सामग्री प्रदर्श 2 और 3 अर्थात् पीड़िता की फ्राक और पायजामी पर मानव रक्त पाया गया था । सामग्री प्रदर्श 1 अर्थात् जाकेट पर पृथक् रक्त पाया गया था ।

16. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी के समक्ष सभी अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों को रखा गया । उसने प्रत्येक परिस्थिति के बारे में मिथ्या होना कहा है और उसने यह कथन किया कि उसे गांव पार्टीबंदी की वजह से मिथ्या रूप से फंसाया गया है क्योंकि उसने गांव के प्रधान को वोट नहीं दिया । इत्तिला देने वाला और प्रधान एक ही जाति के हैं । उसने यह भी कथन किया है कि पुलिस ने उसे उसके मकान से गिरफ्तार किया था और अपराध में उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है ।

17. किसी प्रतिरक्षा साक्षी की परीक्षा नहीं की गई थी ।

18. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री अजय कुमार ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में विफल हुआ था कि वह व्यक्ति अपीलार्थी था जिसने मृतका के साथ बलात्संग का अपराध करके उसकी हत्या की थी । अपनी दलीलों के समर्थन में उसने इन बातों की ओर इंगित किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में पर्याप्त विलंब हुआ है । यह घटना तारीख 11 जनवरी, 2011 को घटी थी और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 12 जनवरी, 2011 को लगभग 3.30 बजे अपराह्न दर्ज की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में असम्यक् विलंब से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी को सोच-समझने के पश्चात् मामले में आलिप्त किया गया था । अभियोजन पक्षकथन में जोड़-तोड़ की गई थी । उसने यह भी निवेदन किया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी स्पष्ट नहीं है और साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है । अभियुक्त-अपीलार्थी को सुपुर्द किए जाने के समय का कहीं भी उल्लेख नहीं है । तीन साक्षी अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 जिनके बारे में अंतिम बार देखे जाने के साक्षी होने का अभिकथन किया गया है, वे नातेदार और हितबद्ध साक्षी हैं । दो बालिका साक्षी के कथन अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 से यह दर्शित होता है कि उन्हें अपीलार्थी के विरुद्ध अभिसाक्ष्य देने के लिए सिखाया-पढ़ाया गया था । इसके अतिरिक्त, उनके कथनों में तात्विक विभेद हैं ।

19. उन्होंने यह भी दलील दी है कि घटनास्थल पर मृत्युसमीक्षा तैयार नहीं की गई थी जो बात अभि. सा. 1 के कथन से उसकी प्रतिपरीक्षा में प्रकट है । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि शवपरीक्षण गृह में मृत्युसमीक्षा तैयार की गई थी जहां पुलिस

जीप में शव को लाया गया था ।

20. उन्होंने यह भी दलील दी कि शव की बरामदगी संदेहपूर्ण थी क्योंकि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 8 के कथनों में विभेद है । यह भी बतलाया गया है कि अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि शव को गोताखोरों द्वारा नहीं पाया जा सका जो संख्या में 8-9 थे और लगभग 7-8 दिन तक उन्होंने सघन तलाशी ली थी । गोताखोर घटना के दो-तीन दिन के पश्चात् पहुंचे थे जब शव पुलिस द्वारा नहीं पाया जा सका । उन्होंने उस स्थान से 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र में शव को ढूंढा जहां उसे फेंका जाना कहा गया था । शव जब गोताखोर बिना किसी परिणाम के वापस पहुंचे उसके पश्चात् अगले दिन पाया गया था । अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि नदी में शव के बहने के बारे में सूचना एक लड़का जिसका नाम बालू था द्वारा दी गई थी । उसने यह सूचना दी कि बूरा के कुछ लोगों ने नदी से बहते हुए शव को निकाला था । उसके गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी थी । उसने यह भी कथन किया है कि शव ऐसी स्थिति में नहीं था कि उसकी पहचान की जा सके क्योंकि उसमें सूजन थी और शव की त्वचा हर भाग पर छिली पड़ी हुई थी जब इसे पाया गया । इत्तिला देने वाला अभि. सा. 1 गब्बर सिंह, चावीनाथ, श्याम सुंदर, मैदान सिंह, बुलोक सिंह और सोवर्ण वहां पर मौजूद थे जिस पर अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि उसने जैसे ही वह घटनास्थल पर पहुंचा उसने पीड़िता के शव की पहचान की । उसने आगे यह कथन किया है कि यद्यपि सभी साक्षियों ने यह निवेदन किया था कि अन्य गांववासी बाग में तलाशी लेने के दौरान उनके साथ थे जब अभियुक्त को पकड़ा गया था । इसके अतिरिक्त, बालीपुरा के काली नदी के नजदीक शव की बरामदगी के समय पर कुछ स्वतंत्र साक्षियों के नाम भी कथन में प्रकट किए गए हैं तो भी उनमें से किसी को अभियोजन के समर्थन में पेश नहीं किया गया ।

21. उन्होंने यह भी दलील दी कि अभि. सा. 2 लाला राम जिसके बारे में अंतिम बार देखे जाने का साक्षी होना कहा गया है तथा दो बालिका साक्षी अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथन में तात्विक विभेद हैं । अभि. सा. 2 लाला राम ने शपथ लेकर यह कथन किया है कि जब सतीश बाग पर पहुंचा तो वह वहां मौजूद था और उसकी पौत्री (मृतका) को उसने पैसे दिए । उसके पश्चात् पीड़िता सतीश के साथ बाग के अंदर गई थी और वह "बरसीन" काटने के लिए एक-दूसरे खेत पर गया ।

बरसीन काटने के पश्चात् वह सीधे घर वापस लौट आया । प्रेम लता (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यद्यपि लाला राम बाग में जाते समय उसके साथ था परंतु वह "बरसीन" काटने के लिए दूसरे खेत में चला गया था । इसके पश्चात् घर वापस चला गया । उसे यह सुझाव दिया गया कि जब सतीश उसके नाना लाला राम के साथ बाग पर पहुंचा तब वह उनके साथ उपस्थित नहीं था ।

22. उसने यह भी निवेदन किया है कि मृतका के कपड़ों के बारे में अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथनों में भिन्नता है । अभि. सा. 3 ने यह कथन किया कि मृतका ने काली जाकेट पहन रखी थी जबकि अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि उसने आधी आस्तीन की लाल जाकेट पहन रखी थी ।

23. अंत में यह निवेदन किया है कि बलात्संग किया जाना सिद्ध नहीं हुआ था क्योंकि उस तरह का कोई साक्ष्य नहीं है तथा मृतका के शव पर कोई क्षति नहीं थी । इसके अतिरिक्त, डा. आर. डी. यादव (अभि. सा. 6) ने यह भी कथन किया है कि मैथुन किए जाने के बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती । इन सभी निवेदनों के आधार पर उसने यह कथन किया है कि मामले में तात्विक असंगतता, विभेद और लोप हैं जिनसे अभियोजन वृत्तांत गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है तथा परिस्थितियों की शृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी अभियुक्त जिसने अपराध किया था, उसके बारे में विलुप्त हैं ।

24. विद्वान् सरकारी अधिवक्ता श्री अखिलेश सिंह जो प्रत्यर्थी राज्य की ओर से हाजिर हुए और उन्होंने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को साबित करने में सफल हुआ है । उन्होंने यह दलील दी कि साक्षी अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 नैसर्गिक साक्षी हैं और पक्षकारों के बीच अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाने की बाबत कोई हेतु और शत्रुता नहीं है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 में अभियुक्त के कथन के बारे में अधिकथित सुझाव कि इत्तिला देने वाला और गांव का प्रधान ने पुलिस की मदद से उसे मिथ्या रूप से फंसाया था क्योंकि उसने प्रधान के चुनाव में वोट नहीं दिया था तथा वह विरोधी खेमे का था इसका कोई आधार नहीं है । वास्तव में, अभि. सा. 1 इत्तिला देने वाले के कथन का परिशीलन करने पर तथा उसकी सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसी कोई शत्रुता नहीं थी जिससे अपराध में अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाने का कोई कारण

प्रकट होता हो ।

25. यह भी निवेदन किया गया कि जब अपीलार्थी को गांववासियों और साक्षियों द्वारा पकड़ा गया था तथा पुलिस के सुपुर्द किया गया था तब पुलिस द्वारा उसी दिन अर्थात् तारीख 12 जनवरी, 2011 को काली नदी के नजदीक शव को ढूंढने का कार्य किया था । काली नदी के नजदीक शव को ढूंढने के दौरान मृतका की एक नीले रंग के प्लास्टिक चप्पल काली नदी के नजदीक पाई गई थी ।

26. 8-9 दिन के पश्चात् शव की बरामदगी उस स्थान से 1-1/2 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी जहां अपीलार्थी द्वारा शव को फेंका गया था । इससे स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि अपीलार्थी ने बलात्संग करने के पश्चात् मृतका की हत्या कर दी और शव को काली नदी में फेंक दिया । उन्होंने यह भी दलील दी कि घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श क-11 से यह सुस्पष्ट है कि वह दूरी जहां अपीलार्थी ने काली नदी में शव को फेंक दिया था घटना स्थान (अर्थात् बाग) से 20 कदम पर है जहां बलात्संग और हत्या की गई थी ।

27. उन्होंने यह भी दलील दी कि न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मृतका के कपड़ों पर अर्थात् फ्राक और पायजामी पर मानव रक्त पाया गया था । सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट में मृतका के जाकेट पर पाया गया रक्त विघटित था । तथापि, तारीख 7 जनवरी, 2012 रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि मृतका के कपड़ों के सम्पूर्ण भाग पर अर्थात् जाकेट, फ्राक और पायजामी पर रक्त पाया गया था । दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 प्रेम लता और रीना ने संगत रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका ने घटना की तारीख को फ्राक, पायजामी और जाकेट पहना हुआ था जब वे बाग की ओर गए थे ।

28. अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा दिया गया यह सुझाव कि साक्षियों द्वारा बताए गए स्थान से शव प्राप्त नहीं हुआ था, यह सुझाव बिना किसी आधार के है । यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने संगत रूप से यह कथन किया है कि उन्होंने ग्राम बालीपुरा पर काली नदी के नजदीक शव की बारमदगी के बारे में सूचना प्राप्त की जो स्थान उस स्थान से 1-1/2 किलोमीटर की दूरी पर है जहां अभियुक्त द्वारा शव को फेंका गया है । साक्षी अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 अन्य गांववासियों के साथ चले थे, उन्होंने कुछ गांववासियों के नाम भी बताए हैं जो श्याम सुंदर,

मैदान सिंह और अमीर सिंह नामक व्यक्तियों के सहित उनके साथ चले थे । उसके पश्चात् उन्हें शव बरामदगी की सूचना प्राप्त हुई थी । अभि. सा. 1 द्वारा शव की शिनाख्त की गई थी और तब पुलिस को सूचना दी गई जो घटनास्थल पर पहुंची । घटनास्थल पर मृत्युसमीक्षा तैयार की गई थी जो बात मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट से सुस्पष्ट है क्योंकि इसमें शिव नाथ सिंह (अभि. सा. 1), लाला राम (अभि. सा. 2), अमीर सिंह (अभि. सा. 9), श्याम सुंदर और मैदान सिंह के हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार, प्रतिरक्षा पक्ष का अस्पष्ट सुझाव कि शव मृतका का नहीं था, स्वीकार्य योग्य नहीं है ।

29. विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने यह भी दलील दी है कि अपराध किए जाने के पश्चात् अभियुक्त का आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन अति सुसंगत है । अपीलार्थी को इत्तिला देने वाले और सह-गांववासियों द्वारा पकड़ा गया था जब वह सड़क के त्रिकोणीय मोड़ पर बैठा हुआ था । उसने अपनी दोषिता की संस्वीकृति दी और यह बताया कि जब उसने मृतका से बलात्संग करने की कोशिश की तो वह चिल्लाई और डर के मारे उसने उसका गला घोंट दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई । उसने वह घटनास्थल भी दिखाया जहां उसके द्वारा हत्या के पश्चात् शव को फेंका गया था । इत्तिला देने वाला और गांववासी जब शव को बरामद करने में विफल हुए तो उन्होंने अपीलार्थी को पुलिस को सौंप दिया । पुलिस ने इसके पश्चात् शीघ्र अभियुक्त को उस स्थान पर ले गई जहां उसने शव को फेंके जाने की बात कही थी और तलाशी अभियान शुरू किया । तलाशी के दौरान पुलिस द्वारा काली नदी के नजदीक एक नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल बरामद की गई थी । नीले रंग की चप्पल की बरामदगी पर लाला राम, श्याम सुंदर और अपीलार्थी सतीश द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और तब अन्वेषक अधिकारी सत्य प्रकाश गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए । इस प्रकार, इन तथ्यों के आधार पर काली नदी के नजदीक चप्पल की बरामदगी और इसके पश्चात् उसी नदी पर अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दी गई सूचना के पश्चात् 9 दिन तक शव की बरामदगी की कार्यवाही की गई और यह बात अपराध में उसकी सहापराधिका का निश्चायक सबूत है ।

30. उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि वर्तमान मामले में चिकित्सा साक्ष्य से अभियोजन पक्षकथन को पूर्ण रूप से समर्थन मिलता है । मृतका के शव पर पाई गई क्षतियों से उसके साथ बलात्संग और हत्या किया जाना स्पष्ट रूप से सिद्ध हुआ है । शव की दशा के बारे में डाक्टर की राय में छोटे-मोटे विभेद प्रकट हैं इससे यह निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं है कि

अभियोजन पक्ष संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता को साबित करने में विफल हुआ है ।

31. यह मामला अप्राप्तवय लड़की के साथ विभत्स बलात्संग और हत्या का मामला है जो एक सुनियोजित तरीके से किया गया था । अभियुक्त उसी गांव का निवासी है जिसे बाग में मृतका की मौजूदगी के बारे में पता था और उसके पास ऐसा कोई अवसर या कारण नहीं था कि वह बाग पर पहुंचे जब तीन अप्राप्तवय लड़कियां अपने वृद्ध नाना के साथ वहां पर थीं और यह रीति जिसमें अभियुक्त अपने साथ बाग में मृतका को कामुकता के लिए ले गया था । इससे यह दर्शित होता है कि उसका आशय अपराध करने का था ।

32. दंड के प्रश्न पर विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी को दंड मुहैया करने के लिए अपराध की क्रूरता की परख की जानी चाहिए । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि अपीलार्थी ने बहुत ही विभत्स रीति में अप्राप्तवय लड़की के साथ बलात्संग करके उसकी हत्या कर दी । उसने अपराध किए जाने के पश्चात् शव को नदी में फेंक दिया जिससे कि उसके विरुद्ध साक्ष्य मिट जाए । अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि न तो कोई प्रकोपन और न कोई कुकर्म करने के लिए उकसाने वाली बात है तथा कोई अचानक और तत्काल तीव्र मानसिक या भावनात्मक बाधा प्रकट नहीं है जिसके बारे में यह कहा जा सकता हो कि 9 वर्ष की आयु की निर्दोष लड़की के साथ बलात्संग और उसकी हत्या का कारण बनता हो । अपीलार्थी का कार्य "विरल से विरलतम मामला" की परिधि के अंतर्गत आता है और इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड का निर्देश स्वीकार किया जाता है ।

33. हमने पक्षकारों के दोनों काउंसेलों की परस्पर दलीलों पर विचार किया और सम्पूर्ण अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।

34. **प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विलंब**

जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की प्रथम दलील का संबंध है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब हुआ था, यह उल्लेख करना सुसंगत है कि घर पर मृतका के अनुपस्थित होने का तथ्य तारीख 11 जनवरी, 2011 की सायं में इत्तिला देने वाले और अन्य कुटुंब के सदस्यों की जानकारी में आया था जब इत्तिला देने वाला बाजार से वापस घर लौटा तब उसने अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 मृतका की चचेरी बहनें जो

उसके साथ गई थीं, से पूछताछ की उन्होंने सम्पूर्ण कहानी उन्हें बताईं और यह तथ्य कि अपीलार्थी अभियुक्त सतीश लगभग 4.45 बजे अपराह्न बाग पर पहुंचा और मृतका को कुछ पैसे देने के पश्चात् अमरूद देने के बहाने से अपने साथ ले गया । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के कुटुंब के सदस्यों ने अन्य गांववासियों के साथ बाग और उसके नजदीक खेतों पर सघन तलाशी ली । मृतका के नाना लाला राम (अभि. सा. 2) के कथन में यह प्रकट हुआ है कि वे पूरी रात्रि मृतका को ढूंढते रहे । अगले दिन उन्हें सड़क के नजदीक त्रिकोणीय मोड़ पर अभियुक्त सतीश की मौजूदगी के बारे में पता चला । उन्होंने गांववासियों के साथ उसे पकड़ लिया । तब उसने उस रीति के बारे में बताया जिस रीति में उसने अपराध किया था । वह साक्षी अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 और गांववासी जिन्होंने उसे पकड़ रखा था काली नदी के नजदीक उस स्थान पर ले गया जहां से उसने मृतका के शव को फेंक दिया था । उनके द्वारा शव नहीं पाया गया तब इत्तिला देने वाले ने अभियुक्त सतीश को पुलिस को सौंप दिया और घटना के बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई ।

35. ऊपर कथित तथ्यों से यह प्रकट है कि अभि. सा. 1 द्वारा केवल तब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जब वह और उसके कुटुंब के सदस्य मृतका को ढूंढने में विफल हुए थे । उसी बीच में उन्होंने अपीलार्थी को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की और उन्होंने शव को ढूंढने का प्रयास किया । शव को प्राप्त करने के प्रयास में विफल होने पर इत्तिला देने वाला गांववासियों के साथ पुलिस थाने पर गया और अपीलार्थी को पुलिस को सौंप दिया और तब मृतका का चाचा, इत्तिला देने वाले द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

36. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन करने से यह उपदर्शित है कि उन तथ्यों को सम्यक् रूप से उसमें निगमित किया गया है । हमने उन तथ्यों का परिशीलन करने से यह निष्कर्ष निकाला है कि इत्तिला देने वाले का आचरण नैसर्गिक है जिसमें उसने अन्य गांववासियों के साथ अपनी भतीजी को ढूंढा था जब उसने अपनी भतीजी को घर में नहीं पाया । इसके अतिरिक्त जब उन्होंने अपीलार्थी को पकड़ा तो उसने अपने अपराध किए जाने की संस्वीकृति दी और उसे उस स्थान पर ले जाया गया था जहां उसके द्वारा शव को फेंका गया, इस पर सबसे पहले यह प्रतिक्रिया होना अपेक्षित थी कि शव को ढूंढा जाए और जब वे ढूंढने में विफल हुए तब वे लोग अपीलार्थी को पुलिस थाने पर ले गए । अन्वेषक अधिकारी

पुलिस कार्मिक, अभियुक्त और इत्तिला देने वाले के साथ घटनास्थल पर गए जहां अपीलार्थी द्वारा उसी दिन शव को फेंका जाना कहा गया था । शव को ढूंढते समय मृतका के नीले रंग का प्लास्टिक चप्पल काली नदी के नजदीक पड़े हुए पाया गया था । उसका बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया था । इस प्रकार ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पूर्व दिनांकित है या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में असम्यक् विलंब हुआ है । यह भी विचार किया जा सकता है कि भिन्न-भिन्न लोगों ने वर्णित तथ्य और स्थिति के बारे में अलग-अलग रीति में प्रतिक्रिया की । यह तथ्य कि इत्तिला देने वाला अपनी भतीजी (मृतका) को ढूंढने की वजह से यथाशीघ्र पुलिस थाने पर नहीं पहुंच पाया । इससे यह दर्शित होता है कि प्रथमतः उसने सच्चाई को जानने की कोशिश की और वह इस बात की कल्पना नहीं कर सका कि पीड़िता के साथ अपीलार्थी सतीश द्वारा बलात्संग करके उसकी हत्या की जा सकती । इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 12 जनवरी, 2012 अर्थात् अगले दिन उनके द्वारा अभियुक्त सतीश को पकड़े जाने के पश्चात् ही दर्ज की गई थी और अपीलार्थी ने अपने दोषी होने की संस्वीकृति दी । इत्तिला देने वाला और उसके कुटुंब के सदस्य उसे पुलिस थाने पर ले गए । यद्यपि यह तथ्य कि सतीश मृतका को अपने साथ बाग पर ले गया था, यह बात प्रेम लता (अभि. सा. 3), रीना (अभि. सा. 4) जो लड़कियां घटना की तारीख को मृतका के साथ थीं, उनको बताई थी । इस तथ्य से यह भी दर्शित होता है कि कुटुंब का स्वाभाविक व्यवहार और साधारण गांववासियों के विश्वास पर वे यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि बालिका साक्षियों द्वारा बताए जाने के बावजूद भी अपीलार्थी ऐसा अपराध कर सकता है । उन्होंने रात भर मृतका को ढूंढा और सही तथ्य जाने बिना सतीश को आलिप्त करने के लिए तत्काल पुलिस थाने पर नहीं पहुंचे । अगले दिन जब अपीलार्थी को पकड़ा गया था तब उन्हें सम्पूर्ण कहानी की जानकारी हुई और तब वे कुछ समय तक शव को ढूंढने में लगे रहे । शव को ढूंढने में विफल होने पर वे सतीश को पुलिस थाने पर ले गए और इसके पश्चात् उसके विरुद्ध अपराध किए जाने के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की ।

37. ऐसे दृष्टिकोण को दृष्टिगत करते हुए हमारी विचारित राय यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में कोई विलंब नहीं हुआ था और प्रतिरक्षा के सुझाव की अपीलार्थी को शत्रुतावश मिथ्या रूप से फंसाया गया

है । यह तर्क खरा नहीं उतरता ।

38. **अभियुक्त की गिरफ्तारी**

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि इत्तिला देने वाले और गांववासियों द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी को साबित नहीं किया गया था क्योंकि गिरफ्तारी के समय को उनके कथन में उल्लिखित नहीं किया गया है । उक्त प्रतिरक्षा अभि. सा. 5 जयवीर सिंह के स्पष्ट कथन को ध्यान में रखते हुए तनिक भी स्वीकार योग्य नहीं है जिसने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट साबित की । अभि. सा. 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में जो तारीख 12 जनवरी, 2011 को पुलिस थाना, बिचावा पर कांस्टेबल लिपिक के पद पर तैनात था, ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि इत्तिला देने वाला तारीख 12 जनवरी, 2011 को 3.30 बजे अपराह्न पुलिस थाने पर पहुंचा । उसने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और "तहरीर" कागजात सं. 4-क/1 और 4-क/2 साबित की हैं जो उसके द्वारा लिखी गई थीं । उसने कागजात सं. 4-क/1 तथा 4-क/2 को देखने के पश्चात् अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि ये कागजात उसकी स्वयं के हस्तलेख में तैयार किए गए थे और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि इत्तिला देने वाले द्वारा सतीश को पुलिस थाने पर लाया गया था । अभि. सा. 5 जो पुलिस अधिकारी है उसके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । इसके अतिरिक्त किसी अन्य परिस्थिति के अभाव में उसके निवेदन को अस्वीकार किया जाए ।

39. **शव की बरामदगी**

जहां तक घटना के 9 दिन पश्चात् काली नदी के नजदीक शव की बरामदगी की एक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । प्रथम परिस्थिति यह है कि शव घटना के स्थान से लगभग 1-1/2 किलोमीटर की दूरी पर भनाउ पुल नदी के नजदीक बरामद किया गया था । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि शव उस स्थान से बरामद किया गया था जो स्थान भनाउ पुल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है ।

40. लाला राम (अभि. सा. 2) जिसकी आयु लगभग 66 वर्ष है (कथन को अभिलिखित करते समय) यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शव काली नदी के पुल के पास की नदी से बरामद किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि शव मुंशी लाल के खेत के नजदीक

से बरामद किया गया था । काली नदी के नजदीक पड़े हुए शव के बारे में सूचना बालू नाम के लड़के द्वारा दी गई थी । वह इत्तिला देने वाले और अमीर सिंह के साथ-साथ गांववासियों के संग उस स्थान पर गया जहां शव बरामद किया गया था । घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श क-11 और क-13 का परिशीलन करने से यह दर्शित हुआ है कि वह स्थान जहां से नीले रंग की चप्पल अपीलार्थी-अभियुक्त को गिरफ्तार करने के कुछ समय पश्चात् बरामद किया गया था वह स्थान 20 कदम की दूरी पर था । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के कथनों की तत्कालीन अन्वेषक अधिकारी सत्य प्रकाश गुप्ता द्वारा तैयार किए गए घटनास्थल के नक्शे से पुष्टि होती है ।

41. शव की बरामदगी के स्थान के लिए तैयार किया गया घटनास्थल नक्शा प्रदर्श क-13 का परिशीलन करने से यह दर्शित होता है कि शव उस स्थान पर पाया गया था जिसे भनाउ पुल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर घटनास्थल के नक्शे पर दिखाया गया है । प्रदर्श क-13 का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर उससे यह दर्शित हुआ है कि मुंशी लाल का खेत स्थान (क) के नजदीक है जहां शव पाया गया था । यह घटनास्थल पूर्ववर्ती अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2-क कथनों को तथा उनकी प्रतिपरीक्षा को अभिलिखित करने के बहुत पहले तैयार किया गया था ।

42. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने स्वयं उस स्थान को दिखाया था जहां से उसने शव को काली नदी में फेंक दिया था और साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि काली नदी बह रही थी और शव घटना के स्थान से 1-1/2 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया था और वह स्थान काली नदी के किनारे कीचड़युक्त था । अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि बालू नाम के लड़के जिसने शव के बारे में सूचना दी और यह भी बताया कि शव नदी में बह रहा था और (बूरा) के कुछ लोगों द्वारा शव को निकाला गया । इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उस स्थान से शव की बरामदगी के बारे में कोई असंगतता या विवाद नहीं है जैसाकि इत्तिला देने वाले और पुलिस द्वारा कथन किया गया है ।

43. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दलील देने के दौरान अभि. सा. 2 के कथन पर अत्यधिक बल दिया है कि पुलिस ने शव को ढूंढने के लिए सभी प्रयास किए और 8-9 गोताखोर इस काम में लगे हुए थे । उन्होंने घटना के अभिकथित स्थान के नजदीक 2 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र पर

शव को ढूंढा । वे नदी में शव को नहीं पा सके और अभिकथित बरामदगी जब गोताखोर वहां से चले गए उसके पश्चात् एक दिन बाद हुई थी । गोताखोरों के कार्य से कोई परिणाम नहीं निकला । अतः, काली नदी से शव की बरामदगी अत्यधिक संदेहपूर्ण है और अभियोजन पक्ष अकाट्य साक्ष्य देकर उस बात को साबित करने में विफल हुआ है ।

44. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील का कोई आधार नहीं है । इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि शव नदी में बह रहा था और उस समय जाड़े का महीना था । इस बारे में कोई निश्चित राय नहीं बनाई जा सकती कि कितने समय तक शव नदी में जलमग्न रहा और कब यह सतह पर पहुंचा । यह बात अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होती है कि पीड़िता का शव सतह पर आया था और गोताखोर नदी में जलमग्न होने से इसे नहीं पा सके । यह एक सामान्य सी बात है कि कोई भी व्यक्ति इस बारे में निश्चित राय नहीं बना सकता कि नदी कौन सी दिशा में बह रही है । तथापि, इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि शव ऐसे स्थान पर पाया गया था जो नदी के वर्तमान दिशा में बहने की ओर था । अभियुक्त द्वारा उस स्थान से कुछ दूरी दिखाई गई थी जहां से उसने शव को फेंका था । इस प्रकार, भनाउ नदी के पुल के नजदीक उस स्थान से शव की बरामदगी के बारे में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है । अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने दलील देते हुए शव की बरामदगी के तथ्य को आक्षेपित किया है । अतः, यह बात स्वीकार्य नहीं है ।

45. **शव की शिनाख्त**

प्रतिरक्षा पक्ष के वृत्तांत पर विचार किया गया कि शव की पहचान नहीं की गई थी और अभिलेख के साक्ष्य पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जिसका शव काली नदी के नजदीक बरामद किया गया था वह मृतका का था । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब शव को बरामद किया गया उसने शव की पहचान की । डा. आर. डी. यादव (अभि. सा. 6) जिन्होंने शव का शवपरीक्षण किया था उन्होंने तारीख 19 जनवरी, 2011 को प्राप्त किए गए शव की दशा का वर्णन किया है । उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि शव औसत कद-काठी का था और यह गीली मिट्टी में सना हुआ था । दोनों आंखें बंद थी । मुंह आधा खुला हुआ था । दोनों आंखों के उप-नेत्र श्लेष्मा पर रक्त स्राव था । नासा छिद्रों से बदला हुआ रक्त टपक रहा था । क्षति के कारण बाहरी

योनिक अंग में सूजन थी । यह कपड़े से ढका हुआ था । मृतका के शव से एक जैकेट, फ्राक, जांघिया और पायजामी तथा दो प्लास्टिक की चूड़ियां पाई गई थीं । यह सभी वस्तुएं गीली मिट्टी में सने हुए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि त्वचा भिन्न-भिन्न स्थानों पर उतरी पड़ी हुई थी । शव बदबूदार नहीं था । शव पर जानवर के काटने के कोई चिह्न नहीं थे । जब उसे इस बारे में विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछा गया कि क्या मृतका की आंखें, नाक और कान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे या नहीं । उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया था कि शव की आखें, नाक और कान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे ।

46. उप-निरीक्षक जगदीश प्रसाद वर्मा (अभि. सा. 7) जिन्होंने मृत्यु समीक्षा तैयार की थी और उन्होंने यह कथन करते हुए इसे स्पष्ट रूप से साबित किया है कि शव की पहचान मृतका के चाचा अभि. सा. 1 द्वारा की गई थी उसने अपनी मुख्य परीक्षा तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि शव पर सूजन थी और नासाछिद्रों से रक्त टपक रहा था । उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि शव का चेहरा पहचान योग्य था और यह कहना मिथ्या है कि शव की पहचान नहीं की जा सकती क्योंकि उसमें सूजन थी । उसने यह भी कथन किया है कि यह सही है कि शव की त्वचा भिन्न-भिन्न भागों पर उतरी पड़ी हुई थी । एकमात्र साक्षी अर्थात् मृतका के नाना (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि शव पर सूजन थी इसलिए वे उसकी पहचान नहीं कर पाए थे । इसके अतिरिक्त, इस साक्षी की आयु 66 वर्ष थी और जो मृतका के नाना थे । यह संभव है कि वह शव की पहचान नहीं कर सके । सभी अन्य साक्षी खासतौर पर डाक्टर जिन्होंने शवपरीक्षण के लिए शव को प्राप्त किया था, स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि शव का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था यद्यपि सूजन थी । इसके अतिरिक्त शव की आयु और कपड़ों का वर्णन जिन्हें घटना की तारीख को मृतका द्वारा पहना गया था, मृतका के आयु के यथावत् समरूप था और साक्षियों द्वारा किए गए वर्णन के अनुसार था ।

47. उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट रूप से सिद्ध किया गया है कि काली नदी के नजदीक पाया गया शव मृतका का था ।

48. **अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य**

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अंतिम बार देखे जाने वाले साक्षियों का साक्ष्य अर्थात् अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और

अभि. सा. 4 विश्वसनीय नहीं हैं जिससे कि अपीलार्थी अभियुक्त को अपराध में फंसाया जाए । उन्होंने अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथनों में भिन्नता का उल्लेख किया है जिन्होंने अभियुक्त सतीश के साथ मृतका को अंतिम बार देखा था । अभि. सा. 2 ने शपथ पर यह कथन किया है कि वह मृतका, प्रेम लता (अभि. सा. 3) और रीना (अभि. सा. 4) के साथ बाग को देखने के लिए गया था । सतीश अभियुक्त बाग पर पहुंचा और उसने अमरूद के लिए मृतका को कुछ पैसे दिए तथा वह अपने साथ उसे बाग के अंदर ले गया । उसके पश्चात् वह ''बरसीन'' काटने के लिए दूसरे खेत पर चला गया । वह ''बरसीन'' काटने के पश्चात् घर वापस लौट आया । जब उसका पुत्र शिव नाथ सिंह (इत्तिला देने वाला) लगभग 5.00 बजे अपराह्न घर पर पहुंचा और मृतका के बारे में पूछताछ की तब प्रेम लता और रीना ने यह बताया कि सतीश बाग पर पहुंचा था और मृतका उसके साथ बाग के अंदर चली गई और वापस नहीं लौटी ।

49. प्रेम लता (अभि. सा. 3) जिसकी आयु लगभग 9 वर्ष है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह पीड़िता रीना, और अपने नाना लाला राम (अभि. सा. 2) के साथ बाग पर पहुंची तब उसके नाना लाला राम दूसरे खेत में ''बरसीन'' काटने के लिए चले गए और इसके पश्चात् घर वापस लौटे । सतीश लगभग 4.00 बजे अपराह्न बाग पर पहुंचा । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसके नाना लाला राम ''बरसीन'' काटने के पश्चात् घर वापस आए । जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया है कि उसके नाना घटना के समय पर ''बरसीन'' काट रहे थे । ''बरसीन'' काटने के पश्चात् उसके नाना बाग पर वापस नहीं लौटे परंतु घर वापस चले गए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है घटना की तारीख को उनके वहां पहुंचने के पश्चात् सतीश को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति बाग पर नहीं पहुंचा ।

50. कुमारी रीना (अभि. सा. 4) जिसकी आयु लगभग 10 वर्ष है ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि सतीश बाग पर पहुंचा और उसने मृतका को पैसे दिए तथा बाग के अंदर उसे ले गया । तथापि, अपने नाना लाला राम (अभि. सा. 2) की मौजूदगी के बारे में उसने यह भी अभिकथन किया है कि वह वहां नहीं थे बल्कि उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि जब वह और उसकी बहन प्रेम लता जिन्होंने घटना देखी उन्हें अभियुक्त सतीश द्वारा धमकाया गया था और वे बाग के अंदर झोपड़ी पर पहुंचे और अपने नाना को उस बारे में बताया । उसने स्पष्ट रूप से इस बात से

इनकार किया है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मृतका को अपने साथ ले गया था । लाला राम (अभि. सा. 2) की उपस्थिति के बारे में इन भिन्नताओं के आधार पर और लगभग 4.00 बजे अपराह्न बाग पर सतीश की मौजूदगी के बारे में प्रतिरक्षा पक्ष ने यह दलील दी है कि वास्तव में किसी भी व्यक्ति ने सतीश को बाग के अंदर नहीं देखा था और अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया था ।

51. इन तीन साक्षियों के साक्ष्य का बारीकी से परिशीलन करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि उन्होंने लगभग 4.00 बजे अपराह्न बाग में अभियुक्त सतीश की मौजूदगी को साबित किया है और यह तथ्य कि मृतका बाग के अंदर उसके साथ गई थी । इसके पीछे कारण रहा है कम से कम दो साक्षी अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ने अभियुक्त सतीश की बाग में लगभग 4.00 बजे अपराह्न मौजूदगी को साबित किया है ।

52. जहां तक लाला राम (अभि. सा. 2) का परिसाक्ष्य है उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि सतीश बाग पर पहुंचा और मृतका को सतीश के पास छोड़ने के पश्चात् वह एक दूसरे खेत में "बरसीन" काटने के लिए चला गया । दो अप्राप्तवय लड़कियां अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ने भी यह कथन किया है कि उनके नाना घटना के समय पर "बरसीन" काट रहे थे । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा में वे विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं कर सके हैं कि क्या अभि. सा. 2 ने अंतिम बार सतीश को बाग में देखा था । जब तीन साक्षियों के अभिसाक्ष्यों का आलोचनात्मक रूप से परीक्षा करते हैं तो उल्लेख करना सुसंगत है कि अंतिम बार देखे जाने के ये तीन साक्षी जिनमें एक वृद्ध व्यक्ति है और दो अप्राप्तवय लड़कियां वे सभी असभ्य गांववासी हैं ।

53. अभि. सा. 3 से लगभग एक माह के अंतराल पर दो तारीखों पर लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसकी मुख्य और प्रथम प्रतिपरीक्षा तारीख 19 जनवरी, 2013 को अभिलिखित की गई थी और तारीख 15 फरवरी, 2013 को शपथ पर दूसरी प्रतिपरीक्षा अभिलिखित की गई थी ।

54. अभि. सा. 2 जिसकी आयु लगभग 66 वर्ष है, उसकी तारीख 7 अगस्त, 2012 को परीक्षा की गई थी और तारीख 7 सितंबर, 2012 को नए सिरे से शपथ पर पुनः परीक्षा की गई थी । उसकी मुख्य परीक्षा में यह ध्यान देने योग्य है कि उसने यह कथन किया है कि सतीश बाग पर पहुंचा और मृतका को कुछ अमरूद लाने के लिए कुछ पैसे दिए । सतीश और

मृतका दोनों बाग के अंदर चले गए और तब वह "बरसीन" काटने के लिए दूसरे खेत पर चला गया । "बरसीन" काटने के पश्चात् वह घर वापस लौट आया ।

55. उसकी प्रतिपरीक्षा से यह प्रकट हुआ है कि उसे कोई विनिर्दिष्ट सुझाव नहीं दिया गया था कि क्या वह जब सतीश लगभग 4.00 बजे अपराह्न वहां पहुंचा तब वह बाग में मौजूद था । यह प्रकट हुआ है कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि वह कथित दिन को बाग पर नहीं गया और वह अधिकांश तौर पर अपने घर पर ही रहा जिस पर उसने स्पष्ट रूप से इनकार किया है । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने अपने चार पशुओं के लिए "बरसीन" काटी थी और प्रातः होने से पूर्व अपने पशुओं को चारा देने के लिए वह अपने घर पहुंचा ।

56. जहां तक अभि. सा. 4 का संबंध है, उसकी तारीख 12 मार्च, 2013 को परीक्षा की गई थी । **जयश्री यादव** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पैरा 22 में यह मत व्यक्त किया है कि जब साक्षियों से लंबे समय तक लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी, इस प्रकार की प्रतिपरीक्षा में कुछ सुधार, विभेद और लोप घटित होते हैं । यदि मुख्य परीक्षा में दिए गए साक्ष्य घातक होना नहीं पाया जाता है तब यह साक्षियों द्वारा मुख्य परीक्षा में दिए गए अपने कथनों के साक्ष्यिक मूल्य किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता है ।

57. **अप्पा भाई और एक अन्य** बनाम **गुजरात राज्य**[2] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि साक्षियों के परिसाक्ष्य में अल्प विभेदों को असम्यक् महत्व नहीं दिया जाना चाहिए ।

58. विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित किया गया है हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि दो बालक साक्षियों और एक वृद्ध व्यक्ति (मृतका का नाना) के कथनों में विभेद ऐसी प्रकृति के हैं जिससे कि उनके स्पष्ट वृत्तांत त्यक्त किए जाएं कि सतीश घटना की तारीख को बाग पर पहुंचा था और मृतका कुछ अमरूद देने के लिए बाग में उसके साथ गई थी ।

---

[1] (2005) 9 एस. सी. सी. 788.

[2] (1988) (सप्ली.) एस. सी. सी. 241.

59. **बालिका साक्षियों के परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता**

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 बालिका साक्षी हैं और उनके परिसाक्ष्य की न्यायालय द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सावधानीपूर्वक परीक्षा की जानी चाहिए कि वे विश्वसनीय और सच्चाई से पूर्ण है । **अलगुपांडी** उर्फ **अलगुपांडियन** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में विधि पर चर्चा करते हुए पैरा 36 में यह मत व्यक्त किया है जो निम्न प्रकार है :–

> "36. विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि बालक साक्षी सक्षम साक्षी हो सकते हैं बशर्ते कि ऐसे साक्षी का कथन विश्वसनीय और सच्चा हो और इसकी अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा सम्पुष्टि की जाए । ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय बालक साक्षियों के कथनों का सुरक्षित रूप से अवलंब ले सकता है और इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है । इसके अतिरिक्त, बालक साक्षी के साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होती है केवल न्यायालय को ऐसी पूर्वावधानियां अपने विवेक में रखनी चाहिएं जब किसी बालक साक्षी साक्ष्य का निर्धारण किया जाता है अर्थात् ऐसा साक्षी को विश्वसनीय होना चाहिए और उसका आचरण अन्य सक्षम साक्षियों की भांति होना चाहिए और सिखाने-पढ़ाने की संभावना विद्यमान नहीं होनी चाहिए । ऐसा कोई नियम या पद्धति नहीं है कि प्रत्येक मामले में ऐसे किसी साक्षी का साक्ष्य दोषसिद्धि अनुज्ञात की जा सकने के पूर्व अन्य साक्ष्य द्वारा उसकी सम्पुष्टि होनी चाहिए । प्रज्ञा का यह नियम है कि न्यायालय के लिए हमेशा यह वांछनीय होना चाहिए कि अभिलेख पर रखे गए अन्य विश्वसनीय साक्ष्य से ऐसे साक्ष्य की सम्पुष्टि करवाई जाए । इसके अतिरिक्त, ऐसी विधि नहीं है कि यदि कोई साक्षी बालक साक्षी है उसके साक्ष्य को अस्वीकार किया जाएगा यद्यपि वह विश्वसनीय पाया जाता है (दत्तु रामराव सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य और पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) ।"

---

[1] (2012) 10 एस. सी. सी. 451.

60. **रमेश भाई चंदू भाई राठौर** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले के अंतिम बार देखे जाने के पहलू पर चर्चा करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि अभि. सा. 7 बालक साक्षी था फिर भी न्यायालय ने इस बात का समाधान होने के पश्चात् कि बालक सच बोला था, उसके साक्ष्य का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया ।

61. **दिनेश प्रजापति** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पैरा 10 में यह मत व्यक्त किया है कि बालक के परिसाक्ष्य से जो मृतका का पुत्र है और जिसकी आयु लगभग 14 वर्ष है तथा अन्य साक्षियों का कथन अभियोजन पक्षकथन की पूर्णतः सम्पुष्टि कराई गई थी । यह अभिनिर्धारित किया गया कि बालक साक्षी समझने में असमर्थ है और न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देने की स्थिति में था ।

62. **के. वेंकटेशवरलु** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[3] वाले मामले के पैरा 9 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभिलेख की पृष्ठभूमि और संदर्भ में किसी बालक साक्षी के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना उस पर न्यायालय के लिए यह आवश्यक होगा कि इसका अवलंब लेने का निश्चय करें । किसी बालक साक्षी के साक्ष्य को बारीकी से संवीक्षा किए जाने के अध्यधीन रखा जाना चाहिए और इसे केवल तब स्वीकार किया जा सकता है यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बालक उसके समक्ष रखे गए प्रश्नों को समझता हो और युक्तियुक्त उत्तर देने में समर्थ हो ।

63. जहां तक प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान् काउंसेल की दलील का संबंध है दो बालिका साक्षी अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 इस आधार पर सिखाए-पढ़ाए गए साक्षी हैं कि उनकी प्रतिपरीक्षा में कुछ विभेद और सुधार प्रकट हुए हैं । उन्होंने यह दलील दी कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथनों में विभेद प्रकट हुए हैं । उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने मृतका की चीख-पुकार सुनी और बाग के अंदर गए । उन्होंने मृतका को नग्न अवस्था में पाया और सतीश उसके ऊपर लेटा हुआ था । अभियुक्त सतीश द्वारा उन्हें धमकाया गया था और वापस घर जाने के लिए कहा । प्रेम लता (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया है कि उसने अपने नाना लाला राम और अपनी माता को सम्पूर्ण घटना की जानकारी दी थी । अभि.

---

[1] (2009) 5 एस. सी. सी. 740.

[2] (2011) 14 एस. सी. सी. 268.

[3] (2012) 8 एस. सी. सी. 73.

सा. 4 ने यह कथन किया कि उसने लाला राम (अपने नाना) और इत्तिला देने वाला (अपने मामा) को तथ्य के बारे में बताया था ।

64. हम यह असंभव पाते हैं कि प्रतिरक्षा पक्ष की दलील को स्वीकार करें कि इन दो साक्षियों का परिसाक्ष्य को ऊपर उल्लिखित भिन्नताओं के आधार पर त्यक्त किया जाना चाहिए ।

65. हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि ये दोनों साक्षी कोमल आयु की लड़कियां हैं और वे बाग में थे और घटना को देख सकते थे । परंतु उनके कथन मुख्य परीक्षा में उनके परिसाक्ष्य को प्रभावित नहीं करता है । दोनों लड़कियों ने अपनी मुख्य और प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट आधार लिया है कि केवल घटना की तारीख को बाग में सतीश पहुंचा था जब वे मृतका के साथ थे और बाग की पहरेदारी कर रहे थे । वहां पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था । वास्तव में, उनके कथनों में ऐसी छोटी-मोटी विभेदताएं प्रकट हुई हैं । ऐसी बातें असामान्य नहीं हैं तब भी इन साक्षियों का परिसाक्ष्य अत्यधिक सच्चाई से भरा हुआ है, यह साबित हुआ है कि वे सिखाए-पढ़ाए गए साक्षी नहीं हैं बल्कि उनके कथन नैसर्गिक थे ।

66. इसके अतिरिक्त, अभिलेख से यह प्रकट है कि विचारण न्यायाधीश ने अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 की परीक्षा करने से पूर्व अपने को संतुष्ट करने के लिए सावधानी बरती थी और प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुछ प्रश्न उनसे पूछे थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् कि वे उनके समक्ष रखे गए प्रश्न के आधार पर उत्तर देने में समर्थ थे तब उन्होंने अपना यह समाधान किया कि वे समझने में समर्थ हैं तथा वे अभिसाक्ष्य देने की स्थिति में हैं और उनके कथनों को अभिलिखित करने की कार्यवाही की ।

67. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि इन दो बालिका साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथनों की घटना के अगले दिन अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा उसके द्वारा गांववासियों के समक्ष अपराध किए जाने की संस्वीकृति से सम्पुष्टि हुई है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने पुलिस को यह सूचना दी कि उसने बाग अर्थात् (घटना घटित होने का स्थान) के नजदीक काली नदी में शव को फेंक दिया था । अभियुक्त द्वारा दी गई प्रकटीकरण सूचना जिसके अनुसरण में काली नदी के नजदीक से मृतका की नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल बरामद हुई थी, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 प्रेम लता और रीना के परिसाक्ष्य से पूर्णतया

सम्पुष्टि हुई है । ऊपर उल्लिखित तथ्यों और चर्चाओं से हमारा पूरी तरह यह समाधान हुआ है कि दोनों अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 का परिसाक्ष्य वर्तमान मामले में नैसर्गिक और सच्चाई से भरा हुआ है ।

68. **नीले रंग का चप्पल प्रदर्श क-12 की बरामदगी**

जहां तक नीले रंग की चप्पल की बरामदगी (जिसे कागजात में प्रदर्श क-12) के रूप में दिखाया गया है काली नदी के नजदीक है और उसके द्वारा ऐसी सूचना दी गई थी और यह विनिर्दिष्ट प्रश्न से संबंधित है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी के कथन करने के समय उसके समक्ष रखा गया था जो प्रश्न सं. 6 है । इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया "कि मुझे नहीं मालूम" (मुझे पता नहीं) ।

69. अपराध में फंसाने वाली सभी परिस्थितियों के संबंध में सभी प्रश्न अभियुक्त के समक्ष रखे गए । उसने साधारण रूप से इन बातों से इनकार किया और कहा कि "गलत है" । अंत में उसने यह कहा कि उसे शत्रुतावश मिथ्या रूप से फंसाया गया था । उसके द्वारा अपने कथन में शत्रुता होना बताया गया है क्योंकि उसने चुनाव में प्रधान को वोट नहीं दिया और इत्तिला देने वाला और प्रधान एक ही जाति के हैं इसलिए उसे उन्होंने अपराध में मिथ्या रूप से फंसाया है । इसलिए उसे उसके मकान से गिरफ्तार किया गया था ।

70. **मनु साहू** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पैरा 11 और 14 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "11. न्यायालय द्वारा परीक्षा किए जाने के लिए एक समान महत्व है कि क्या पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में यह अधिपेक्षा साबित की जानी चाहिए और इससे पूर्व मामले में उसका समाधान होना चाहिए या नहीं । पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में बड़ी सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और अभिलेख पर दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य की सूक्ष्म परीक्षा बड़े ध्यान से की जानी चाहिए । तब केवल यह प्रकट है कि न्यायालय अपराध के संघटकों के संबंध में साक्ष्य के उचित विश्लेषण पर निष्कर्ष निकालने की स्थिति में होगा । खासतौर पर पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में अभियोजन का सम्पूर्ण पक्षकथन के अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

[1] (2010) 12 एस. सी. सी. 310.

313 के अधीन किए गए कथन से सारभूत मदद मिल सकती है ।

14. अभियुक्त का कथन कि अभियुक्त द्वारा किया गया कोई अनभिशंसी की सद्यता पर परख के लिए प्रयोग किया जा सकता है इस पर किसी जांच या विचारण के बारे में विचार किया जा सकता है किंतु फिर भी मामले में कोई सख्त किस्म का साक्ष्य नहीं है । धारा 313(4) के उपबंध में स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तर को ऐसी जांच या विचारण में विचार में लिया जा सकता है और किसी अन्य अपराध के लिए कोई अन्य जांच या विचारण अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में रखा गया है जिसके लिए ऐसे उत्तर से यह दर्शित हो सकता है कि उसने ऐसा अपराध किया है । दूसरे शब्दों में संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा प्रयोग अनुज्ञात है परंतु इसकी अपनी परिसीमाएं हैं । न्यायालय अभियुक्त के कथन के भाग का अवलंब ले सकता है और अभियोजन पक्ष द्वारा उसके विरुद्ध अन्य साक्ष्य को विचार में लेकर उसके विरुद्ध दोषिता का निष्कर्ष निकाल सकता है तथापि, इस धारा के अधीन किए गए ऐसे कथनों पर अलग से विचार नहीं किया जाना चाहिए बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के साथ संयुक्त रूप से विचार किया जाना चाहिए ।"

71. **रफीक अहमद** उर्फ **रफी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले के पैरा 67 में यह मत व्यक्त किया गया है कि :–

"यह सही है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए कथन पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता । परंतु निश्चित तौर पर न्यायालय परीक्षा किए जाने हेतु सुसंगत बातों पर विचार कर सकता है, विशिष्ट रूप से जब अभियोजन पक्ष घटनाओं की शृंखला को सिद्ध करने में समर्थ हुआ है .....।"

72. **सुनील क्लिफोर्ड डैनियल** बनाम **पंजाब राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पैरा 50 में यह मत व्यक्त किया है कि :–

"अभियुक्त की ओर से यह बाध्यता है जब उसकी दंड प्रक्रिया

---

[1] (2011) 8 एस. सी. सी. 300.

[2] (2012) 11 एस. सी. सी. 205.

संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की जा रही होती है उसके साथ सहबद्ध अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण दे और न्यायालय को ऐसे स्पष्टीकरण पर ध्यान देना चाहिए जो पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में भी है और इस बारे में विनिश्चय करना चाहिए कि परिस्थितियों की शृंखला पूरी है या नहीं । मुशीर खान **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य, [(2010) 2 एस. सी. सी. 748)] वाले मामले में पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन किया गया है और उसका अनुसरण किया गया है । (देखिए : ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और एक अन्य **बनाम** एस. सरदार अली और अन्य, ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 1225)"

73. जैसाकि पूर्वोक्त उत्तर से ध्यान में आया है यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने घटना घटने के स्थान से कुछ कदम की दूरी पर बरामद की गई नीले रंग की चप्पल के बारे में स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया है बल्कि उसने यह कहा है कि उसे बरामदगी के तथ्य के बारे में पता नहीं था ।

74. **कपड़ों का विवरण – अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथनों में विसंगतता**

प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दो साक्षी अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 द्वारा कपड़ों के वर्णन के बारे में बताई गए विसंगतता के संबंध में यह कहना पर्याप्त है कि मृतका द्वारा घटना की तारीख को पहने गए जैकेट के रंग के बारे में केवल भिन्नता थी । उक्त भिन्नता डाक्टर द्वारा शव पर वर्णित कपड़ों के वृत्तांत को ध्यान में रखते हुए नगण्य है । यह सुस्पष्ट है कि मृतका के शव पर जैकेट पाया गया था जब इसे बरामद किया गया और इसे फारेंसिक परीक्षा के लिए भेजा गया था ।

75. उपरोक्त तथ्य और ऊपर चर्चित सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त दलील पूर्णतया भ्रामक है और इस प्रकार इसे त्यक्त किया जाता है ।

76. **न्यायिकेतर संस्वीकृति**

जहां तक अभियुक्त द्वारा अपनी गिरफ्तार से पूर्व या उसे पुलिस को सौंपे जाने के पूर्व किए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति का संबंध है विधि की यह सुस्थिर स्थिति है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति यदि सही और स्वैच्छिक है

तो इसका न्यायालय द्वारा अभिकथित अपराध किए जाने के संबंध में अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अवलंब लिया जा सकता है । साक्ष्य के रूप में न्यायिकेतर संस्वीकृति की अंतर्निहित दुर्बलता के बावजूद तब इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती जब इससे यह दर्शित होता है कि ऐसी संस्वीकृति ऐसे किसी व्यक्ति के समक्ष की गई थी जिसके पास मिथ्या कथन करने का कोई कारण नहीं है ।

77. उच्चतम न्यायालय ने **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **कांडा गोपालुडु**[1] वाले मामले में पूर्ववर्ती निर्णय **गुरू सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] ; **राव शीर बहादुर सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[3] और **मघर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[4] वाले मामलों का अवलंब लिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त द्वारा साक्षियों के समक्ष किए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य हमेशा दूषित साक्ष्य की शब्दावली के अंतर्गत नहीं आ सकता । ऐसे साक्ष्य की सम्पुष्टि पर प्रचूर सावधानी बरता जाना ही अपेक्षित है ।

78. **किशोर चंद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[5] वाले मामले का **कांडा गोपालुडु** (उपरोक्त) वाले मामले में विचार किया गया । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय के लिए अपेक्षित है कि इस बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए चारों ओर की परिस्थितियों पर विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या ऐसी संस्वीकृति कोई अनुचित या संपार्श्विक विचार या विधि के उपाय से प्रेरित नहीं है इससे यह इंगित होता है कि यह सत्य नहीं हो सकता । ऐसी सभी सुसंगत परिस्थितियां जिसमें किसी व्यक्ति ने संस्वीकृति की है, ऐसी संस्वीकृति करने के समय और स्थान के संबंध में परिस्थितियां जिसमें इसे किया गया है, उसकी संवीक्षा की जानी चाहिए ।

79. इस प्रकार अब विधि का सिद्धांत स्थापित है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति तभी ग्राह्य है यदि इससे विश्वास उत्प्रेरित होता और यह स्वैच्छिक की गई है ।

80. वर्तमान मामले में अपीलार्थी द्वारा की गई न्यायिक संस्वीकृति

---

[1] (2005) 13 एस. सी. सी. 116.
[2] (2001) 2 एस. सी. सी. 205.
[3] ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 322.
[4] (1975) 4 एस. सी. सी. 234.
[5] (1991) 1 एस. सी. सी. 286.

अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहा गया है जैसाकि पूर्व में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसी संस्वीकृति को अपीलार्थी ने सड़क के त्रिकोणीय मोड़ पर गांववासियों के साथ 2 साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार होने के उपरांत तत्काल की गई है । उसने उन्हें वह स्थान भी दिखाया जहां मृतका की हत्या करने के पश्चात् शव को फेंक दिया गया था । ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया जिससे यह दर्शित हो सकता है कि उनका साक्ष्य दूषित है और न्यायिकेतर संस्वीकृति अपीलार्थी द्वारा स्वेच्छा से नहीं की गई है ।

81. इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की गई थी जिसकी अपीलार्थी द्वारा पुलिस को सौंपे जाने के पश्चात् उस स्थान से जो काली नदी के नजदीक है नीले रंग की चप्पल की बरामदगी से सम्पुष्टि हुई है । अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल पश्चात् उसके विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । अपीलार्थी पुलिस दल को साक्षी अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 तथा गांववासियों के साथ काली नदी पर ले गया जहां उसने शव को नदी में फेंक दिया था । मृतका की नीले रंग की चप्पल उस स्थान से पाई गई थी और इसके पश्चात् शव उक्त स्थान से लगभग 1-1/2 किलोमीटर की दूरी पर 9 दिनों के पश्चात् काली नदी से पाया गया था ।

82. इस प्रकार उपरोक्त चर्चा से हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी का न्यायिकेतर संस्वीकृति जब उसे साक्षियों और गांववासियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा पुलिस को सौंपे जाने से पूर्व उसके द्वारा की गई थी, दूषित नहीं है । अब न्यायालय का इससे विश्वास उत्प्रेरित होता है क्योंकि यह स्वैच्छिक बिना किसी धमकी के की गई थी । यह स्वभाविक था तथा इसकी आगे नीले रंग की चप्पल की बरामदगी से और मृतका के शव से भी संपुष्टि हुई है । हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में साक्ष्य के टुकड़े के रूप में ग्राह्य है और अभियोजन पक्षकथन को साबित करने के लिए परिस्थितियों के रूप में एक अतिरिक्त शृंखला है ।

83. **साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन बरामदगी**

अभियुक्त अपीलार्थी को पुलिस को सौंपे जाने के पश्चात् उसी दिन मृतका के नीले रंग की चप्पल अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान से बरामद

हुई थी । बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श क-12 में अभियुक्त के हस्ताक्षर के अलावा लाला राम और एक गांववासी श्याम सुंदर जिनकी साक्षियों के रूप में हस्ताक्षर हुए थे, तत्कालीन अन्वेषक अधिकारी सत्य प्रकाश गुप्ता द्वारा ऐसे हस्ताक्षर कराए गए थे और बाद में शव उस स्थान से लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर भी बरामद हुआ था जहां अभियुक्त द्वारा इसे फेंका गया था । इन बातों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 मामले में लागू होगा । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 निम्न प्रकार है :–

> "अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी :
>
> 27. परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतना चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं जितनी तद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी ।"

84. **मुशीर खान** उर्फ **बादशाह खान और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त के कथन के अनुसरण में प्रकट तथ्यों की ग्राह्यता की सीमित प्रकृति पर विचार किया है और जिस बारे में पैरा 57 में दृष्टांत दिया गया है जो निम्न प्रकार उत्कथित है :–

> "शायद कोई व्यक्ति जो हत्या का अभियुक्त है इस तथ्य के बारे में पुलिस अधिकारी को अभिसाक्ष्य देता है जिसके परिणामस्वरूप आयुध जिससे अपराध किया गया है बरामद होता है परंतु ऐसी बरामदगी के परिणामस्वरूप अभियुक्त के विरुद्ध कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्या अभियुक्त द्वारा किए गए ऐसे अभिकथित अपराध से चाकू को संबंधित करने का कोई साक्ष्य नहीं है ।"

85. प्रिवी काउंसिल इन पुलुकूरी कोटेय्या बनाम किंग एम्परर वाले मामले के पैरा 56 में न्यायालय द्वारा विचार किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 कलात्मक शब्दों में नहीं है परंतु पूर्वगामी धाराओं के अधीन अधिरोपित प्रतिषेध के

---

[1] (2010) 2 एस. सी. सी. 748.

अपवाद का उपबंध करता है । तथापि, बरामदगी की सीमा अभियुक्त द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के तथ्य के अनुसरण में केवल तब ग्राह्य है जब प्रकट तथ्यों की प्रकृति पर केवल निर्भर करता हो जिस पर सूचना का निश्चित रूप से संबंध हो ।

86. उपरोक्त दृष्टांत से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु (उस मामले में आयुध) की मात्र बरामदगी से यदि अभियुक्त द्वारा किए गए अभिकथित अपराध को उक्त आयुध से संबंधित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं है तब अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है । न्यायालय को इस बारे में विचार करना चाहिए कि क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकट तथ्य स्वैच्छिक है या नहीं । यदि ऐसा नहीं है तो यह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के प्रतिकूल होगा ।

87. वर्तमान मामले में यह पाया गया है कि अभियुक्त द्वारा बताए गए तथ्यों पर नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल बरामद की गई है कि उसने मृतक की हत्या की थी और शव को काली नदी में फेंक दिया था । जैसाकि ऊपर चर्चा की गई और अपीलार्थी द्वारा उस स्थान को दिखाया गया जहां उसने घटना घटने के स्थान से अर्थात् बाग से 20 कदम की दूरी पर काली नदी में शव को फेंक दिया था । इस प्रकार अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन पर बरामदगी की सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता है ।

88. इसके अतिरिक्त नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल की बारमदगी का 9 दिन पश्चात् लगभग 1-1/2 किलोमीटर की दूरी पर काली नदी से शव की बरामदगी से संबंधित है । जैसाकि ऊपर चर्चा की गई शव उस स्थान से 1-1/2 किलोमीटर की दूरी पर नदी के पुल भनाउ के नजदीक पाया गया था जहां अभियुक्त द्वारा उसको फेंका गया था । इस प्रकार सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त से प्राप्त की गई सूचना के परिणामस्वरूप मृतका की नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल की बरामदगी हुई थी इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन बरामदगी माना जाता है क्योंकि यह उन तथ्यों से संबंधित है । तदुपरि जिसकी बरामदगी हुई थी और इसे साबित किया गया है । सभी तथ्यों और परिस्थितियों के संयुक्त उक्त तथ्य जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है उन्हें साबित किया गया है कि अपीलार्थी-अभियुक्त अपराध को करने

वाला है ।

89. **अभियुक्त द्वारा बलात्संग किया जाना**

अब केवल यह तथ्य जिसकी परीक्षा किया जाना शेष है यह है कि क्या अभियुक्त सतीश ने पीड़िता के साथ बलात्संग किया था या नहीं । इस संबंध में विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर तात्विक साक्ष्य पर चर्चा की है जो तात्विक प्रदर्श 1, 2 और 3 अर्थात् जैकेट, फ्राक और पायजामी जिसे मृतका द्वारा पहना गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट में यह राय व्यक्त की गई है कि इन तात्विक प्रदर्शों के बृहत भाग पर रक्त पाया गया था । सीरम विज्ञानी रिपोर्ट के अनुसार मानव रक्त फ्राक और पायजामी पर पाया गया था जबकि तात्विक प्रदर्श 1 अर्थात् जैकेट पर विघटित रक्त पाया गया था । इसके अतिरिक्त शव-परीक्षा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि योनि के चारों ओर खुले भाग पर नीले रंग के निशान मूलाधार और योनिच्छद फटा हुआ था और योनि से बदला रक्त टपक रहा था और क्षति के कारण उसमें सूजन थी । पैथोलोजिकल रिपोर्ट में यद्यपि कोई शुक्राणु नहीं पाए गए थे फिर भी अत्यधिक लाल रक्त सैल मौजूद थे । विशेषज्ञ साक्षी अर्थात् डाक्टर ने अपने कथन में उक्त तथ्यों की पुष्टि की है । जहां तक योनिक धब्बे में शुक्राणु के अभाव का संबंध है डाक्टर ने यह कथन किया है कि ऐसे शुक्राणु के धब्बे शव में 4-5 दिन तक मौजूद पाए जा सकते हैं और जीवित शरीर में यह अधिकतम 24 घंटे की अवधि तक जिंदा रहते हैं ।

90. वर्तमान मामले में शव घटना की तारीख के 9 दिन पश्चात् पाया गया था । शव लगभग 8 दिन तक पानी में रहा था । डाक्टर ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि शव पर पाए गए बदलाव के आधार पर और वातावरण के तापमान के आधार पर मृत्यु घटना के 8 दिन पूर्व घटित हो सकती है । उन्होंने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि मृत्यु के पश्चात् शव से टपकने वाले रक्त का वर्णन किया गया है जो बदला हुआ रक्त है ।

91. क्षति सं. 4 के वर्णन में यह उल्लेख किया गया है कि बदला हुआ रक्त योनि से टपक रहा था । मृत्यु पूर्व गला घोंटने और श्वासावरोध के कारण हुई थी । इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ साक्षी डाक्टर (अभि. सा. 6) ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शव पर किसी जानवर के काटे हुए निशान नहीं थे । इस प्रकार क्षति सं. 4, योनि धब्बे

पर पैथोलोजी रिपोर्ट तथा न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट, आगरा जिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि मृतका की फ्राक और पायजामी के ऊपर मानव रक्त मौजूद था । इसके अतिरिक्त यह तथ्य प्रकट हुआ है कि बदला हुआ रक्त योनि से टपक रहा था और योनि धब्बे में अत्यधिक लाल रंग के रक्त के सैल मौजूद थे जिनसे स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि अभियुक्त सतीश द्वारा बलात्संग किए जाने के बारे में अभियोजन वृत्तांत युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हुआ है । इस प्रकम पर उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम दो बालिका साक्षी अर्थात् अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के वृत्तांत पर विश्वास करना चाहते हैं कि उन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा बलात्संग किए जाने की घटना को देखा था । तथापि, हम अभियुक्त सतीश द्वारा मृतका के साथ बलात्संग किए जाने के बारे में उनके कथनों के आधार पर राय विरचित करने से स्वयं पर अंकुश लगाते हैं ।

92. **स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा**

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील पर विचार करते हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं किया गया था और उसकी परीक्षा भी नहीं की गई थी । यह घिसी-पिटी विधि है कि साक्षी अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य के मामले में यद्यपि वे पीड़िता के नातेदार हैं क्या वे विश्वसनीय और सच्चे साक्षी हैं और इनसे अभियुक्त को अपराध से संबंधित करने की शृंखला पूरी होती है । स्वतंत्र साक्षी को पेश न करने मात्र से अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा । वर्तमान मामले में इसके अतिरिक्त केवल दो परिस्थितियों का वृत्तांत दिया जा सकता है और स्वतंत्र साक्षी अर्थात् गांववासियों द्वारा मामले को सिद्ध किया गया है । ये इस प्रकार हैं – (i) गांववासियों द्वारा कुटुंब के सदस्यों के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी (ii) काली नदी से शव की बरामदगी । इन दो परिस्थितियों को अभियोजन पक्ष द्वारा बरामदगी के स्थान के साक्ष्य से सिद्ध किया गया है । अतः हम अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा दी गई प्रतिपरीक्षा में कोई सार नहीं पाते हैं ।

93. **निष्कर्ष**

अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी ठहराने वाली परिस्थितियां हमारे द्वारा विस्तार से उनका विश्लेषण किया गया है और अभियुक्त पर अचूक रूप से

यह इंगित होता है कि अपराध का कर्ता वही है ।

94. जहां तक अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 का अंतिम बार देखे जाने के पहलू का संबंध हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतका अभियुक्त के संग देखी गई थी उनके उस स्थान से चले जाने के पूर्व और इसके पश्चात् मृतका कभी-भी जीवित नहीं दिखाई दी थी । इसके अतिरिक्त साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रथम संस्वीकृति (न्यायिकेतर संस्वीकृति) अभियुक्त द्वारा पुलिस की मौजूदगी में नहीं की गई थी । उसे पुलिस को सौंपे जाने से पूर्व उसने संस्वीकृति की थी और उस स्थान को दिखाया था जहां से उसने शव को फेंका था और उसके कहने पर मृतका के नीले रंग की प्लास्टिक चप्पल पाई गई थी और उसे पुलिस को सौंपे जाने के पश्चात् पुलिस उसकी गिरफ्तारी के पश्चात् इत्तिला देने वाले और गांववासियों के साथ तत्काल शव को ढूंढने के लिए गई थी । उसके पश्चात् अभियुक्त द्वारा काली नदी के नजदीक दिखाए गए स्थान से लगभग 1-1/2 किलोमीटर की दूरी पर 9 दिन पश्चात् शव बरामद किया गया था । यद्यपि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 बालिका साक्षी हैं फिर भी विचारण न्यायालय ने उनके साक्ष्य का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया था और यह समाधान किया कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा करके उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए जिनका उन्होंने सही उत्तर दिया । विचारण न्यायाधीश ने इन साक्षियों से उत्तर और प्रश्न प्राप्त करने के पश्चात् उनके कथनों को अभिलेख पर दर्ज करने की कार्यवाही की । इन बालिका साक्षियों के कथन स्पष्ट और समझने योग्य हैं । उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में भी स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि सतीश के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति बाग में पहुंचा था और मृतका सतीश के साथ गई थी और वापस नहीं लौटी । चिकित्सा साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि मृत्यु का कारण गला घोंटने की वजह से श्वासावरोध था और मृतका की हत्या से पूर्व अभियुक्त द्वारा उससे बलात्संग किए जाने का साक्ष्य स्पष्ट है ।

95. इस मामले में पेश किए गए साक्ष्य का गहराई, आलोचनात्मक और बारीकी से परिशीलन करने के पश्चात् हमारे विवेक में ऐसा कोई संदेह नहीं है कि वह अभियुक्त ही था जिसने अपराध किया था । परिस्थिति पर किसी व्यक्ति को सिद्धदोष करने के लिए अपेक्षित सबूत

मानक को उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की शृंखला द्वारा अच्छी तरह सिद्ध किया गया है । दोषसिद्धि के समर्थन में अवलंबित परिस्थितियों को पूर्णतया सिद्ध किया जाना चाहिए और इन परिस्थितियों द्वारा दिए गए साक्ष्य की शृंखला को पूरा होना चाहिए जिसमें अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत निष्कर्ष निकालने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं होना चाहिए और इससे यह दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यता में अभियुक्त द्वारा ऐसा कार्य किया गया होगा । हम सेशन न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह सहमत हैं जिनके द्वारा इस मामले में पेश किए गए साक्ष्य और दस्तावेजों का सही रूप से मूल्यांकन किया गया है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अभियुक्त की दोषिता संदेह के परे साबित की गई है ।

96. **दंडादेश**

दंडादेश के प्रश्न पर यह विनिश्चय किया जाना शेष है कि क्या यह मामला विरल से विरलतम मामले के प्रवर्ग के अंतर्गत आता है, मृत्यु दंडादेश देना न्यायसंगत है ।

97. **शंकर किसन राव खाडे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार किया और यह मत व्यक्त किया कि गंभीर कारक और प्रशमन परिस्थितियां और अन्य कारकों के बीच संतुलन के प्रभाव को ध्यान में रखने के पश्चात् अभियुक्त की युवा आयु पर सुधारात्मक संभावना, बलात्संग आदि के परिणामस्वरूप हत्या करने के आशय में कमी से मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में संपरिवर्तित करने के लिए न्यायिक विवेक पर जोर दिया गया है ।

98. उक्त निर्णय के पैरा 106 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "उपरोक्त मामलों के अध्ययन करने से यह संकेत मिलता है कि कई ऐसे कारण जिन्हें संचयी रूप से लिया जाए जिस पर मृत्यु दंड आजीवन कारावास में संपरिवर्तित कर दिया गया है । तथापि, कुछ ऐसे कारक जिनके अंतर्गत कुछ बातों को सम्मिलित करते हुए लघुकरण के प्रभाव को दर्शाता है –

---

[1] (2013) 5 एस. सी. सी. 546.

(1) अभियुक्त की युवा आयु (अमित बनाम महाराष्ट्र राज्य आयु 20 वर्ष, राहुल आयु 24 वर्ष, संतोष कुमार सिंह आयु 24 वर्ष, रमेशभाई चंदूभाई राठौर आयु 28 वर्ष और अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आयु 28 वर्ष) ;

(2) अभियुक्त के सुधरने और पुनर्वास की संभावना (संतोष कुमार सिंह और अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अभियुक्त संयोगवश युवा थे जब उन्होंने अपराध किया) ;

(3) अभियुक्त का पूर्व में कोई आपराधिक अभिलेख नहीं था (निर्मल सिंह, राजू, बंटू, अमित बनाम महाराष्ट्र राज्य, सुरेन्द्र पाल शिवबालकपाल, राहुल और अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) ;

(4) अभियुक्त से संभवतया समाज या समुदाय को कोई खतरा नहीं था (निर्मल सिंह, मोहम्मद चमन, राजू, बंटू, सुरेन्द्र पाल शिवबालकपाल, राहुल और अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) ;

(5) कुछ अन्य कारण जिनका उल्लेख किया जाना जरूरी है अभियुक्त किसी न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया था (तमिलनाडु राज्य बनाम सुरेश, महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश, भारत फकीरा धीवर, मानसिंह और संतोष कुमार सिंह) ;

(6) अपराध पूर्व चिंतन के बिना नहीं किया गया था (कुमुदी लाल, अख्तर, राजू और अमृत सिंह) ;

(7) मामला पारिस्थितिक साक्ष्य में से एक था (मानसिंह और बिष्णु प्रसाद सिन्हा) ।

एक मामले में लघुकरण का आदेश किया गया था क्योंकि प्रकटतः कोई 'आपवादिक' लक्षण नहीं था जिस पर मृत्युदंड आवश्यक हो कुमुदी लाल और एक अन्य वाले मामले में विचारण न्यायालय द्वारा आजीवन दंड अधिनिर्णीत किया गया था परंतु उच्च न्यायालय ने उस दंड को मृत्युदंड में बढ़ा दिया (हरेश मोहनदास राजपूत)"

99. पैरा 142 में यह मत व्यक्त किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों से पूर्णतया यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने गंभीरतापूर्वक पुनः विचार किया है यद्यपि यह प्रणालीगत तरीका नहीं है ।

बच्चन सिंह बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में अभिकथित सूत्र को लागू करके अधिनिर्णीत आजीवन दंडादेश मृत्यु दंड का वैकल्पिक समाधान है ।

100. **बंटू** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिनिर्णीत मृत्यु दंड का लघुकरण करके अभियुक्त को आजीवन कारावास का दंड अधिनिर्णीत किया है । अभियुक्त 22 वर्ष की आयु का था जिसने 6 वर्ष की बालिका के साथ बलात्संग किया और उसकी हत्या कर दी । यह बात जानकारी में है कि बलात्संग और हत्या घृणित अपराध है परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस बात को संज्ञान में लिया कि अभियुक्त का पूर्व में कोई आपराधिक गतिविधि नहीं थी और वह स्वच्छन्द रूप से समाज के लिए गंभीर खतरा भी नहीं होगा । इसके आधार पर मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में संपरिवर्तित कर दिया गया । **अमित** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] वाले मामले में 11 वर्ष की आयु की बालिका के साथ बलात्संग और हत्या के लिए मृत्यु दंड अधिनिर्णीत किया था जिसे इस कारण से आजीवन कारावास में संपरिवर्तित कर दिया गया कि जब घटना घटी थी तब अभियुक्त 20 वर्ष का युवा व्यक्ति था । उसका पूर्व में कोई घृणित अपराध किए जाने का कोई अभिलेख नहीं था तथा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि वह समाज के लिए खतरनाक होगा । **सुरेन्द्रपाल शिव बालकपाल** बनाम **गुजरात राज्य**[4] ; **राहुल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[5] ; **अमित सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[6] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी तरह का मत अपनाया गया है ।

101. वर्तमान मामले में यद्यपि अभियुक्त-अपीलार्थी की आयु के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसके कथन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और हमारे पास कोई अपेक्षित ब्यौरे भी नहीं हैं तो भी अभिलेख पर यह प्रकट करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अभियुक्त का किसी घृणित अपराध करने के संबंध में कोई इतिवृत्त था ।

---

[1] (1980) 2 एस. सी. सी. 684.
[2] (2001) 9 एस. सी. सी. 615.
[3] (2003) 8 एस. सी. सी. 93.
[4] (2005) 3 एस. सी. सी. 127.
[5] (2005) 10 एस. सी. सी. 322.
[6] (2006) 12 एस. सी. सी. 79.

102. तथापि, हम यह निष्कर्ष नहीं निकालते हैं कि किसी युवा बालिका के साथ विभत्स बलात्संग और हत्या को देखते हुए तथा अभियुक्त का यह प्रयास कि नदी में शव को फेंक कर अपराध को छुपा दिया जाए "विरल से विरलतम" मामलों के प्रवर्ग में आता है जिस पर अभियुक्त-अपीलार्थी को मृत्यु दंड अधिनिर्णीत किया जाए । ऊपर की चर्चा से हमारा यह मत है कि मृत्यु दंड का अनुकल्प होना चाहिए । अभियुक्त-अपीलार्थी को उसके पूरे जीवन काल के लिए आजीवन कारावास अधिनिर्णीत किया जाता है और यह बात सरकार के आग्रह पर अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए लघुकरण के अध्यधीन होगा ।

103. पूर्वोक्त तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए हमने यह निर्का निकाला है कि दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376(2)(च) और 201 के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता नहीं है और इसे कायम रखा जाता है । तथापि, हम अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंडादेश को उपांतरित करते हैं और दंड को आजीवन कारावास के दंडादेश में लघुकृत किया जाता है ।

104. मृत्यु दंड के पुष्टिकरण के लिए निर्देश अस्वीकार किया जाता है ।

105. उपरोक्त उपांतरण सहित अपील खारिज की जाती है ।

106. निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति एक सप्ताह के अंतर्गत निचले न्यायालय को भेजी जाए । मामले के अभिलेख तत्काल निचले न्यायालय को प्रेषित किया जाता है । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा इस आदेश की प्रति प्राप्त करने की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करके रिपोर्ट देनी होगी ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

इन्दर देव

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 7 मार्च, 2014

न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 438 – अग्रिम जमानत – जहां अभियोग की प्रकृति पूर्णतः साक्ष्य पर आधारित हो और संपूर्ण साक्ष्य अभियोजन के पास उपलब्ध है तथा अभियुक्त हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी है और समाज में उसकी गहरी पकड़ है तथा न्याय से भागने की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है वहां सुसंगत परिवर्ती परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित और न्यायसंगत है ।

परिवाद में यह मामला उपवर्णित है कि कुल अनुमोदित 7,16,100/- रुपए की रकम के विरुद्ध 1,75,000/- रुपए की रकम का कतई उपयोग नहीं किया गया और इस प्रकार, श्याम लाल के तत्कालीन प्रधान और सदा राम, तत्कालीन ग्राम पंचायत के सचिव के साथ याची द्वारा दुर्विनियोग किया गया था । आवेदक का यह विनिर्दिष्ट पक्षकथन है कि उसने क्रास चैकों के द्वारा संबद्ध कर्मकारों को संदाय किए और वस्तुतः इन कर्मकारों की ओर से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी कि उन्हें उस काम का संदाय प्राप्त नहीं हुआ जो उन्होंने किया । इन कार्यों का निरीक्षण किया गया और मापा गया और उससे संबंधित अभिलेखों को सम्यक् रूप से अनुरक्षित किया गया । 50% से अधिक कर्मकार महिलाएं और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति थे, अतः, इन कर्मकारों द्वारा किए गए कार्यों की तुलना लोक निर्माण विभाग या कारखानों में नियोजित नवयुवक मजदूरों द्वारा सामान्यतः किए गए कार्य से नहीं की जा सकती । आगे यह तर्क किया गया है कि आवेदक ने अन्वेषण में भाग लिया और उसके पास उपलब्ध सम्पूर्ण अभिलेख को पुलिस तथा संबद्ध प्राधिकारी को सौंपा । फिर भी, धनकौटी ग्राम पंचायत के सदस्यों के अनुरोध पर आवेदक के विरुद्ध मिथ्या और निरर्थक मामला दर्ज किया गया । आवेदक का यह विनिर्दिष्ट

कथन है कि "मनरेगा" स्कीम के अधीन धनकौटी के ग्राम पंचायत के सदस्य के मजदूर के रूप में नामांकित थे । ऐसे ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम सुरिन्दर कुमार, प्रेम लाल, निर्मला देवी, सपना देवी और सरोज कुमारी हैं । जहां सुरिन्दर कुमार और सपना देवी ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए पानी की टंकी का निर्माण करवाया वहीं सरोज कुमारी ने एक बकरी शाला का निर्माण करवाया और ये व्यक्ति कोई कार्य किए बिना धन पाने के लिए "मनरेगा" स्कीम के अधीन अपने नामों को शामिल करने के लिए अभी भी जोर दे रहे थे । जब आवेदक द्वारा इस व्यवहार पर आपत्ति की गई तो उनके अनुरोध पर मिथ्या मामला दर्ज किया गया । आवेदक ने कार्य कार्ड धारक को काम दिए थे जबकि कार्य के आबंटन और निष्पादन के लिए आयु या लिंग का कोई मानदंड नहीं था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन यह आवेदन हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के सदर तहसील बरामाना के पुलिस थाने में तारीख 2 अक्तूबर, 2013 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दर्ज प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मामला संख्या 18 में इन्दर देव ग्राम पंचायत धनकौटी कोठी के तकनीकी सहायक द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूरी के लिए किया गया । उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन का निपटान करते हुए,

अभिनिर्धारित – मामले के सम्पूर्ण मत पर विचार करते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यद्यपि याची और दो अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं किंतु फिर भी यह ऐसा मामला नहीं है जहां आवेदक के पास प्रस्तुत करने की कोई प्रतिरक्षा न हो । क्या ऐसे बचाव सही, विधिमान्य या अभियोग के प्रतिरक्षी हैं जिन पर विचारण न्यायालय द्वारा मामले पर विचार किए जाने हेतु अपेक्षा है । अभियोग की प्रकृति पूर्णतया ऐसे साक्ष्य पर आधारित है जो पहले ही अभियोजन के पास उपलब्ध है । आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी है और समाज में उसकी गहरी पकड़ है इसलिए न्याय से भाग जाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है । अतः इस प्रक्रम पर अभियोग की प्रकृति और सुसंगत सहवर्ती परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय यह महसूस करता है कि यह ऐसा उचित मामला है जिसमें आवेदक को जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए । इस मामले में अभियोग की प्रकृति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा अधिकथित किन्हीं अपवादों के भीतर नहीं आती । इस प्रकार, आवेदक अभियुक्त को विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, बिलासपुर, के समाधान

पर 1,00,000/- रुपए की रकम के साथ 1,00,000/- रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है । यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक अन्वेषण में पूरा सहयोग देगा, अभियोजन साक्ष्य से सांठ-गांठ नहीं करेगा, मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेषण, धमकी या वाद नहीं करेगा । जिससे कि न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों की परीक्षा करने से ऐसा करने से उसे मना करता हो; वह विचारण के दौरान स्वयं उपलब्ध रहेगा । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट को एच. एच. सी. वी. आई. जी. प्रकीर्ण निर्देश/9 3-iv-7139 तारीख 18 मार्च, 2013 द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निदेशों के पालन का निदेश दिया जाता है । (पैरा 14 और 15)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 1 एस. सी. सी. 40 : **संजय चन्द्र** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** ;	13
[2011]	(2011) 1 एस. सी. सी. 694 : **सिद्ध राम सतलिंगअप्पा मेहतरे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य** ;	12
[2010]	(2010) 14 एस. सी. सी. 496 : **प्रशान्त कुमार सरकार** बनाम **आशीष चटर्जी और एक अन्य** ;	12
[1980]	(1980) 2 एस. सी. सी. 565 : **गुरूबक्शा सिंह सिब्बा** बनाम **पंजाब राज्य** ;	12
[1978]	(1978) 1 एस. सी. सी. 118 : **गुरचरण सिंह** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)** ।	11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 212.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के अधीन आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री टी. एस. चौहान

प्रत्यर्थी की ओर से श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा, अपर महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन यह आवेदन हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के सदर तहसील बरामाना के पुलिस थाने में तारीख 2 अक्तूबर, 2013 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दर्ज प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मामला संख्या 18 में इन्दर देव ग्राम पंचायत धनकौटी के तकनीकी सहायक द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूरी के लिए किया गया ।

2. यह प्रतीत होता है कि बिलासपुर के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना (संक्षेप में मनरेगा) के निधियों के उपयोग में कतिपय अनियमितताओं याचियों की बाबत बरामाना के पुलिस अधिकारी को एक लिखित शिकायत की गई इस रिपोर्ट के अनुसार, ओम्बड्स मैन द्वारा कुछ अधिनिर्णय पारित किए गए थे जिसमें मनरेगा के निधियों के दुरूपयोजन और दुरूपयोग की बाबत अभियुक्त की सह अपराधिता स्थापित की गई थी ।

3. परिवाद में यह मामला उपवर्णित है कि कुल अनुमोदित 7,16,100/- रुपए की रकम के विरुद्ध 1,75,000/- रुपए की रकम का कतई उपयोग नहीं किया गया और इस प्रकार, श्याम लाल के तत्कालीन प्रधान और सदा राम, तत्कालीन ग्राम पंचायत के सचिव के साथ याची द्वारा दुर्विनियोग किया गया था ।

4. अभियोजन का आगे यह पक्षकथन है कि कुल 5 मार्ग 'मनरेगा' के अधीन मंजूर किए गए थे और नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार, क्रम सं. 5 के मार्ग के अलावा, सभी मामलों में रकम का दुरूपयोजन, दुरूपयोग या यहां तक कि दुर्विनियोग किया गया था :–

क्रम सं.	मार्ग का नाम	अनुमोदित रकम (रुपए में)	खर्च रकम (रुपए में)	अपूर्ण रकम (रुपए में)
1.	खंडोज से चील घाट	1,37,900/-	99,946/-	37,000/-
2.	खंडोज से सोलाग	1,20,700/-	78,124/-	42,500/-

3.	खंडोज से स्लैपर (पार्ट-1 जमथल)	1,65,500/-	1,12,433/-	53,000/-
4.	खंडोज से जमथल (बरयाई से स्लैपर पार्ट-2)	1,42,500/-	57,764/-	85,000/-
5.	जमथल से कुपाऊ (पूर्ण रकम का उपयोग किया गया)			

5. इस पृष्ठभूमि में, विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने यह अनुरोध किया कि आवेदक को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता और उनके पक्ष में कोई उदारता नहीं दर्शाई जा सकती क्योंकि उन्होंने, रकम का दुरूपयोजन, दुरूपयोग या यहां तक कि रकम का दुर्विनियोग किया है जो अन्यथा आम जनता के लिए थी ।

6. दूसरी ओर, जमानत आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री टी. एस. चौहान का यह तर्क है कि इन परियोजनाओं से संबंधित संपूर्ण संदाय क्रास चैक के माध्यम से किए गए थे और यदि अनुमोदित रकम और क्रास चैक के माध्यम से संवितरित रकम की गणना की जाए तो यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि याची द्वारा किसी निधि या उसकी किसी भाग का दुर्विनियोग नहीं किया गया । उन्होंने आगे यह दलील दी कि मनरेगा के अधीन समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को नियोजित किए जाने की परीक्षा है और लिंग या आयु के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता । इन परियोजनाओं में महिलाएं और वृद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने काम किया था जो परियोजनाओं के निष्पादन से संबंधित अभिलेखों से प्रकट होता है । उन्होंने आगे यह दलील दी कि वस्तुतः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पश्चात् पी. डब्ल्यू. डी. के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण किया गया था जिसके आधार पर हानि का निर्धारण किया जा रहा है, अतः आवेदकों को अभियोजित करने के लिए इसका अवलंब नहीं लिया जा सकता । परियोजनाएं अर्थात् प्रश्नगत मार्गों को निरीक्षण के 2 वर्ष पूर्व पूरा किया गया था और वे कच्चे मार्ग थे इसलिए लोक निर्माण विभाग द्वारा इस प्रकार तैयार किए गए निर्धारणों को आवेदक को अभियोजित करने का

आधार नहीं बनाया जा सकता । प्रकृति की प्रचण्डता और अन्य कारक जिनके परिणामस्वरूप न केवल मार्गों की टूट-फूट हुई उन्हें भारी नुकसान पहुंचा, का निर्धारण 2 वर्षों के पश्चात् नहीं किया जा सकता ।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अभिलेखों का परिशीलन किया ।

8. इस प्रक्रम पर, हमारे लिए मामले के संबद्ध गुणागुण को विस्तार से निर्दिष्ट करना उचित नहीं होगा । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत कार्यवाहियां "मनरेगा" के अधीन गठित (ओम्बड्स मैन द्वारा पारित) कतिपय अधिनिर्णयों के कारण आरंभ हुए हैं । ओम्बड्स मैन ने निधियों के उपयोग में कतिपय विसंगतियां और अनियमितताएं पाईं और वस्तुतः यह मत व्यक्त किया कि कार्यक्रम अधिकारी और सह-खण्ड विकास अधिकारी, सदर विभिन्न स्कीमों के अधीन निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के उत्तरदायित्वों का पालन करने में बुरी तरह से असफल रहे । अभिलेख से आगे यह प्रकट होता है कि अनियमितताओं के विभिन्न अभिकथन किए गए जो अन्यथा इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की विषयवस्तु नहीं है ।

9. आवेदक का यह विनिर्दिष्ट पक्षकथन है कि उसने क्रास चैकों के द्वारा संबद्ध कर्मकारों को संदाय किए और वस्तुतः इन कर्मकारों की ओर से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी कि उन्हें उस काम का संदाय प्राप्त नहीं हुआ जो उन्होंने किया । इन कार्यों का निरीक्षण किया गया और मापा गया और उससे संबंधित अभिलेखों को सम्यक् रूप से अनुरक्षित किया गया । 50% से अधिक कर्मकार महिलाएं और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति थे, अतः, इन कर्मकारों द्वारा किए गए कार्यों की तुलना लोक निर्माण विभाग या कारखानों में नियोजित नवयुवक मजदूरों द्वारा सामान्यतः किए गए कार्य से नहीं की जा सकती । आगे यह तर्क किया गया है कि आवेदक ने अन्वेषण में भाग लिया और उसके पास उपलब्ध सम्पूर्ण अभिलेख को पुलिस तथा संबद्ध प्राधिकारी को सौंपा । फिर भी, धनकौटी ग्राम पंचायत के सदस्यों के अनुरोध पर आवेदक के विरुद्ध मिथ्या और निरर्थक मामला दर्ज किया गया । आवेदक का यह विनिर्दिष्ट कथन है कि "मनरेगा" स्कीम के अधीन धनकौटी के ग्राम पंचायत के सदस्य के मजदूर के रूप में नामांकित थे । ऐसे ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम सुरिन्दर कुमार, प्रेम लाल, निर्मला देवी, सपना देवी और सरोज कुमारी हैं । जहां

सुरिन्दर कुमार और सपना देवी ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए पानी की टंकी का निर्माण करवाया वहीं सरोज कुमारी ने एक बकरी शाला का निर्माण करवाया और ये व्यक्ति कोई कार्य किए बिना धन पाने के लिए "मनरेगा" स्कीम के अधीन अपने नामों को शामिल करने के लिए अभी भी जोर दे रहे थे । जब आवेदक द्वारा इस व्यवहार पर आपत्ति की गई तो उनके अनुरोध पर मिथ्या मामला दर्ज किया गया । आवेदक ने कार्य कार्ड धारक को कम दिए थे जबकि कार्य के आबंटन और निष्पादन के लिए आयु या लिंग का कोई मानदंड नहीं था ।

10. उसने संबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई दलीलों पर गहन और गंभीर विचार किया तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं का संपूर्ण परिशीलन किया ।

11. जमानत मंजूर करने से संबंधित विधि अब सुस्थिर है । काफी पहले वर्ष 1978 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गुरचरण सिंह** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)**[1] वाले मामले में जमानत मंजूर करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अधिकथित किया :–

> "22. अन्य अजमानतीय मामलों में, न्यायालय न्यायिक विवेक का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 की उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, यदि वह उसके अधीन कार्रवाई करना आवश्यक समझे, जमानत मंजूर करने के पक्ष में करेगा । जब तक न्यायालय की जानकारी में ऐसी कोई आपवादिक परिस्थितियां न लाई जाएं जो उचित अन्वेषण और उचित विचारण को विफल कर सकती है, न्यायालय उस व्यक्ति का जमानत मंजूर करने से इनकार नहीं करेगा जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का अभियुक्त न हो । यह भी स्पष्ट है कि जब किसी अभियुक्त को उसके विरुद्ध मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध के अभिकथन के साथ मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तो मामूली तौर पर उस मामले में उसे जमानत देने से इनकार करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प प्राप्त नहीं होता है । तथापि, वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437(1) के प्रथम परन्तुक के अधीन ही ऐसा कर सकता है और ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट सामग्री के आधार

---

[1] (1978) 1 एस. सी. सी. 118.

पर यह उचित विश्वास रखता हो कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं था, वह जमानत दे सकेगा । तथापि, यह एक असाधारण अवसर होता है जब आरंभिक गिरफ्तारी के प्रक्रम पर उस व्यक्ति पर ऐसे अपराध के अभियोग या अपराध किए जाने के ठोस संदेह की कुछ सामग्री हो ।

24. दूसरी ओर, नई संहिता की धारा 439(1) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को जमानत की बाबत विशेष शक्तियां प्रदत्त करती है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(1) के विपरीत धारा 439(1) के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों को उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़े जाने की बाबत कोई वर्जन अधिरोपित नहीं किया गया है । तथापि, यह धारणा करना विधिसम्मत है कि कोई अभियुक्त उच्च न्यायालय या सेशन न्यायलाय के समक्ष केवल तभी जाएगा जब कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष असफल रहा हो और अभियुक्त को अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य तथा परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए अन्वेषण अग्रसर हो चुका है । ऐसा होने पर भी, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को नई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(1) के अधीन जमानत मंजूर करने के प्रश्न पर विचार करते समय अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना होगा । जमानत मंजूर करते समय अध्यारोही बातें जिनका कि हमने इससे पूर्व उल्लेख किया है और जो नई संहिता की धारा 437(1) और 439(1) दोनों में ही समान हैं, इस प्रकार है – उन परिस्थितियों की प्रकृति और उनकी गम्भीरता जिसमें अपराध किया गया है; आहत व्यक्ति और उसके साक्षियों के संदर्भ में अभियुक्त की स्थिति तथा हैसियत, अभियुक्त से न्याय की पहुंच से भाग जाने की संभावना अपराध को दोहराने की संभावना मामले में संभाव्य दोषसिद्धि के निकट भविष्य का सामना करने पर अपने ही जीवन को खतरे में डालने और साक्षियों को तोड़ने की सम्भावना मामले तथा साथ ही उसके अन्वेषण का इतिहास और ऐसे अन्य सुसंगत आधार जिन्हें विभिन्न मूल्यवान कारकों की दृष्टि से विस्तृत रूप से उपवर्णित नहीं किया जा सकता है ।"

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रशान्त कुमार सरकार** बनाम

आशीष चटर्जी और एक अन्य[1] वाले मामले में जमानत की अर्जी का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित अधिकथित सिद्धांतों पर ध्यान देने के लिए कहा :–

> "(i) क्या यह विश्वास करने का कोई प्रथमदृष्ट्या या युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया ;
>
> (ii) अभियोग की प्रकृति और गुरुता ;
>
> (iii) दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की कठोरता ;
>
> (iv) अभियुक्त के फरार हो जाने या भाग जाने का खतरा यदि उसे जमानत पर छोड़ा जाए ;
>
> (v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, जीविकोपार्जन, स्थिति और उसकी प्रतिष्ठता ;
>
> (vi) अपराध के दोहराए जाने की संभावना ;
>
> (vii) साक्षियों को प्रभावित किए जाने की युक्तियुक्त आशंका ;
>
> (viii) जमानत मंजूर करने से न्याय विफल होने का खतरा ।

इसके पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सिद्ध राम सतलिंगअप्पा मेहतरे** बनाम **महराष्ट्र राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में अपने विस्तृत निर्णय में **गुरूबक्शा सिंह सिब्बा** बनाम **पंजाब राज्य**[3] वाले मामले में संविधान न्यायपीठ द्वारा दिए गए विनिश्चय का अवलंब लेते हुए जमानत मंजूर करने के लिए निम्नलिखित पैरामीटर अधिकथित किया :–

> "111. अग्रिम जमानत मंजूर करने या इनकार करने के लिए कोई अनन्य मार्गदर्शक सिद्धांतों या कठोर फार्मूला नहीं बनाया जा सकता । स्पष्टतः हमारा यह मत है कि इस बाबत कठोर और अनन्य मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि भविष्य की सभी परिस्थितियों का अवलोकन अग्रिम जमानत मंजूर करने या इनकार करने के लिए स्पष्टतः नहीं किया जा

---

[1] (2010) 14 एस. सी. सी. 496.

[2] (2011) 1 एस. सी. सी. 694.

[3] (1980) 2 एस. सी. सी. 565.

सकता । विधायी आशय के अनुरूप अग्रिम जमानत मंजूर करना या इनकार करना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होता है । **सीबिया** (पूर्वोक्त) वाले मामले में संविधान न्यायपीठ विनिश्चय में ठीक ही यह मत व्यक्त किया गया था कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालयों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए अपने लंबे प्रशिक्षण और अनुभव से प्राप्त करता है अपने स्वविवेक का प्रयोग विवेक सम्मत और सावधानीपूर्वक करने के योग्य हैं । यह विधायी अधिदेश है जिसे हम किसी भी दशा में सम्मान करने और मानने के लिए बाध्य हैं ।

112. अग्रिम जमानत पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों और पैरामीटरों पर विचार किया जा सकता है –

(i) अभियोग की प्रकृति और गुरुता तथा गिरफ्तारी किए जाने के पूर्व अभियुक्त की सरीक भूमिका पर उचित विचार किया जाना चाहिए ।

(ii) इस तथ्य के साथ कि क्या पहले किसी संज्ञेय अपराध की बाबत किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास भुगता है, आवेदक का पूर्व-वृत्त ।

(iii) न्याय से भाग जाने की आवेदक की संभावना ।

(iv) अभियुक्त की समान या अन्य अपराध दोहराने की संभावना ।

(v) अभियोग उसे गिरफ्तार कर आवेदन करने या अवमानित करने के उद्देश्य से ही लगाए गए हैं ।

(vi) अग्रिम जमानत मंजूर करने विशेषकर अधिकांश लोगों को प्रभावित करने वाले व्यापक महत्व के मामलों का प्रभाव ।

(vii) न्यायालयों को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का मूल्यांकन बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए । न्यायालय को मामले में अभियुक्त की सटीक भूमिका का भी

स्पष्ट मूल्यांकन करना चाहिए । ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 और 149 की सहायता से फंसाया गया हो, न्यायालय को बड़ी सर्तकता और सावधानी से विचार करना चाहिए क्योंकि मामलों में फंसाए जाने की संभावना आम चिंता का विषय है ।

(viii) अग्रिम जमानत मंजूर करने के अनुरोध पर विचार करते हुए, दो कारकों के बीच संतुलन होना चाहिए अर्थात् स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण अन्वेषण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और अभियुक्त का प्रपीड़न, अपमान और अन्यायोचित्य निरोध का निवारण होना चाहिए ।

(ix) न्यायालय को साक्षी से सांठ-गांठ या परिवादी को धमकी देने की आशंका पर युक्तियुक्त रूप से विचार करना चाहिए ।

(x) अभियोजन की निरर्थकता पर भी हमेशा विचार करना चाहिए और यह यथार्थता का ही तत्व है जिसे जमानत मंजूर करने के मामले में विचार करना चाहिए और अभियोजन की यथार्थता के बारे में संदेह होने की दशा में घटनाओं के मामूली अनुक्रम में अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है ।

113. गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए और यह उन आपवादिक मामलों तक निर्बंधित होनी चाहिए जहां अभियुक्त की गिरफ्तारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनिवार्य हो । न्यायालय को संपूर्ण उपलब्ध अभिलेख की सामग्री की सावधानीपूर्वक परीक्षा करनी चाहिए विशेषकर ऐसे अभिकथन जो अभियुक्त द्वारा प्रत्यक्षतः किए गए बताए गए हों और इन अभिकथनों की पुष्टि अभिलेख की अन्य सामग्री और परिस्थितियों से की गई हों ।

114. यह कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर अग्रिम जमानत आवेदनों को विनिश्चित करते समय विचार किया जाना चाहिए । यह कारक निश्चित ही व्यापक हैं किंतु यह निदर्शी प्रकृति के हैं क्योंकि ऐसी सभी स्थितियों और परिस्थितियों का स्पष्टतया सजीव कल्पना करना कठिन है जिसमें कोई व्यक्ति अग्रिम जमानत का अनुरोध कर सके । यदि अभिलेख की समग्र सामग्री पर विचार करने के पश्चात् संबद्ध

न्यायाधीश द्वारा विवेक सम्मत स्वविवेक का प्रयोग किया जाता है तो जमानत मंजूर करने या इनकार करने के पक्ष के अधिकांश शिकायतों पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा । विधान-मण्डल ने अपनी बुद्धिमत्ता से वरिष्ठतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ही इस अधिकारिता की शक्ति सौंपी है । विधायी आशय के अनुरूप इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि स्वविवेक का उचित प्रयोग किया जाए । किसी भी दशा में सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय में आवेदन करने का विकल्प हमेशा उपलब्ध है ।"

13. जहां तक आर्थिक अपराधों का संबंध है **संजय चन्द्र** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उस पर विस्तार से विचार किया गया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 21, 22, 23, 24, 39 और 40 में निम्नलिखित सुसंगता व्यक्त की :–

"21. सामान्यतः, जमानत आवेदनों में पहले से यह अधिकथित किया जाता रहा है कि जमानत का उद्देश्य जमानत के युक्तियुक्त रकम द्वारा उसके विचारण के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुरक्षित करना है । जमानत का उद्देश्य न तो दण्डात्मक है न ही निवारणात्मक स्वतंत्रता के वचन को तब तक दण्ड समझा जाना चाहिए जब तक यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित न हो कि अभियुक्त व्यक्ति अपने विचारण के समय खड़ा रहेगा जब पुकारा जाएगा । न्यायालयों को इस सिद्धांत कि दण्ड दोषसिद्धि के पश्चात् आरंभ होता है की बाबत मौखिक सम्मान से अधिक ऋणी होगा और यह कि प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष समझा जाता है । जब तक सम्यक् रूप से विचार नहीं किया जाता और सम्यक् रूप से दोषी नहीं पाया जाता ।

22. पूर्व समय से ही यह समझा जाता रहा है कि विचारण के पूरा होने तक अभिरक्षा में निरोध अधिक विपत्ति का कारण हो सकता है । समय-समय पर आवश्यकता की यह मांग है कि कुछ अदोषसिद्ध व्यक्तियों को विचारण के समय उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विचारण के लंबित रहने के दौरान अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए किंतु ऐसे मामलों में, "आवश्यकता" एक प्रक्रियात्मक कसौटी है । इस

[1] (2012) 1 एस. सी. सी. 40.

देश में, संविधान में अनुष्ठापित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा के बिल्कुल प्रतिकूल होगा कि व्यक्ति को किसी मामले की बाबत दंडित किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे दोषसिद्ध नहीं किया गया है या यह कि किन्हीं परिस्थितियों में उसे इस विश्वास पर उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाना चाहिए कि सर्वाधिक असाधारण परिस्थितियों के सिवाय है । वह साक्षियों से सांठ-गांठ करेगा यदि उसे उन्मुक्त छोड़ दिया जाए ।

23. जमानत की इनकारी का उद्देश्य निवारण के प्रश्न के अलावा किसी भी व्यक्ति को इस तथ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि दोषसिद्धि के पहले किसी कारावास का सारतः दण्डात्मक पुट है और किसी न्यायालय के लिए पूर्व आचरण की अस्वीकृति के संकेत के रूप में जमानत से इनकार करना अनुचित होगा कि क्या अभियुक्त को इसके लिए दोषसिद्ध किया गया है या नहीं या दोषसिद्ध रहित व्यक्ति को पाठ सिखाने के रूप से उसे कारावास का स्वाद चखाने के प्रयोजन के लिए जमानत से इनकार किया गया था ।

24. इस मामले में हमने पहले ही यह ध्यान दिया है कि अपीलार्थियों के विरुद्ध "अभियोग के लिए संकेत करना" आरोप की गंभीरता है । अभिकथित अपराध आर्थिक अपराध जिसके परिणामस्वरूप राज कोष की हानि हुई । यद्यपि उन लोगों ने यह दलील दी कि अपीलार्थियों द्वारा साक्षियों के सांठ-गांठ करने की संभावना है किंतु उन लोगों ने अभिकथन के समर्थन में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की । हमारे मतानुसार निःसंदेह आरोप की गंभीरता जमानत आवेदनों पर विचार करते समय एक सुसंगत कारक है किंतु केवल यही एकमात्र कसौटी या कारक नहीं है । अन्य कारक जिन पर विचार करने की अपेक्षा है, ऐसा दण्ड है जिसे भारतीय दण्ड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दोनों के अधीन विचारण और दोषसिद्धि के पश्चात् अधिरोपित किया जा सकता है । यदि पहले वाला केवल कसौटी है तो हम संवैधानिक अधिकारों को संतुलन नहीं कर रहे हैं बल्कि न्याय के मानदण्ड की अवज्ञा कर रहे हैं ।

39. वर्तमान मामले के तथ्यों पर फिर से विचार करते हुए दोनों न्यायालयों ने दो आधारों पर जमानत की मंजूरी के अनुरोध को

अस्वीकार किया : प्राथमिक आधार यह है कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभिकथित अपराध बहुत गंभीर हैं जिसमें ऐसी गहरी योजना है जिससे राज्य कोष की भारी वित्तीय हानि कारित होती है । दूसरा आधार यह है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा साक्षियों से सांठ-गांठ करने की संभावना है । इस मामले में आरोप छल और संपत्ति को बेईमानी पूर्ण ढंग से परिदान का कूटरचित दस्तावेज़ के असली के रूप में प्रयोग कर छल करने के प्रयोजन के लिए की गई कूट रचना है । अपराध का दंड ऐसी अवधि का दंड है जिसे बढ़ाकर 7 वर्ष तक किया जा सकता है । निस्संदेह यह सही है कि आरोप की प्रकृति सुसंगत हो सकती है किंतु वहीं ऐसा दण्ड जिसके लिए पक्षकार दायी हो सकता है, यदि दोषसिद्ध हो, मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । अतः यह अवधारित करते समय कि क्या जमानत मंजूर की जाए, आरोप की गंभीरता और दण्ड की कठोरता दोनों पर विचार किया जाना चाहिए ।

40. जमानत मंजूर करना या इनकार करना न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है । मंजूर करना या इनकार करना काफी हद तक प्रत्येक विशिष्ट मामले के तथ्यों पर परिस्थितियों द्वारा विनियमित होता है । किंतु वहीं, अभियुक्त विरुद्ध समुदाय के भावना के कारण मात्र संवचित नहीं किया जाना चाहिए । आपराधिक मामलों में जमानत का प्राथमिक प्रयोजन करने से अभियुक्त को मुक्त करना, विचारण के लंबित रहने के दौरान राज्य को उसे रखने के भार से मुक्त करना और वहीं न्यायालय की अभिरक्षा में चाहे दोषसिद्धि के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए रखना कि वह न्यायालय की अधिकारिता के दौरान उपस्थित होगा और जब कभी उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो वह उपस्थित रहेगा ।

14. मामले के सम्पूर्ण मत पर विचार करते हुए, मैं निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यद्यपि याची और दो अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं किंतु फिर भी यह ऐसा मामला नहीं है जहां आवेदक के पास प्रस्तुत करने की कोई प्रतिरक्षा न हो । क्या ऐसे बचाव सही, विधिमान्य या अभियोग के प्रतिरक्षी हैं जिन पर विचारण न्यायालय द्वारा मामले पर विचार किए जाने हेतु अपेक्षा है । अभियोग की प्रकृति पूर्णतया ऐसे साक्ष्य पर आधारित है जो पहले ही अभियोजन के पास उपलब्ध है । आवेदक

हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी है और समाज में उसकी गहरी पकड़ है इसलिए न्याय से भाग जाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है । अतः इस प्रक्रम पर अभियोग की प्रकृति और सुसंगत सहवर्ती परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् मैं यह महसूस करता हूं कि यह ऐसा उचित मामला है जिसमें आवेदक को जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए । इस मामले में अभियोग की प्रकृति माननीय उच्चतम न्यायालय (पूर्वोक्त) द्वारा यथा अधिकथित किन्हीं अपवादों के भीतर नहीं आती ।

15. इस प्रकार, आवेदक अभियुक्त को विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, बिलासपुर, के समाधान पर 1,00,000/- रुपए के रकम की प्रतिभू के साथ 1,00,000/- रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है । यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक अन्वेषण में पूरा सहयोग देगा, अभियोजन साक्ष्य से सांठ-गांठ नहीं करेगा, मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेषण, धमकी या वाद नहीं करेगा । जिससे कि न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों की परीक्षा करने से ऐसा करने से उसे मना करता हो; वह विचारण के दौरान स्वयं उपलब्ध रहेगा । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट को एच. एच. सी. वी. आई. जी. प्रकीर्ण निर्देश/9 3-iv-7139 तारीख 18 मार्च, 2013 द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निदेशों के पालन का निदेश दिया जाता है ।

16. अंत में, यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां उपरोक्त व्यक्त की गई मताभिव्यक्ति को मामले के गुण-दोष पर व्यक्त किया गया मत नहीं समझा जाएगा और किसी भी प्रकार किसी भी प्रयोजन के लिए विचारण या पश्चात्वर्ती किसी प्रक्रम पर विचार में नहीं लिया जाएगा । विचारण न्यायालय मामले का विनिश्चय उसमें उपरोक्त व्यक्त किसी मत द्वारा प्रभावित हुए बिना करेगा ।

आवेदन का निपटान किया गया ।

पां.

कुलदीप सिंह

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 27 मार्च, 2014

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) – धारा 7 और 13(2) – रिश्वत की मांग – जहां अभियुक्त पर दाखिल-खारिज करने के लिए रिश्वत धन की मांग करने तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने का अभियोग हो किंतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रमुख साक्षियों के कथन काफी विरोधात्मक, असंगत और अतिश्योक्तिपूर्ण है तथा अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहता है वहां अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 28 नवंबर, 2008 को खेम राम, निवासी माझौल, पोस्ट आफिस नया ग्राम, तहसील कौशाली, पुलिस थाना परवानों, जिला सोलन से एक दूरभाष संदेश प्राप्त हुआ था कि अभियुक्त दाखिल-खारिज करने के लिए उससे पैसों की रिश्वत मांग रहा है । उसके पश्चात् पुलिस दल का मुखिया निरीक्षक अनिल धौल्टा, ग्राम खुरादी घटनास्थल पर गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन खेम राम का कथन अभिलिखित किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित शिकायतकर्ता की कथन में किए गए प्रकथन के अनुसार कि तारीख 22 नवंबर, 2008 को वह पतवार सर्किल, तादौल पर गया था और उसे यह पता चला कि खसरा सं. 91/1 जिसकी नाप 15 बिस्वा है और जो भूमि पतवार सर्किल के अंतर्गत आती है । अभियुक्त जो पटवारी के पद पर कार्य कर रहा था, ने उससे कहा कि संपदा का दाखिल-खारिज को निगमित क्यों न करा लिया जाना चाहिए और तब अतिरिक्त समय बीत गया था । अभियुक्त ने दाखिल-खारिज करने के लिए 4,000/- रुपए की राशि की मांग की थी । तथापि, शिकायतकर्ता ने उक्त रकम को देने में अपनी असमर्थता जताई थी । शिकायतकर्ता ने अभियुक्त को अपने पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र दिया

था । वह तारीख 25 नवंबर, 2008 को पतवार सर्किल, तादौल पर नहीं गया क्योंकि वह पैसों की व्यवस्था नहीं कर सका । तारीख 26 नवंबर, 2008 को शिकायतकर्ता ने अभियुक्त को दूरभाष से काल की थी जिसने उससे यह कहा था कि वह काम कराने के लिए 4,000/- रुपए सहित तारीख 28 नवंबर, 2008 को पहुंचे । रुक्का के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई थी । सतर्कता कार्मिक ने शिकायतकर्ता के लिए पूर्व जाल बिछाया । सतर्कता कार्मिक ने जाल बिछाने से पूर्व करेंसी नोटों की संख्या को लिखा जो संख्या में चार थे जिन्हें शिकायतकर्ता द्वारा 1,000/- रुपए के नोट में अलग-अलग पेश किया गया था । करेंसी नोट पर फेनोलपैथोलीन पाउडर लगाया गया था । करेंसी नोट शिकायतकर्ता को इस निदेश के साथ सौंपे गए थे कि वह उन्हें अपनी जेब में वैसे ही रख दे और इसके पश्चात् मांगे जाने पर पटवारी को उक्त करेंसी नोट सौंप दे । छिपा हुआ साक्षी को यह निदेश दिया गया था कि करेंसी नोटों को सौंपने के पश्चात् वह संकेत दे । शिकायतकर्ता छुपे साक्षी के साथ अभियुक्त के पास गया और संकेत मिलने के पश्चात् सतर्कता कार्मिक भी अभियुक्त के साथ गया । अभियुक्त को पकड़ लिया गया और उसके हाथों को धोया गया । तथापि, उसके धोए हुए हाथ का रंग बदला नहीं । वह तटस्थ रहा । सोडियम कार्बोनेट का घोल एक अलग गिलास में तैयार किया गया था जब इसे हाथ धोने के घोल मिलाया गया इसका रंग गुलाबी हो गया । उसे एक छोटी सी बोतल में रखा गया था तथा अभिग्रहण ज्ञापन के माध्यम से इसे कब्जे में लिया गया था । अभियुक्त ने अपनी पैंट की जेब से 4,000/- रुपए के करेंसी नोट पेश किए । करेंसी नोटों की संख्याओं से मिलान की गई जिनकी संख्या पहले से ही लिखी गई थी । अभियुक्त के पैंट की जेब भी धोई गई थी और उसी रीति में उसके हाथ भी धोए गए थे । अभियुक्त ने एक दाखिल-खारिज रजिस्ट्रर भी पेश किया जिसमें तारीख 24 नवंबर, 2008 को खेम राम की संपदा का दाखिल-खारिज अन्य निगमित पाया गया था । नमूने राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे । रिपोर्ट के अनुसार फेनोलपैथोलीन और सोडियम कार्बोनेट के अवशेष का पता लगा था । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध अनुमति भी प्राप्त की थी । अन्वेषण पूरा किया गया और सारी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् न्यायालय में चालान फाइल किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 15 साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त की दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई थी । उसके अनुसार उसने शिकायतकर्ता को फटकार लगाई थी और उसे मामले में मिथ्या फंसाया गया था । उसके अनुसार न तो उसने किसी पैसे की रिश्वत की मांग की थी और न उसने इस बात को स्वीकार किया है । अभियुक्त ने अपने प्रतिरक्षा में दो साक्षियों को भी पेश किया । विचारण न्यायालय ने तारीख 27 सितंबर, 2011 को निर्णय पारित करके अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जैसाकि इसमें ऊपर कथित है । अभियुक्त ने उपरोक्त निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता खेम राम अपने पिता की मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ दाखिल खारिज के साक्ष्यांकन के लिए 22 नवंबर, 2008 को अभियुक्त के कार्यालय पर गया था । अभियुक्त ने दाखिल खारिज की प्रविष्टि कराने के लिए 4,000/- रुपए के रकम की मांग की थी । अभियुक्त ने उससे तारीख 25 नवंबर, 2008 को आने के लिए कहा था । शिकायतकर्ता अभियुक्त के पास नहीं गया क्योंकि वह पैसे की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं था । उसने तारीख 26 नवंबर, 2008 को अभियुक्त को दूरभाष से काल किया था जिसने उससे कहा कि वह 4,000/- रुपए की रकम के साथ 28 नवंबर, 2008 को पहुंचे । शिकायतकर्ता ने अभियुक्त द्वारा मांगी गई रिश्वत की रकम के बारे में सतर्कता पुलिस को दूरभाष से सूचना दी थी । उसके कथन के माध्यम से अभिलिखित किया गया था जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । खेम राम ने मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने दाखिल खारिज की प्रविष्टि करवाने के लिए उससे 4,000/- रुपए की राशि की मांग की थी । अभियुक्त ने उसे बताया कि तहसीलदार तारीख 25 नवंबर, 2008 को आएगा और दाखिल खारिज का साक्ष्यांकन करेगा । तथापि, खेम राम तारीख 25 नवंबर, 2008 को पतवारखाना नहीं जा सका । वह पतवारखाना पर तारीख 28 नवंबर, 2008 को गया था । उसने सतर्कता कार्मिक को वहां पर नहीं पाया था । जब वह वापस लौटा तब उसने वाहन में सतर्कता कार्मिक को आते हुए देखा । वह ग्राम खुरादी पर प्रेम दत्त के मकान के नजदीक गया जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया था । वह पैदल पतवारखाना पर गया था और अन्य व्यक्ति वाहन में गए थे । उसने अभियुक्त से यह पूछा कि उसने उसका कार्य कर दिया है या नहीं ।

अभियुक्त ने उसे तारीख 24 नवंबर, 2008 को रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां दिखाई थीं और उससे 4,000/- रुपए ले लिए थे । उसने लक्ष्मी दत्त को संकेत दिया जिसने सतर्कता कार्मिक को संकेत भेजा था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह भी साक्ष्य दिया कि वह 10.00 बजे या 11.00 बजे पूर्वाह्न के बीच पतवारखाना पर पहुंचा था । उसने पुनः यह अभिसाक्ष्य दिया कि हो सकता है कि उस वक्त का समय 11.30 बजे पूर्वाह्न हो । वह पहले 9.30 बजे पूर्वाह्न पतवारखाना पर गया था । निरीक्षक अनिल धौल्टा ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वे लगभग 12.00 बजे दोपहर ग्राम खुरादी पर पहुंचे थे । उसके साथ ग्राम खुरादी के लक्ष्मी दत्त और प्रेम दत्त थे । खेम राम प्रेम दत्त और लक्ष्मी दत्त एक-दूसरे के निकट नातेदार हैं । खेम राम ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह पतवारखाना पर गया तब सतर्कता दल भी तत्काल वहां पहुंच चुका था । तथापि, प्रेम दत्त के अनुसार खेम राम पैदल गया था और अन्य व्यक्ति पतवारखाना पर वाहन में गए थे । खेम राम पतवारखाना के अंदर गया था और लक्ष्मी दत्त पतवारखाना के बाहर खड़ा था । जब खेम राम ने लक्ष्मी दत्त को संकेत दिया तब उसने उन्हें उस संकेत को भेज दिया और वे सभी पतवारखाना के अंदर चले गए । लक्ष्मी दत्त ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि खेम राम जो उसका भाई था पतवारखाना पर गया और वह पतवारखाना के बाहर खड़ा रहा । कुछ समय के पश्चात् खेम राम ने उसे संकेत दिया और कार्मिक ने सतर्कता कार्मिक को संकेत भेज दिया । निरीक्षक अनिल धौल्टा ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वे पूर्व जाल प्रदर्शन के पश्चात् पतवारखाना की ओर अग्रसर हुए और छाया साक्षी से संकेत प्राप्त करके वे पतवारखाना में प्रविष्ट हुए । खेम राम, प्रेम दत्त, लक्ष्मी दत्त और निरीक्षक अनिल धौल्टा के कथनों में सतर्कता कार्मिक के पतवारखाना पर पहुंचने के बारे में विचलन है । खेम राम के कथन में जो कुछ प्रकट हुआ है उस पर यह स्वीकार किया गया है कि जब वह पहली बार अभियुक्त के पास गया तब उसने उसे यह फटकार लगाई कि उसके पिता की मृत्यु के 15 दिन के भीतर दाखिल खारिज का साक्ष्यांकन प्राप्त नहीं किया जा सकता । टेक राम, फील्ड कानूनगो, कौशाली ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दाखिल खारिज सं. 228 की अभियुक्त द्वारा प्रविष्टि की गई थी । अभियुक्त ने पहले ही तारीख 24 नवंबर, 2008 को दाखिल खारिज सं. 228 की प्रविष्टि कर दी थी । प्रतिरक्षा साक्षी 1 कश्मीर सिंह ने तारीख 24 नवंबर, 2008 को अभिलेख पर रोजनामचा रपट सं. 99 की प्रति साबित की है ।

इसमें तारीख 25 नवंबर, 2005 को रोजनामचा वकायती में प्रविष्टि सं. 103 अभिलेख पर भी साबित की है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख जिसके द्वारा तहसीलदार ने तारीख 25 नवंबर, 2008 को दाखिल खारिज के साक्ष्यांकन करने के लिए गया हुआ था । टेक राम ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तहसीलदार तारीख 25 नवंबर, 2008 को पतवार सर्किल पर गया था और कुछ व्यक्तियों के दाखिल खारिज का साक्ष्यांकन किया जो घटनास्थल पर मौजूद थे । तहसीलदार ने दाखिल खारिज प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एफ, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/जी, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एच, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/जे, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क तथा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एल का साक्ष्यांकन किया । खेम राम तारीख 25 नवंबर, 2008 को घटनास्थल पर नहीं गया था । यदि वह तारीख 25 नवंबर, 2008 को घटनास्थल पर पहुंचता तो तहसीलदार उसके दाखिल खारिज का भी निश्चित रूप से साक्ष्यांकन करता । अभियुक्त ने केवल उस दाखिल खारिज की प्रविष्टि की थी जिसे वह तारीख 24 नवंबर, 2008 को पहले ही कर चुका था । साक्ष्यांकन कार्य तहसीलदार द्वारा किया जाना था चूंकि खेम राम तारीख 25 नवंबर, 2008 को मौजूद नहीं था, इसलिए तहसीलदार द्वारा उसके दाखिल खारिज को साक्ष्यांकित नहीं किया जा सका । इस प्रकार अभियुक्त के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वह तारीख 28 नवंबर, 2008 को पैसे के लिए कहता जैसाकि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार है । खेम राम और लक्ष्मी दत्त के कथनों में यह प्रकट हुआ है कि कई व्यक्ति पतवारखाना पर मौजूद थे । तथापि, उनमें से किसी व्यक्ति को कार्यवाहियों के दौरान सहबद्ध नहीं किया गया था । अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि लक्ष्मी दत्त कैसे 8.00 बजे पूर्वाह्न प्रेम दत्त के मकान पर पहुंचा । खेम राम इस बात से आश्वस्त नहीं था कि क्या वह दाखिल खारिज का साक्ष्यांकन करवाने के लिए प्रथम बार तारीख 22 या 24 नवंबर, 2011 को अभियुक्त के पास गया था । खेम राम के अनुसार उसने तारीख 26 नवंबर, 2008 को अभियुक्त से दूरभाष पर बात की थी, निरीक्षक अनिल धौल्टा ने शिकायतकर्ता के काल के ब्यौरे एकत्रित नहीं किए । खेम राम ने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त ने अपनी पैंट की जेब से पैसे निकाले थे और मेज पर उन्हें फेंक दिया था । उसके अनुसार अभियुक्त ने सतर्कता कार्मिक को पैसे दिए थे । तथापि, प्रेम दत्त ने अपनी प्रतिपरीक्षा में जिस पर अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा चर्चा की गई यह स्वीकार

किया है कि अभियुक्त ने अपनी जेब से करेंसी नोटों को निकाला था और मेज पर उन्हें फेंक दिया था । प्रेम दत्त शिकायतकर्ता का सगा साला है, उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार सतर्कता कार्मिक उसके मकान पर गया था जहां शिकायतकर्ता और उसका भाई लक्ष्मी दत्त भी मौजूद थे । पूर्व जाल प्रदर्शन आदि को वर्णित किया गया था । वह महत्वपूर्ण कड़ी थी । यद्यपि, प्रेम दत्त का कथन केवल इस कारण से त्यक्त नहीं किया जा सकता कि वह पक्षद्रोही साक्षी है, परंतु अभियोजन पक्षकथन में ऐसा खोट प्रकट है । उसके कथन पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए । अभियोजन के तात्विक साक्षियों के कथनों में कई बड़े विभेद, विसंगतियां बढ़ा-चढ़ाकर बातें कही गई हैं । विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के कथनों में बड़े विभेदों की अनदेखी की है । अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल हुआ है । (पैरा 24, 27, 29 और 33)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 382.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एच. एस. राना, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री नीरज के. शर्मा, उप-महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा – यह अपील 2009 के भ्रष्टाचार मामला सं. 3-एस./7 वाले मामले में विद्वान् विशेष न्यायाधीश, सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित किए गए तारीख 27 सितंबर, 2011 के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त (जिसमें इसके पश्चात् सुविधा के दृष्टिकोण से "अभियुक्त" कहा गया है) उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुविधा के दृष्टिकोण से "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7 और 13(2) के अधीन दोषसिद्ध किया गया और 10,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने के साथ एक वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर अधिनियम की धारा 7 के अधीन एक मास का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया और 10,000/- रुपए जुर्माने सहित एक वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन एक मास का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।

दोनों दंडादेश साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 28 नवंबर, 2008 को अभि. सा. 1 खेम राम, निवासी माझौल, पोस्ट आफिस नया ग्राम, तहसील कौशाली, पुलिस थाना परवानों, जिला सोलन से एक दूरभाष संदेश प्राप्त हुआ था कि अभियुक्त दाखिल खारिज करने के लिए उससे पैसों की रिश्वत मांग रहा है । उसके पश्चात पुलिस दल का मुखिया अभि. सा. 15 निरीक्षक अनिल धौल्टा, ग्राम खुरादी घटनास्थल पर गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन खेम राम (अभि. सा. 1) का कथन अभिलिखित किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित शिकायतकर्ता के कथन में किए गए प्रकथन के अनुसार कि तारीख 22 नवंबर, 2008 को वह पतवार सर्किल, तादौल पर गया था और उसे यह पता चला कि खसरा सं. 91/1 जिसकी नाप 15 बिस्वा है और जो भूमि पतवार सर्किल के अंतर्गत आती है । अभियुक्त जो पटवारी के पद पर कार्य कर रहा था, ने उससे कहा कि संपदा का दाखिल खारिज को निगमित क्यों न करा लिया जाना चाहिए और तब अतिरिक्त समय बीत गया था । अभियुक्त ने दाखिल करने के लिए 4,000/- रुपए की राशि की मांग की थी । तथापि, शिकायतकर्ता ने उक्त रकम को देने में अपनी असमर्थता जताई थी । शिकायतकर्ता ने अभियुक्त को अपने पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र दिया था । वह तारीख 25 नवंबर, 2008 को पतवार सर्किल, तादौल पर नहीं गया क्योंकि वह पैसों की व्यवस्था नहीं कर सका । तारीख 26 नवंबर, 2008 को शिकायतकर्ता ने अभियुक्त को दूरभाष से काल की थी जिसने उससे यह कहा था कि वह काम कराने के लिए 4,000/- रुपए सहित तारीख 28 नवंबर, 2008 को पहुंचे । रुक्का के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज की गई थी । सतर्कता कार्मिक ने शिकायतकर्ता के लिए पूर्व जाल बिछाया । सतर्कता कार्मिक ने जाल बिछाने से पूर्व करेंसी नोटों की संख्या को लिखा जो संख्या में चार थे जिन्हें शिकायतकर्ता द्वारा 1,000/- रुपए के नोट में अलग-अलग पेश किया गया था । करेंसी नोट पर फेनोलपैथोलीन पाउडर लगाया गया था । करेंसी नोट शिकायतकर्ता को इस निदेश के साथ सौंपे गए थे कि वह उन्हें अपनी जेब में वैसे ही रख दे और इसके पश्चात् मांगे जाने पर पटवारी को उक्त करेंसी नोट सौंप दे । छिपा हुआ साक्षी को यह निदेश दिया गया था कि करेंसी नोटों को सौंपने के पश्चात् वह संकेत दे । शिकायतकर्ता छुपे साक्षी के साथ अभियुक्त के पास गया और संकेत मिलने के पश्चात् सतर्कता कार्मिक भी अभियुक्त के साथ गया । अभियुक्त को पकड़ लिया गया और उसके हाथों को धोया गया । तथापि, उसके धोए हुए हाथ का

रंग बदला नहीं । वह तटस्थ रहा । सोडियम कार्बोनेट का घोल एक अलग गिलास में तैयार किया गया था जब इसे हाथ धोने के घोल मिलाया गया इसका रंग गुलाबी हो गया । उसे एक छोटी सी बोतल में रखा गया था तथा अभिग्रहण ज्ञापन के माध्यम से इसे कब्जे में लिया गया था । अभियुक्त ने अपनी पैंट की जेब से 4,000/- रुपए के करेंसी नोट पेश किए । करेंसी नोटों की संख्याओं से मिलान की गई जिनकी संख्या पहले से ही लिखी गई थी । अभियुक्त के पैंट की जेब भी धोई गई थी और उसी रीति में उसके हाथ भी धोए गए थे । अभियुक्त ने एक दाखिल खारिज रजिस्टर भी पेश किया जिसमें तारीख 24 नवंबर, 2008 को खेम राम की संपदा का दाखिल खारिज अन्य निगमित पाया गया था । नमूने राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे । रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के अनुसार फेनोलपैथोलीन और सोडियम कार्बोनेट के अवशेष का पता लगा था । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध अनुमति भी प्राप्त की थी । अन्वेषण पूरा किया गया और सारी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् न्यायालय में चालान फाइल किया गया था ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 15 साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई थी । उसके अनुसार उसने शिकायतकर्ता को फटकार लगाई थी और उसे मामले में मिथ्या फंसाया गया था । उसके अनुसार न तो उसने किसी पैसे की रिश्वत की मांग की थी और न उसने इस बात को स्वीकार किया है । अभियुक्त ने अपने प्रतिरक्षा में दो साक्षियों को भी पेश किया । विचारण न्यायालय ने तारीख 27 सितंबर, 2011 को निर्णय पारित करके अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जैसाकि इसमें ऊपर कथित है ।

4. श्री एच. एस. राना, विद्वान् अधिवक्ता ने पुरजोर यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल हुआ है । उसके अनुसार, उसके मुवक्किल को मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है तब उसने यह दलील दी कि उसके मुवक्किल द्वारा तारीख 24 नवंबर, 2008 को पहले ही दाखिल खारिज की कार्यवाही कर दी थी । इस प्रकार, पैसे की रिश्वत की मांग का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है और उसके मुवक्किल द्वारा शिकायतकर्ता से पैसा स्वीकार करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता । उसके अनुसार अभियोजन साक्षियों के कथनों में तात्विक विभेद हैं । उसने यह भी दलील दी कि छाया साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था ।

5. श्री श्रवण डोगरा विद्वान् महाधिवक्ता ने तारीख 27 सितंबर, 2011 का आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है ।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना तथा अभिवचनों और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन भी किया ।

7. खेम राम (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 22 फरवरी, 2002 को उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और वह पतवार सर्किल, टाडौल पर गया । अभियुक्त पटवारी था । उसने मृत्यु प्रमाणपत्र पर विचार करने पर यह कहा कि मृत्यु के पश्चात् दाखिल खारिज 15 दिनों के भीतर साक्ष्यांकित किया जाना था और इसमें प्रचूर रूप से विलंब हुआ था । उसने उससे यह भी कहा है कि अत्यधिक विलंब शुल्क देने के पश्चात् विलंब पर माफी दी जा सकती है । अभियुक्त ने 4,000/- रुपए की मांग की थी । उसने अभियुक्त को यह बताया कि वह गरीब आदमी है । अभियुक्त ने उससे यह कहा कि तहसीलदार तारीख 25 नवंबर, 2008 को आएगा और दाखिल खारिज को साक्ष्यांकित करेगा । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि वह तारीख 25 नवंबर, 2008 को अभियुक्त के पास नहीं गया क्योंकि वह पैसों का इंतजाम नहीं कर सका । तारीख 26 नवंबर, 2008 को उसने अभियुक्त से दूरभाष पर संपर्क किया जिसने उससे कहा कि वह तारीख 28 नवंबर, 2008 को 4,000/- रुपए की राशि के साथ पहुंचे । तारीख 28 नवंबर, 2008 को उसने पैसों का प्रबंध किया । उसने सतर्कता कार्मिक को सूचित किया था । वह पतवारखाना गया । उसने वहां पर सतर्कता कार्मिक को नहीं पाया और वापस चला गया । तथापि, रास्ते पर उसने गाड़ी में आते हुए सतर्कता कार्मिक को देखा था । वह खुरादी पर प्रेम दत्त के मकान पर गया जहां सतर्कता कार्मिक पहुंचा था । उसने उसके कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क अभिलिखित किया था । इसके पश्चात् सतर्कता कार्मिक ने दो गिलासों में दो पृथक्-पृथक् पाउडर का घोल तैयार किया जो रंगहीन था । जब दोनों घोलों को मिलाया गया इसका रंग गुलाबी हो गया । निप में घोल को मोहरबंद किया गया और ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख के माध्यम से कब्जे में लिया गया । उसने अलग-अलग 1,000/- रुपए के चार करेंसी नोट पेश किए थे जिन पर पाउडर लगाया गया था और वापस उसे सौंप दिए गए थे और उसे यह अनुदेश दिया गया था कि वह अभियुक्त के साथ हाथ न मिलाए और मांग करने पर अभियुक्त को करेंसी नोट सौंपने के पश्चात् वह छाया साक्षी को संकेत देगा । पुलिस

ने ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग तैयार किया और पूर्व जाल बिछाने के प्रदर्शन पर और नोटों को तैयार करने के समय पर प्रेम दत्त और लक्ष्मी दत्त भी वहां पर मौजूद थे । वह पैदल पतवारखाना पर गया और अन्य व्यक्ति गाड़ी में गए थे । उसने अभियुक्त से यह पूछा कि क्या उसका कार्य हुआ या नहीं तो अभियुक्त ने उससे कहा कि वह पहले क्यों नहीं आया परंतु उसने उसका काम कर दिया था और उससे पैसे देने के लिए कहा । अभियुक्त ने उसे रजिस्टर दिखाया जहां उसने 24 नवंबर, 2008 को प्रविष्टि की थी और उससे 4,000/- रुपए ले लिए । उसने लक्ष्मी दत्त को संकेत दिया जिसने अन्य व्यक्तियों को संकेत दिया । सतर्कता कार्मिक पतवारखाना पर पहुंचा और अभियुक्त को कलाई से पकड़ लिया । अभियुक्त के हाथों को धोया गया और यह रंगहीन निकले । जब इसमें अन्य पाउडर का घोल मिलाया गया तो यह गुलाबी रंग में बदल गया । अभियुक्त के धोए हुए हाथों से निकले गए घोल को निप में मोहरबंद किया गया और उसे ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ के माध्यम से कब्जे में लिया गया । अभियुक्त ने अपनी पैंट की जेब से करेंसी नोटों को बाहर निकाला जो वही थे जिन्हें अभियुक्त द्वारा उससे प्राप्त किए गए थे । लिफाफे में करेंसी नोट को मोहरबंद किया गया था और उन्हें ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे । अभियुक्त की पैंट भी धोई गई थी और उसी रीति में उसके हाथ भी धोए गए थे । ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एफ इस प्रभाव से तैयार किया गया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 28 नवंबर, 2008 को जब वह पतवारखाना गया तो चार व्यक्ति वहां पहले ही मौजूद थे । वह पतवारखाना में 10.00 बजे पूर्वाह्न या 11.00 बजे पूर्वाह्न के बीच पहुंचा था या हो सकता है कि वह 11.30 बजे पूर्वाह्न वहां पहुंचा । इससे पूर्व वह 9.30 बजे पूर्वाह्न पतवारखाना गया था तब सतर्कता कार्मिक वहां पर नहीं पहुंचा था । पतवारखाना से लगभग 20 गज की दूरी पर बच्चन राम का आवासीय मकान था । उसे इस बारे में पता नहीं है कि बच्चन राम के पांच पुत्र थे जो अपने कुटुंब के साथ रहते थे । उन्हें कार्यवाही के दौरान नहीं बुलाया गया था । लक्ष्मी दत्त और प्रेम चंद उसका सगा भाई और साला था । ग्राम खुरादी पर 10-12 परिवार निवास करते थे जहां प्रेम दत्त भी निवास करता था । उसके अनुसार जब वह पतवारखाना पहुंचा सतर्कता दल उसी परिसर पर तुरंत पहुंच गया था । उसे यह स्मरण नहीं है कि क्या वह दाखिल खारिज करवाने के लिए प्रथम बार 22 या 24

नवंबर, 2011 को अभियुक्त के पास गया था । जब वह अभियुक्त के पास गया उसने यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि क्या उसने टेलीविजन नहीं देखा या सूचना पाने के लिए रेडियो नहीं सुना । सतर्कता कार्मिक लगभग 1-2 घंटे पतवारखाना में रहा । उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या तहसीलदार तारीख 25 नवंबर, 2008 को दाखिल खारिज के साक्ष्यांकन के लिए पतवार सर्किल गया था और व्यक्तियों के कुछ दाखिल खारिज को साक्ष्यांकित किया जो वहां पर मौजूद थे । वह अपने गांव के तीन व्यक्तियों से 4,000/- रुपए उधार के रूप में लाया था । एक व्यक्ति ने उसे 2,000/- रुपए दिए थे और दो व्यक्तियों ने अलग-अलग 1,000/- रुपए दिए थे । वह नहीं बता सकता कि क्या सतर्कता कार्मिक सरकारी वाहन में या प्राइवेट वाहन में पतवारखाना में आए थे । तथापि, वे पतवारखाना में किसी सूमो किस्म के वाहन में गए थे । ड्राइवर सहित वाहन में पांच व्यक्ति बैठे थे । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त ने अपनी पैंट की जेब से पैसे निकाले थे और मेज पर उन्हें फेंक दिया था ।

8. प्रेम दत्त (अभि. सा. 2) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है तारीख 28 नवंबर, 2008 को खेम राम पतवारखाना जाने के पश्चात् अपने मकान पर पहुंचा था । सतर्कता कार्मिक भी वहां पर पहुंचा था । खेम राम ने सतर्कता कार्मिक को यह बताया कि अभियुक्त उससे 4,000/- रुपए की मांग कर रहा है । खेम राम का कथन अभिलिखित किया गया था । खेम राम ने अलग-अलग 1,000/- रुपए के चार करेंसी नोट पेश किए थे जिन पर कुछ पाउडर लगाया गया था और उन्हें खेम राम को सौंप दिया गया था । उसके मकान में ऐसा कुछ नहीं किया गया था । उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने उस रीति को स्वीकार किया है जिसमें पूर्व जाल का प्रदर्शन किया गया था । उसने यह स्वीकार किया है कि खेम राम को पैदल पतवारखाना भेजा गया था और उसे यह अनुदेश दिया गया था कि जब कभी अभियुक्त रकम को प्राप्त करेगा तब वह छाया साक्षी लक्ष्मी दत्त को संकेत देगा । खेम राम पतवारखाना के अंदर गया और लक्ष्मी दत्त पतवारखाना के बाहर खड़ा था । उसने यह स्वीकार किया है कि खेम राम ने लक्ष्मी दत्त को संकेत दिया था जिसने उन्हें संदेश भेजा था और वे सभी पतवारखाना पर गए । अभियुक्त को सतर्कता कार्मिक द्वारा उसकी भुजाओं से पकड़ लिया गया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह रीति जिसमें अभियुक्त के हाथ धोए गए

तथा उस घोल को ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । उसने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने अपनी पैंट की जेब से अलग-अलग 1,000/- रुपए के चार करेंसी नोट पेश किए थे जिनका नोटों की संख्या से मिलान किया गया था जो पहले ही खेम राम को उसके मकान में दिए गए थे । उसने इस रीति को भी स्वीकार किया है जिसमें अभियुक्त के पैंट के जेब को धोया गया था और उसे कब्जे में लिया गया था । अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वे सतर्कता कार्मिक के साथ पतवारखाना में मारुति वैन में गए थे । उसे इस बात का पता नहीं है कि उस वैन का स्वामी कौन था । वे 9.00 बजे से 10.00 बजे अपराह्न के बीच पतवारखाना पहुंचे थे और वे पतवारखाना पर 4.00 बजे अपराह्न तक रहे । ग्राम खुरादी के किसी व्यक्ति को न तो बुलाया गया था न कार्यवाही में सहबद्ध किया गया था । खेम राम की सगी बहन का उससे विवाह हुआ था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि बचन राम का आवासीय मकान जिसके पांच पुत्र थे उसके साथ रहते थे । उसका मकान पतवारखाना से 20 गज की दूरी पर था । सतर्कता कार्मिक ने कार्यवाहियों में साक्षियों के रूप में उन्हें नहीं बुलाया था । उसने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने अपनी जेब से और उन्हें मेज पर फेंक दिया था ।

9. लक्ष्मी दत्त (अभि. सा. 3) शिकायतकर्ता खेम राम (अभि. सा. 1) का भाई है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह लगभग 2 वर्ष पूर्व 28 तारीख को प्रेम दत्त के मकान पर गया । शिकायतकर्ता सतर्कता कार्मिक के साथ वहां पर था । उसने उस रीति के बारे में बताया जिसमें सतर्कता कार्मिक द्वारा पूर्व जाल प्रदर्शन का जाल बिछाया गया था । शिकायतकर्ता पतवारखाना गया और वह पतवारखाना के बाहर खड़ा था । कुछ समय के पश्चात् शिकायतकर्ता ने उसे संकेत दिया और उसने सतर्कता कार्मिक के पास उस संकेत को भेज दिया । पतवारखाना उनको दिखाया गया था । वे अपने साले के साथ पतवारखाना पर पहुंचे थे और अभियुक्त को पकड़ लिया था । अभियुक्त के हाथों को धोया गया था । पुलिस ने अभियुक्त की जेब से करेंसी नोटों को बरामद किया था । करेंसी नोट लिफाफे में रखे गए थे और उन्हें मोहरबंद किया गया तथा ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । पैंट और उसकी जेबें धोई गई थीं और उन्हें सतर्कता पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पतवारखाना में अत्यधिक भीड़ थी जब वह और

सतर्कता दल वहां पहुंचा । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त ने अपनी पैंट की जेब से करेंसी नोट निकाले और उन्हें मेज पर फेंक दिया । अभिकथित कार्यवाहियों के दौरान पतवारखाना में लगभग 14-15 व्यक्ति थे जब वे पतवारखाना पर पहुंचे तब वहां पर लगभग 4-5 व्यक्ति पहले ही मौजूद थे ।

10. बहादुर सिंह (अभि. सा. 4) ने अभियुक्त के नियुक्ति पत्र और तैनाती आदेश प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/क और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 4/ख के अभिलेख साबित किए ।

11. टेक राम (अभि. सा. 5) जो फील्ड कानूनगो, कौशाली है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि दाखिल खारिज सं. 228 प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क की अभियुक्त द्वारा प्रविष्टि की गई थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह वर्ष 2008 से पतवार सर्किल, ताडोल में फील्ड कानूनगो के पद पर था । तहसीलदार ने तारीख 25 नवंबर, 2008 को पतवार सर्किल ताडोल के दाखिल खारिजों के साक्ष्यांकन के लिए 4 कार्यक्रम नियत किए थे । तहसीलदार तारीख 25 नवंबर, 2008 को पतवार सर्किल गया था और उन व्यक्तियों के दाखिल खारिजों को साक्ष्यांकित किया जो वहां पर मौजूद थे । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा उसकी पुनः परीक्षा करने पर उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब दाखिल खारिज पटवारी द्वारा किया जाना था तब उसे फील्ड कानूनगो द्वारा जांच की जानी चाहिए थी और नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा उसका साक्ष्यांकन किया जाना था जब वह भ्रमण पर पहुंचा था ।

12. राजकुमार (अभि. सा. 6) ने अभिलेख पर मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क साबित किया है ।

13. पवन ठाकुर (अभि. सा. 7) ने अभिलेख पर अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ख साबित किया है जिसके द्वारा सतर्कता कार्मिक ने मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क कब्जे में लिया था ।

14. हेड कांस्टेबल विद्या सागर (अभि. सा. 8) ने अभिलेख पर रपट सं. 19 और 9 साबित किया है । तारीख 28 नवंबर, 2008 को प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ख को भी साबित किया है ।

15. सहायक उप-निरीक्षक कमल देव (अभि. सा. 9) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि शिकायत प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क के आधार पर प्रथम

इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क अभिलिखित की गई थी ।

16. मदन लाल (अभि. सा. 10) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 नवंबर, 2008 को वह निरीक्षक अनिल धौल्टा, निरीक्षक हरी राम, एचएचसी करम चंद और निरीक्षक केवल राम के साथ दूरभाष सूचना प्राप्त करने पर ग्राम खुरादी पर प्रेम दत्त के मकान पर गए थे जहां खेम राम भी मौजूद था । निरीक्षक अनिल धौल्टा ने खेम राम के कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क अभिलिखित किया था और पृष्ठांकन करने के पश्चात् रुक्का के साथ पुलिस थाना एसवी और एसीबी, सोलन पर उसे भेज दिया । उसने रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क मोहर्रिर हेड कांस्टेबल पदम देव के सुपुर्द कर दिया था तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उसने घटनास्थल पर निरीक्षक अनिल धौल्टा को फाइल वापस कर दी थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वे पुलिस थाना सतर्कता से ग्राम खुरादी के लिए मारुति कार 800 में गए थे । इसे निरीक्षक अनिल धौल्टा द्वारा चलाया जा रहा था । उसके अनुसार जब रुक्का के साथ वह वापस लौट रहा था तब उसने कुछ दूरी मोटर साइकिल से तय की थी और मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए कुछ दूरी तक पैदल चला था । उसने सड़क पर पहुंचने के लिए मोटर साइकिल पर लगभग 2-5 किलोमीटर की दूरी तय की थी ।

17. हेड कांस्टेबल पदम देव (अभि. सा. 11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 नवंबर, 2008 को रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क प्राप्त करने पर पुलिस थाना एसवी और एसीबी, सोलन में 2.15 बजे अपराह्न प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क रजिस्ट्रीकृत की गई थी । उसी दिन लगभग 6.30 बजे अपराह्न निरीक्षक अनिल धौल्टा ने उसे वाद संपत्ति सौंपी थी जिसे उसने मालखाना रजिस्टर में दर्ज किया था । उसने राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला में वाद संपत्ति आरसी सं. 9/08 को जमा करने के लिए एचएचसी चेत राम को उसे सौंपा था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि रजिस्टर सं. 19 जो प्रिंट किया गया था और जिसे विभाग द्वारा विहित किया गया था, वाद संपत्ति की प्रविष्टि के लिए मालखाना रजिस्टर भेजने हेतु पुलिस थाने पर दी गई थी । उसके द्वारा लाया गया रजिस्टर वह नहीं था । उसने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा लाए गए मालखाना रजिस्टर में खेम राम को 4,000/- रुपए वापस करने के संबंध में तारीख 1 मई, 2009 की प्रविष्टि हुई थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि न तो किसी व्यक्ति के उसमें हस्ताक्षर थे जिसके बारे

में वाद संपत्ति को जमा किया जाना अभिकथित है और न यह उल्लेख किया गया था कि कहां से वाद संपत्ति रजिस्टर में दर्ज करने के लिए उसके द्वारा लाई गई थी ।

18. एचएचसी चेत राम (अभि. सा. 12) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 3 दिसंबर, 2008 को उसने वाद संपत्ति राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला को जमा कर दी थी ।

19. अमन दीप गर्ग (अभि. सा. 13) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह जनवरी, 2008 से दिसंबर, 2009 तक उपायुक्त के पद पर सोलन में तैनात था । उसने अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन मंजूरी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/क भी दी थी ।

20. कौशल चंद शर्मा (अभि. सा. 14) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने मामले की अंतिम रिपोर्ट तैयार की थी और अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए मंजूरी हेतु आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/क दिया था ।

21. निरीक्षक अनिल धौल्टा (अभि. सा. 15) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 28 नवंबर, 2008 को 8.00 बजे पूर्वाह्न उसने खेम राम से दूरभाष संदेश प्राप्त किया था कि अभियुक्त उत्तराधिकार के आधार पर दाखिल खारिज चढ़ाने के लिए 4,000/- रुपए की मांग कर रहा था । वह अन्य पुलिस पदधारियों के साथ ग्राम खुरादी पर प्रेम दत्त के मकान पर गया । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन खेम राम का कथन अभिलिखित किया था और उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए पुलिस थाने पर एचएचसी मदन लाल के माध्यम से पृष्ठांकन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/क करके भेज दिया था । उसने खेम राम, लक्ष्मी दत्त और प्रेम दत्त के समक्ष पूर्व जाल प्रदर्शन ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख जाल बिछाया था । खेम राम द्वारा अलग-अलग 1,000/- रुपए के चार करेंसी नोट पेश किए गए थे और इन करेंसी नोटों की संख्याएं लिखी गई थीं । इसके पश्चात् करेंसी नोटों पर फेनोलपैथोलिन पाउडर लगाया गया था और इस निदेश के साथ खेम राम को सौंपे गए थे कि अभियुक्त द्वारा मांगे जाने पर वह उसे देगा । ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग इसी प्रभाव का तैयार किया गया था । जब अभियुक्त ने करेंसी नोट प्राप्त किए तो अभियुक्त को उसकी कलाई से पकड़ लिया गया । उसने उस रीति के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है जिसमें अभियुक्त के हाथ और जेब धोए गए और उस घोल को

कब्जे में लिया गया । उसने घटनास्थल नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/ख तैयार किया था । उसने साक्षियों के कथनों को अभिलिखित किया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वे ग्राम खुरादी पर लगभग 12.00 बजे दोपहर पहुंचे थे । उसने अपने साथ ग्राम खुरादी के लक्ष्मी दत्त और प्रेम दत्त को सहबद्ध किया था । ग्राम खुरादी में लगभग 2-4 मकान थे । उसने यह स्वीकार किया है कि प्रेम दत्त खेम राम की सगी बहन का पति है और लक्ष्मी दत्त खेम राम का भी सगा भाई है । पतवारखाना से लगभग 25 गज की दूरी पर एक मकान स्थित था । उसने उस स्थान को नहीं दिखाया जहां छाया साक्षी घटनास्थल नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/ख पर खड़ा था । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह उस क्षण जब वे पतवारखाना पर गए थे उसके तत्काल पश्चात् खेम राम पतवारखाना पर गया था । मदन लाल द्वारा अभियुक्त की वैयक्तिक तलाशी ली गई थी । उसने खेम राम से 4,000/- रुपए देने के स्रोत के बारे में पूछताछ नहीं की । शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त को किए गए दूरभाष काल के ब्यौरे भी एकत्रित नहीं किए गए । उसने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने तारीख 24 नवंबर, 2008 को अभिलेख पर दाखिल खारिज किया था । उसने इस बात से इनकार किया है कि वे सभी पतवारखाना पर 10.00 बजे पूर्वाह्न पहुंचे थे ।

22. कश्मीर सिंह, प्रतिरक्षा साक्षी 1 ने अभिलेख पर क्रमशः रपट सं. 99 और 103 प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 1/क और प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 1/ख के साथ-साथ दाखिल खारिज की प्रतियां प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 1/ग, प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 1/ई, प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 1/एच, प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 1/जे और प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 1/एल को साबित किया ।

23. राकेश कुमार प्रतिरक्षा साक्षी 2 ने अभिलेख पर जांच रिपोर्ट प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 2/ख साबित की ।

24. अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता खेम राम (अभि. सा. 1) अपने पिता की मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ दाखिल खारिज के साक्ष्यांकन के लिए 22 नवंबर, 2008 को अभियुक्त के कार्यालय पर गया था । अभियुक्त ने दाखिल खारिज की प्रविष्टि कराने के लिए 4,000/- रुपए के रकम की मांग की थी । अभियुक्त ने उससे तारीख 25 नवंबर, 2008 को आने के लिए कहा था । शिकायतकर्ता अभियुक्त के पास नहीं गया क्योंकि वह पैसे की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं था । उसने तारीख 26 नवंबर, 2008 को अभियुक्त को दूरभाष से काल किया था जिसने उससे कहा कि वह

4,000/- रुपए की रकम के साथ 28 नवंबर, 2008 को पहुंचे । शिकायतकर्ता ने अभियुक्त द्वारा मांगी गई रिश्वत की रकम के बारे में सतर्कता पुलिस को दूरभाष से सूचना दी थी । उसका कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क के माध्यम से अभिलिखित किया गया था जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क रजिस्ट्रीकृत की गई थी । खेम राम (अभि. सा. 1) ने मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने दाखिल खारिज की प्रविष्टि करवाने के लिए उससे 4,000/- रुपए की राशि की मांग की थी । अभियुक्त ने उसे बताया कि तहसीलदार तारीख 25 नवंबर, 2008 को आएगा और दाखिल खारिज का साक्ष्यांकन करेगा । तथापि, खेम राम (अभि. सा. 1) तारीख 25 नवंबर, 2008 को पतवारखाना नहीं जा सका । वह पतवारखाना पर तारीख 28 नवंबर, 2008 को गया था । उसने सतर्कता कार्मिक को वहां पर नहीं पाया था । जब वह वापस लौटा तब उसने वाहन में सतर्कता कार्मिक को आते हुए देखा । वह ग्राम खुरादी पर प्रेम दत्त (अभि. सा. 2) के मकान के नजदीक गया जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन उसका कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क अभिलिखित किया गया था । वह पैदल पतवारखाना पर गया था और अन्य व्यक्ति वाहन में गए थे । उसने अभियुक्त से यह पूछा कि उसने उसका कार्य कर दिया है या नहीं । अभियुक्त ने उसे तारीख 24 नवंबर, 2008 को रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां दिखाई थीं और उससे 4,000/- रुपए ले लिए थे । उसने लक्ष्मी दत्त को संकेत दिया जिसने सतर्कता कार्मिक को संकेत भेजा था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह भी साक्ष्य दिया कि वह 10.00 बजे या 11.00 बजे पूर्वाह्न के बीच पतावारखाना पर पहुंचा था । उसने पुनः यह अभिसाक्ष्य दिया कि हो सकता है कि उस वक्त का समय 11.30 बजे पूर्वाह्न हो । वह पहले 9.30 बजे पूर्वाह्न पतवारखाना पर गया था । निरीक्षक अनिल धौल्टा (अभि. सा. 15) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वे लगभग 12.00 बजे दोपहर ग्राम खुरादी पर पहुंचे थे । उसके साथ ग्राम खुरादी के लक्ष्मी दत्त (अभि. सा. 3) और प्रेम दत्त (अभि. सा. 2) थे । खेम राम (अभि. सा. 1) प्रेम दत्त अभि. सा. 2 और लक्ष्मी दत्त (अभि. सा. 3) एक-दूसरे के निकट नातेदार हैं ।

25. खेम राम (अभि. सा. 1) के कथन में यह प्रकट हुआ है कि बचन राम का मकान पतवारखाना से लगभग 20 गज की दूरी पर अवस्थित था पूर्व जाल प्रदर्शन के दौरान तथा अग्रिम कार्यवाहियों में बचन राम के मकान से किसी भी व्यक्ति को सहबद्ध नहीं किया गया था । निरीक्षक अनिल धौल्टा (अभि. सा. 15) ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने ग्राम खुरादी

से प्रेम दत्त को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को सहबद्ध नहीं किया यद्यपि खेम राम (अभि. सा. 1) के कथन के अनुसार ग्राम खुरादी में लगभग 10-12 परिवार निवास करते थे । उसने शिकायतकर्ता खेम राम (अभि. सा. 1) के साथ प्रेम दत्त (अभि. सा. 2) और लक्ष्मी दत्त (अभि. सा. 3) की निकट की नातेदारी होना स्वीकार किया है । प्रेम दत्त (अभि. सा. 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है जिसमें अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा पूछताछ की गई थी । पतवारखाना से 20 गज की दूरी पर बचन राम का आवासीय मकान था । उसके पांच पुत्र भी उसके साथ निवास करते थे । सतर्कता कार्मिक द्वारा कार्यवाहियों के दौरान उन्हें सहबद्ध नहीं किया गया था ।

26. यह उन मामलों में एक ऐसा मामला नहीं है जहां स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं थे । बचन राम पतवारखाना से लगभग 20 गज की मात्र दूरी पर निवास करता था । अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि स्वतंत्र साक्षी के उपलब्ध होने के बावजूद भी कार्यवाहियों के दौरान उन्हें क्यों सहबद्ध नहीं किया गया था ।

27. खेम राम (अभि. सा. 1) ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह पतवारखाना पर गया तब सतर्कता दल भी तत्काल वहां पहुंच चुका था । तथापि, प्रेम दत्त (अभि. सा. 2) के अनुसार खेम राम (अभि. सा. 1) पैदल गया था और अन्य व्यक्ति पतवारखाना पर वाहन में गए थे । खेम राम (अभि. सा. 1) पतवारखाना के अंदर गया था और लक्ष्मी दत्त (अभि. सा. 3) पतवारखाना के बाहर खड़ा था । जब खेम राम (अभि. सा. 1) ने लक्ष्मी दत्त (अभि. सा. 3) को संकेत दिया तब उसने उन्हें उस संकेत को भेज दिया और वे सभी पतवारखाना के अंदर चले गए । लक्ष्मी दत्त (अभि. सा. 3) ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि खेम राम (अभि. सा. 1) जो उसका भाई था पतवारखाना पर गया और वह पतवारखाना के बाहर खड़ा रहा । कुछ समय के पश्चात् खेम राम (अभि. सा. 1) ने उसे संकेत दिया और कार्मिक ने सतर्कता कार्मिक को संकेत भेज दिया । निरीक्षक अनिल धौल्टा (अभि. सा. 15) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वे पूर्व जाल प्रदर्शन के पश्चात् पतवारखाना की ओर अग्रसर हुए और छाया साक्षी से संकेत प्राप्त करके वे पतवारखाना में प्रविष्ट हुए । खेम राम (अभि. सा. 1), प्रेम दत्त (अभि. सा. 2) लक्ष्मी दत्त (अभि. सा. 3) और निरीक्षक अनिल धौल्टा (अभि. सा. 15) के कथनों में सतर्कता कार्मिक के पतवारखाना पर पहुंचने के बारे में विचलन है ।

28. खेम राम (अभि. सा. 1) के अनुसार सतर्कता कार्मिक सूमो यान में पतवारखाना गए थे । तथापि, प्रेम दत्त (अभि. सा. 2) के कथन में यह प्रकट हुआ है कि वह सतर्कता कार्मिक के साथ मारुति वैन में पतवारखाना पर गया था । तथापि, वह यान के स्वामी को नहीं जानता है । एचएचसी मदन लाल (अभि. सा. 10) ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वे मारुति कार 800 में पुलिस थाना सतर्कता से ग्राम खुरादी गए थे जिस यान को निरीक्षक अनिल धौल्टा द्वारा चलाया जा रहा था । यह संदेहास्पद है कि क्या सतर्कता कार्मिक सूमो यान में घटनास्थल पर गया था जैसाकि खेम राम (अभि. सा. 1) का वृत्तांत है या ऐसे यान में गया जैसाकि प्रेम दत्त (अभि. सा. 2) के वृत्तांत में है या मारुति कार 800 में जैसाकि एचएचसी मदन लाल (अभि. सा. 10) के वृत्तांत में प्रकट हुआ है ।

29. खेम राम (अभि. सा. 1) के कथन में जो कुछ प्रकट हुआ है उस पर यह स्वीकार किया गया है कि जब वह पहली बार अभियुक्त के पास गया तब उसने उसे यह फटकार लगाई कि उसके पिता की मृत्यु के 15 दिन के भीतर दाखिल खारिज का साक्ष्यांकन प्राप्त नहीं किया जा सकता । अभि. सा. 5 टेक राम, फील्ड कानूनगो, कौशाली ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दाखिल खारिज सं. 228 प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क की अभियुक्त द्वारा प्रविष्टि की गई थी । अभियुक्त ने पहले ही तारीख 24 नवंबर, 2008 को दाखिल खारिज सं. 228 प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क की प्रविष्टि कर दी थी । प्रतिरक्षा साक्षी 1 कश्मीर सिंह ने तारीख 24 नवंबर, 2008 को अभिलेख पर रोजनामचा रपट सं. 99 की प्रति डी. डब्ल्यू. 1/क साबित की है । इसमें तारीख 25 नवंबर, 2005 को रोजनामचा वकायती में प्रविष्टि सं. 103 अभिलेख पर भी साबित की है । प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 1/ख जिसके द्वारा तहसीलदार ने तारीख 25 नवंबर, 2008 को दाखिल खारिज के साक्ष्यांकन करने के लिए गया हुआ था । अभि. सा. 5 टेक राम ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तहसीलदार तारीख 25 नवंबर, 2008 को पतवार सर्किल पर गया था और कुछ व्यक्तियों के दाखिल खारिज का साक्ष्यांकन किया जो घटनास्थल पर मौजूद थे । तहसीलदार ने दाखिल खारिज प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ई, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एफ, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/जी, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एच, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/जे, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क तथा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एल का साक्ष्यांकन किया । खेम राम (अभि. सा. 1) तारीख 25 नवंबर, 2008 को घटनास्थल पर नहीं गया था । यदि वह तारीख 25 नवंबर, 2008 को

घटनास्थल पर पहुंचता तो तहसीलदार उसके दाखिल खारिज का भी निश्चित रूप से साक्ष्यांकन करता । अभियुक्त ने केवल उस दाखिल खारिज की प्रविष्टि की थी जिसे वह तारीख 24 नवंबर, 2008 को पहले ही कर चुका था । साक्ष्यांकन कार्य तहसीलदार द्वारा किया जाना था चूंकि अभि. सा. 1 खेम राम तारीख 25 नवंबर, 2008 को मौजूद नहीं था, इसलिए तहसीलदार द्वारा उसके दाखिल खारिज को साक्ष्यांकित नहीं किया जा सका । इस प्रकार अभियुक्त के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वह तारीख 28 नवंबर, 2008 को पैसे के लिए कहता जैसाकि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार है ।

30. खेम राम (अभि. सा. 1) के अनुसार चूंकि वह गरीब व्यक्ति था इसलिए वह ऐसी स्थिति में नहीं था कि अभियुक्त को रिश्वत की रकम देता । उसने अपने गांव के तीन व्यक्तियों से पैसों का प्रबंध किया था । एक व्यक्ति से उसने 2,000/- रुपए लिए और दो व्यक्तियों ने उसे अलग-अलग 1,000/- रुपए दिए । तथापि, उसने इन तीन व्यक्तियों के नामों को नहीं बताया । निरीक्षक अनिल धौल्टा (अभि. सा. 15) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने अभि. सा. 1 से उस रकम के स्रोत के बारे में जो खेम राम लाया था पूछताछ नहीं की ।

31. एचएचसी मदन लाल (अभि. सा. 10) के वृत्तांत के अनुसार तारीख 28 नवंबर, 2008 को दूरभाष सूचना प्राप्त करने पर वह निरीक्षक अनिल धौल्टा (अभि. सा. 15), निरीक्षक हरीराम, एचएचसी कर्म चन्द और निरीक्षक केवल राम ग्राम खुरादी में प्रेम दत्त (अभि. सा. 2) के मकान पर एक साथ गए थे । खेम राम (अभि. सा. 1) भी वहां पर मौजूद था । निरीक्षक अनिल धौल्टा (अभि. सा. 15) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 154 के अधीन उसके कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क अभिलिखित किया था जिसने पृष्ठांकन करने के पश्चात् रुक्का के साथ उसे पुलिस थाना, एसवी और एसीबी, सोलन पर भेजा था । उसने एमएचसी, पदम देव (अभि. सा. 11) को उसे सौंपा था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उसने घटनास्थल पर निरीक्षक अनिल धौल्टा को फाइल वापस कर दी । एमएचसी पदम देव (अभि. सा. 11) के अनुसार रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क के आधार पर तारीख 28 नवंबर, 2008 को 2.15 बजे अपराह्न पुलिस थाना एसवी और एसीबी, सोलन में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/क रजिस्ट्रीकृत की गई थी । यद्यपि, यह सिद्ध किया गया है कि रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क पुलिस थाना एसवी और एसीबी, सोलन पर एचएचसी,

मदन लाल (अभि. सा. 10) द्वारा एमएचसी, पदम देव (अभि. सा. 11) को उसे सौंपा गया था, तथापि, निरीक्षक अनिल धौल्टा (अभि. सा. 15) ने यह सिद्ध किया है कि अभियुक्त की वैयक्तिक तलाशी एचएचसी मदन लाल (अभि. सा. 10) द्वारा की गई थी । एचएचसी मदन लाल (अभि. सा. 10) ने पहले ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क के साथ उस स्थान से चला गया था । एचएचसी, मदन लाल (अभि. सा. 10) ने इस रीति में अभिसाक्ष्य दिया है जिसमें वह पुलिस थाने पर पहुंचा था और जब वह केस फाइल के साथ घटनास्थल पर वापस पहुंचा ।

32. एमएचसी, पदम देव (अभि. सा. 11) ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि रजिस्टर सं. 19 जिसे विभाग द्वारा प्रिंट करके विहित किया गया था वाद संपत्ति को इंदराज करने के लिए मालखाना रजिस्टर के लिए पुलिस थाने को दिया गया था । तथापि, रजिस्टर जिसे वह लाया था वह वही नहीं था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा लाए गए रजिस्टर में न तो किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर थे जिसके बारे में वाद संपत्ति जमा किए जाने का अभिकथन किया गया है और न कोई उल्लेख था कि कहां से उसके द्वारा रजिस्टर के साथ वाद संपत्ति लाई गई थी ।

33. खेम राम (अभि. सा. 1) और लक्ष्मी दत्त (अभि. सा. 3) के कथनों में यह प्रकट हुआ है कि कई व्यक्ति पतवारखाना पर मौजूद थे । तथापि, उनमें से किसी व्यक्ति को कार्यवाहियों के दौरान सहबद्ध नहीं किया गया था । अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि लक्ष्मी दत्त (अभि. सा. 3) कैसे 8.00 बजे पूर्वाह्न प्रेम दत्त (अभि. सा. 2) के मकान पर पहुंचा । खेम राम (अभि. सा 1) इस बात से आश्वस्त नहीं था कि क्या वह दाखिल खारिज का साक्ष्यांकन करवाने के लिए प्रथम बार तारीख 22 या 24 नवंबर, 2011 को अभियुक्त के पास गया था । खेम राम (अभि. सा. 1) के अनुसार उसने तारीख 26 नवंबर, 2008 को अभियुक्त से दूरभाष पर बात की थी, निरीक्षक अनिल धौल्टा (अभि. सा. 15) ने शिकायतकर्ता के काल के ब्यौरे एकत्रित नहीं किए । खेम राम (अभि. सा. 1) ने इस सुझाव से इनकार किया है कि अभियुक्त ने अपनी पैंट की जेब से पैसे निकाले थे और मेज पर उन्हें फेंक दिया था । उसके अनुसार अभियुक्त ने सतर्कता कार्मिक को पैसे दिए थे । तथापि, प्रेम दत्त

(अभि. सा. 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में जिस पर अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा चर्चा की गई यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने अपनी जेब से करेंसी नोटों को निकाला था और मेज पर उन्हें फेंक दिया था । प्रेम दत्त (अभि. सा. 2) शिकायतकर्ता का सगा साला है, उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार सतर्कता कार्मिक उसके मकान पर गया था जहां शिकायतकर्ता और उसका भाई लक्ष्मी दत्त (अभि. सा. 3) भी मौजूद थे । पूर्व जाल प्रदर्शन आदि को वर्णित किया गया था । वह महत्वपूर्ण कड़ी थी । यद्यपि, प्रेम दत्त (अभि. सा. 2) का कथन केवल इस कारण से त्यक्त नहीं किया जा सकता कि वह पक्षद्रोही साक्षी है, परंतु अभियोजन पक्षकथन में ऐसा खोट प्रकट है । उसके कथन पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए । अभियोजन के तात्विक साक्षियों के कथनों में कई बड़े विभेद, विसंगतियां बढ़ा-चढ़ाकर बातें कही गई हैं । विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के कथनों में बड़े विभेदों की अनदेखी की है । अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल हुआ है ।

34. इसमें ऊपर उल्लिखित मताभिव्यक्तियों और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए अपील मंजूर की जाती है और विद्वान् विशेष न्यायाधीश, सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा अधिनियम की धारा 7 और 13(2) के अधीन तारीख 27 सितंबर, 2011 को दिए गए निर्णय को अपास्त किया जाता है । अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । यदि कोई जुर्माने की रकम अभियुक्त द्वारा जमा की गई है तो उसे वापस की जाती है । जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाने का आदेश किया जाता है । यदि कोई लंबित आवेदन हैं तो उनका निपटारा भी किया जाता है । खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं किया गया ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

संसद् के अधिनियम

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

(1994 का अधिनियम संख्यांक 10)

[8 जनवरी, 1994]

मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को केवल वहां तक लागू होगा जहां तक इसका संबंध उस राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों से है ।

(3) यह 28 सितंबर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं – (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "सशस्त्र बल" से नौसेना, सेना और वायु सेना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है ;

(ख) "अध्यक्ष" से, यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "मानव अधिकार" से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है ;

(ङ) "मानव अधिकार न्यायालय" से धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है ;

[1][(च) "अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा" से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर, 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है ;] ;

[1][(छ) "सदस्य" से, यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है,]

(ज) "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग" से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है ;

[1][(झ) "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है ;

(झक) "राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 338क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है ।]

(ञ) "राष्ट्रीय महिला आयोग" से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है ;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ड) "लोक सेवक" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 में है ;

(ढ) "राज्य आयोग" से धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है ।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं हैं, प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है ।

अध्याय 2
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन – (1) केन्द्रीय सरकार, एक निकाय का, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी ।

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है ;

(ख) एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है ;

(ग) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ;

(घ) दो सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है ।

(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, [1][राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग] और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष धारा 12 के खंड (ख) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे ।

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) एक महासचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, [1][(न्यायिक कृत्यों और धारा 40ख के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) जो, यथास्थिति, आयोग या अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे]।

(5) आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

4. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति – (1) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और [2][सदस्यों] को नियुक्त करेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) प्रधान मंत्री	अध्यक्ष ;
(ख) लोक सभा का अध्यक्ष	सदस्य ;
(ग) भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्री	सदस्य ;
(घ) लोक सभा में विपक्ष का नेता	सदस्य ;
(ङ) राज्य सभा में विपक्ष का नेता	सदस्य ;
(च) राज्य सभा का उप सभापति	सदस्य :

परन्तु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि [2][उपधारा (1) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है]।

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][5. **अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना** – (1) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है, कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य, –

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है ; या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है ; या

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें, राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है,

तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा ।]।

[2][6. **अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि** – (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा ।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा ।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा ।"।

7. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन – (1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती ।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है ।

[1][**8. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें** – अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।] ।

9. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना – आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके पठन में कोई त्रुटि है ।

10. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना – (1) आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा, जो अध्यक्ष ठीक समझे ।

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियम अधिकथित करने की शक्ति होगी ।] ।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

11. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द – (1) केन्द्रीय सरकार, आयोग को, –

(क) भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी, जो आयोग का महासचिव होगा ; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो,

उपलब्ध कराएगी ।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आयोग ऐसे, अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

अध्याय 3
आयोग के कृत्य और शक्तियां

12. आयोग के कृत्य – आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा [2][या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निदेश पर], उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर, –

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।

(i) मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या

(ii) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की,

शिकायत के बारे में जांच करना ;

(ख) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना ;

[1][(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना ;] ।

(घ) संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

(ङ) ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना ;

(च) मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना ;

(छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना ;

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार, माध्यमों गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना ;

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(झ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना ;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

13. जांच से संबंधित शक्तियां – (1) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है, अर्थात् :–

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इत्तिला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी हों, या उससे सुसंगत हों और जिस व्यक्ति से, ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

(3) आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंधों के, जहां तक वे लागू हों, अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच

की विषयवस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा ।

(4) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है तब आयोग, अपराध गठित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो ।

(5) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

[1][(6) जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है, वहां वह आदेश द्वारा, उसके समझ फाइल की गई या लंबित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है, अन्तरित कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई शिकायत तब तक अन्तरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत ऐसी न हो जिसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारिता न हो ।

(7) उपधारा (6) के अधीन अन्तरित की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा मानो वह शिकायत आरंभ में उसके समक्ष फाइल की गई हो ।] ।

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

14. अन्वेषण – (1) आयोग, जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा ।

(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है, आयोग के निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, –

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) धारा 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, रिपोर्ट देगा ।

(5) आयोग, उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के और निकाले गए निष्कर्षों के, यदि कोई हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है, जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो, कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

15. आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन – आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन,

ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय, उसे किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा कथन –

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए ; या

(ख) जांच की विषयवस्तु से सुसंगत है ।

16. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है – यदि जांच के किसी अनुक्रम में,–

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है ; या

(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है,

तो वह उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है ।

अध्याय 4
प्रक्रिया

17. शिकायतों की जांच – आयोग, मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय, –

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा :

परन्तु, –

(क) यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा ;

(ख) यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है

अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तद्नुसार सूचित कर सकेगा ;

(ii) खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आयोग, शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरंभ कर सकेगा ।

[1][**18. जांच के दौरान और जांच के पश्चात् कार्रवाई** – आयोग, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्प्रेरण प्रकट होता है, तो वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को –

(i) शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझे ;

(ii) संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां आरंभ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए, सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग ठीक समझे ;

(iii) ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे ;

(ख) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निदेश, आदेश या रिट के लिए जो, वह न्यायालय आवश्यक समझे, अनुरोध करना ;

(ग) जांच के किसी प्रक्रम पर संबद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अन्तरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग आवश्यक समझे, सिफारिश करना ;

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) खंड (ङ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना ;

(ङ) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी, एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका-टिप्पणी आयोग को भेजेगा जिसके अन्तर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है ;

(च) आयोग, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा ।] ।

19. सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया – (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, आयोग, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात् :–

(क) आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा ;

(ख) रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, आयोग, यथास्थिति, शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, सूचित करेगी ।

(3) आयोग, केन्द्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा ।

(4) आयोग, उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा ।

20. आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें – (1) आयोग, केन्द्रीय

सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 5
राज्य मानव अधिकार आयोग

21. राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन – (1) कोई राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसका नाम ..... (राज्य का नाम) मानव अधिकार आयोग होगा ।

[1][(2) राज्य आयोग ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है ;

(ख) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव है ;

(ग) एक सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है ;]

(3) एक सचिव होगा, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे ।

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(5) कोई राज्य आयोग केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा ।

[1][(6) दो या दो से अधिक राज्य सरकारें, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ-साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेंगी यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है :

परन्तु उस राज्य की बाबत जिसके लिए, यथास्थिति, सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाने हैं इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी ।] :

परन्तु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारे में जांच नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि जम्मू-कश्मीर मानव अधिकार आयोग के संबंध में, यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो "केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत" शब्द और अंकों के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत और उन विषयों की बाबत जिनके संबंध में उस राज्य के विधान मंडल को विधियां बनाने की शक्ति है" शब्द और अंक रख दिए गए हों ।

22. राज्य आयोग के अध्यक्ष और [2][सदस्यों] की नियुक्ति – (1) राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और [2][सदस्यों] को नियुक्त करेगा :

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) मुख्य मंत्री	अध्यक्ष ;
(ख) विधान सभा का अध्यक्ष	सदस्य ;
(ग) उस राज्य के गृह विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य ;
(घ) विधान सभा में विपक्ष के नेता	सदस्य ;

परन्तु यह और कि जहां किसी राज्य में विधान परिषद् है वहां उस परिषद् का सभापति और उस परिषद् में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे :

परन्तु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा अन्यथा, नहीं ।

(2) राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि [1][उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में कोई रिक्ति है]।

23. [2][**राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना** – (1) राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(1क) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए]।

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) [1][उपधारा (1क)] में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई [1][सदस्य],–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है ; या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है ; या

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें, राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है,

तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या किसी [1][सदस्य] को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा ।

[2][**24. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि** – (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा ।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा ।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा ।]।

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

25. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन – (1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती ।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है ।

[**26. राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें** – अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु अध्यक्ष या किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।] ।

27. राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द – (1) राज्य सरकार, आयोग को, –

(क) राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, जो राज्य आयोग का सचिव होगा ; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों ;

उपलब्ध कराएगी ।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, राज्य आयोग, ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और

वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

28. राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें – (1) राज्य आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, जहां राज्य विधान मंडल दो सदनों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसा विधान मंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष, रखवाएगी ।

29. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना – धारा 9, धारा 10, धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17 और धारा 18 के उपबंध राज्य आयोग को लागू होंगे और वे निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात् :–

(क) "आयोग" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "राज्य आयोग" के प्रतिनिर्देश हैं ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3) में, "महासचिव" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) धारा 12 के खंड (च) का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा 17 के खंड (i) में से "केन्द्रीय सरकार या किसी" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 6
मानव अधिकार न्यायालय

30. मानव अधिकार न्यायालय – मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा, उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए, प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए –

(क) कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है ; या

(ख) कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है ।

31. विशेष लोक अभियोजक – राज्य सरकार, प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी ।

अध्याय 7
वित्त, लेखा और संपरीक्षा

32. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान – (1) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे ।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी ।

33. राज्य सरकार द्वारा अनुदान – (1) राज्य सरकार, विधान मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो राज्य

सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे ।

(2) राज्य आयोग, अध्याय 5 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी ।

34. लेखा और संपरीक्षा – (1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे ।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित, आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, आयोग द्वारा, केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

35. **राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा** – (1) राज्य आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे ।

(2) राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं

और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, राज्य आयोग द्वारा, राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और राज्य सरकार, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 8
प्रकीर्ण

36. आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय – (1) आयोग, किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है ।

(2) आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों का अतिक्रमण गठित करने वाले कार्य का किया जाना अभिकथित है एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विषय की जांच नहीं करेगा ।

37. विशेष अन्वेषण दलों का गठन – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है वहां वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी, जिनमें उतने पुलिस अधिकारी होंगे जितने वह मानव अधिकारों के अतिक्रमणों से उद्भूत होने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझती है ।

38. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – इस अधिनियम

या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज-पत्र, या कार्यवाही के केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के बारे में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

39. सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना – आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

40. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 8 के अधीन [1][अध्यक्ष और सदस्यों] के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते ;

(ग) सिविल न्यायलय की कोई अन्य शक्ति, जो धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन विहित की जानी अपेक्षित है ;

(घ) वह प्ररूप, जिसमें आयोग द्वारा धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं ; और

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[1][**40क. भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति** – धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी रूप से किसी ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति होगी, जो उस तारीख से पूर्वतर न हो जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किन्तु किसी ऐसे नियम को ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा नियम लागू हो सकता हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।]।

[2][**40ख. आयोग की विनियम बनाने की शक्ति** – (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

---

[1] 2000 के अधिनियम संख्यांक 49 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ख) राज्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां और आंकड़े ;

(ग) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।] ।

41. नियम बनाने की राज्य सकार की शक्ति – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 26 के अधीन [1][अध्यक्ष और सदस्यों] के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते ;

(ग) वह प्ररूप, जिसमें धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं ।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

43. निरसन और व्यावृत्ति – (1) मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्यांक 30) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।